सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण
National Biodiversity Authority, India
2003

2016 to
2017

एनबीए

वार्षिक प्रतिवेदन

राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण
चेन्नइ, भारत

www.nbaindia.org

This Publication is available im electronic form at : www.nbaindia.org

Published by:

National Biodiversity Authority

5th Floor, TICEL Bio Park,
CSIR Road, Taramani, Chennai - 600 113
Tel: +91-44-2254 1805 | Fax: +91-44-2254 1073
e-mail: chairman@nba.nic.in

Design & Layout :

Pardip Kumar Mahato

Printer by:

Right Enterprises

New No.46, Old No 81/1, SRP Kovil Street,
Peravallur, Chennai-600 082.
Ph: +91 98413 82107
Email: rightenterprises19@gmail.com

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण
National Biodiversity Authority, India
2003

एनबीए

वार्षिक प्रतिवेदन

2016 – 2017

सत्यमेव जयते

प्राक्कथन

भारत व्यापक और समृद्ध जैविक संसाधनों का गृह है जिसमें न केवल लाखों जीवों को स्थान मिलता है बल्कि उन्हें आजीविका भी मिलती है, किंतु यह भारत की नागरिक सभ्यता की पूर्णताओं के लिए प्रेरणा और कठोर आश्रय बना हुआ है तथा यहां सांस्कृतिक और सामाजिक नैतिकताएं भी प्रचलित हैं। जबकि इस भूमि पर बीते वर्षों के निष्कर्षों में बढ़ती आबादी की मांग को पूरा किया गया तथा शहरी करण और औद्योगिकी करण की गतिविधियों ने पर्यावरण तथा जैविक आश्रयों का मूल्य बढ़ा दिया है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का उद्देश्य जैविक विविधता अधिनियम, 2002 का कार्यान्वयन करना और इस प्रकार देश की जैव विविधता तथा संबद्ध ज्ञान को संरक्षित करना, इसके स्थायी उपयोग की सुविधा प्रदान करना तथा सुनिश्चित करना कि इससे उत्पन्न होने वाले जैविक संसाधनों के उपयोग उचित हैं और इन्हें उन सभी लोगों के साथ एक समान रूप से साझा किया जाता है जो इसके संरक्षण, उपयोग और प्रबंधन में शामिल रहे हैं।

जैव विविधता अधिनियम, 2002 का कार्यान्वयन बेशक एक चुनौती पूर्ण कार्य है और इसमें अनेक मंत्रालयों को सक्रिय रूप से शामिल करने, शासन के उच्च स्तर पर नेतृत्व प्रदान करने जैसे राज्य जैव विविधता बोर्ड (एसबीबी), जिनका संकेंद्रण सफलता की कुंजी है। देश की जैव विविधता के संरक्षण के अधिदेश के साथ उसी स्थायित्व का उपयोग करते हुए, 2016 – 17 के वार्षिक प्रतिवेदन में राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तरों पर एनबीए के कार्य का प्रलेखन एनबीए, एसबीबी और बुनियादी स्तर के बीएमसी के माध्यम से किया गया है। आगे का मार्ग और लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए की गई प्रगति एनबीए के सामने बड़े हैं और हमें पूरा विश्वास है कि एनबीए तथा एसबीबी आने वाले वर्षों में जैव विविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के संपूर्ण कार्यान्वयन के लिए आपस में मिल जुलकर सहयोग से कार्य करेंगे।

मैं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी), प्राधिकरण के सदस्यों तथा विभिन्न विशेषज्ञ समितियों को उनके सहयोग और मार्ग दर्शन के लिए धन्यवाद देती हूं जिन्होंने हमें इन उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम बनाया।

मैं, एनबीए के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा संगठन को आगे ले जाने के अथक प्रयासों के लिए उनकी प्रशंसा करती हूं और वार्षिक प्रतिवेदन 2016 – 17 को तैयार करने में उनके द्वारा दी गई सहायता प्रशंसनीय है।

बी. मीनाकुमारी
अध्यक्ष, एनबीए

सत्यमेव जयते

आभार

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण 2016 – 17 के दौरान की गई गतिविधियों का लेखा जोखा लेकर उपस्थित है जिसमें जैविक विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 28 को विचार में लिया गया है। वार्षिक प्रतिवेदन में एनबीए द्वारा की गई गतिविधियों के अलावा अधिनियम के कार्यान्वयन में उपलब्धियों की झलक भी प्रस्तुत की गई है।

इस अवधि में देश में पंचायत स्तर पर जैव विविधता समितियों के गठन में असाधारण वृद्धि हुई है। एनबीए ने इस वर्ष के दौरान एबीएस आवेदनों को ऑनलाइन जमा करने की शुरूआत की है, जो ई – शासन प्रयास का एक हिस्सा है। यह एबीएस आवेदनों की प्राप्ति का एक दृष्टांत है और प्रक्रिया को सरल बनाने तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने में सचिवालय के प्रयासों के कारण इसकी प्राप्ति में निपटान दर भी बनी हुई है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एनबीए को सहायता देना तथा अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन में उनकी ओर से दिए गए समर्थन को जारी रखा है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान प्राधिकरण और विशेषज्ञ समितियों की कई बैठकें आयोजित की गई और मैं सभी सदस्यों द्वारा दिए गए मूल्यवान मार्गदर्शन तथा एनबीए की गतिविधियों को आगे बढ़ाने में मिलने वाली सहायता के प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।

राज्य जैव विविधता बोर्डों के अध्यक्ष और सदस्य सचिव, परियोजना प्रतिभागी जैसे यूएनईपी – जीईएफ, यूएनडीपी, जीआईजेड और नोर्वेजियन एंवायर्नमेंट एजेंसी अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के महत्वपूर्ण कार्य में हमारे अहम सहयोगी रहे हैं। मैं प्राधिकरण और विशेषज्ञ समितियों के सदस्यों के प्रति उनके प्रतिबद्ध प्रयासों के लिए धन्यवाद व्यक्त करता हूं और उनके मूल्यवान मार्गदर्शन तथा आने वाले दिनों में उनके साथ सार्थक सहयोग की आशा रखता हूं।

यह रिपोर्ट अनेक स्रोतों तथा अधिक सार्थक रूप से एनबीए सचिवालय के कर्मचारियों के गहन कठोर कार्य का परिणाम है। मैं अध्यक्ष, डॉ. मीना कुमारी के अनथक समर्थन के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जो इन सभी प्रयासों में हमारी मार्गदर्शक रही हैं।

टी. रबिकुमार
सचिव, एनबीए

विषयवस्तु

	परिचय	1
अध्याय 1	एनबीए की संरचना और भूमिका, संबंधित संवैधानिक निकाय और शासन	3
अध्याय 2	2016–17 के दौरान एनबीए की बैठकें	7
अध्याय 3	एनबीए द्वारा गठित समितियां – और उनकी गतिविधियां	11
अध्याय 4	जैविक संसाधनों तक पहुंच विनियमित करने की गतिविधियां और संबद्ध पारंपरिक ज्ञान, और निष्पक्ष तथा साम्य लाभ साझा करने को प्रोत्साहन	17
अध्याय 5	जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के तहत दिए गए अनुमोदन	21
अध्याय 6	आनुवंशिक संसाधनों और संबद्ध ज्ञान के संबंध में बौद्धिक संपत्ति अधिकारों के विषय में किए गए उपाय	25
अध्याय 7	राज्य जैव विविधता बोर्ड के कार्यक्रम और गतिविधियां	27
अध्याय 8	गतिविधियां और उपलब्धियां	41
अध्याय 9	कानूनी और विनियामक रूपरेखा की समीक्षा	47
अध्याय 10	वित्त और लेखा	49
अध्याय 11	वर्ष 2017–18 के लिए वार्षिक योजना	55
अध्याय 12	परियोजनाएं	57
	अनुलग्नक	
	एनबीए के सदस्य	63
	संगठनात्मक चार्ट	65
	भर्ती सहित कर्मचारियों की संख्या	65
	प्रकाशन	66
	जैव विविधता विरासत स्थलों की सूची	66
	प्रशिक्षण कार्यक्रम / सम्मेलन / आयोजित कार्यशालाएं / उपस्थिति	67
	अन्य मंत्रालयों / विभागों द्वारा आयोजित बैठकों में एनबीए अधिकारियों की भागीदारी	68
	लेखा के विवरण	69

कार्यकारी सारांश

भारत में 2002 में जैव विविधता (बीडी) अधिनियम लागू किया गया और 2004 में जैविक विविधता नियमों को अधिसूचित किया गया। बीडी अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए एक तीन स्तरीय संस्थागत संरचना स्थापित की गई, जिसके जरिए भारत सरकार ने अधिनियम की धारा 8 के तहत 2003 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) की स्थापना की, जो शीर्ष स्थान पर है। इसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है, जहां यह राष्ट्रीय स्तर पर बीडी अधिनियम के प्रावधानों का कार्यान्वयन करता है। बीडी अधिनियम की धारा 22 के तहत स्थापित राज्य जैव विविधता बोर्ड (एसबीबी) राज्य स्तर पर प्रचालन करते हैं। जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) का गठन 'स्थानीय स्तर' पर किया गया, जो तीसरे स्तर पर अधिनियम की धारा 41 के अनुसार है। अतः ये सभी सांविधिक निकाय हैं।

देश की जैव विविधता और संबद्ध ज्ञान के संरक्षण, इसके स्थायी उपयोग की सुविधा प्रदान करने और यह सुनिश्चित करने का उद्देश्य पूरा करने के लिए कि जैविक संसाधनों के उपयोग से मिलने वाले लाभ निष्पक्ष और उन सभी के बीच एक समान रूप से साझा किए जाते हैं जो इनके संरक्षण, उपयोग और प्रबंधन में शामिल रहे हैं, एनबीए और इसके उपग्रह सांविधिक निकाय एक अनुशासित और लक्ष्य उन्मुख योजना का पालन करते हैं। वर्ष 2016 – 17 के दौरान प्रगति और उपलब्धियों की निम्नलिखित झलकें वार्षिक प्रतिवेदन में विस्तार से बताई गई हैं।

वर्ष के दौरान, प्राधिकरण की चार बैठकों का आयोजन किया गया और इनके महत्वपूर्ण निर्णय इस प्रतिवेदन में बताए गए हैं। एनबीए ने 8 विशेषज्ञ समितियों – जो हैं 'पहुंच और लाभ साझा' पर विशेषज्ञ समिति जो एनबीए को प्राप्त आवेदनों पर कार्रवाई करती है; एनबीए द्वारा प्राप्त किए गए लाभों की उपयोगिता के लिए एक व्यापक नीति के विकास हेतु रेड सेंडर पर विशेषज्ञ समिति; जांच बिंदुओं की पद स्थापना पर प्रारूप अधिसूचना को परिष्कृत करने के लिए केंद्रीय विशेषज्ञ समूह और प्रयोक्ता देश द्वारा पहुंच और लाभ साझा करने पर नगोया प्रोटोकोल के कार्यान्वयन के उपायों में संशोधन के लिए जैव विविधता प्रबंधन समिति के दिशानिर्देशों में संशोधन; मौजूदा करार प्रारूपों में संशोधन के लिए विशेषज्ञ समिति; सामान्य व्यापक मदों पर विशेषज्ञ समिति; भारत जैव विविधता पुरस्कार (आईबीए) पर विशेषज्ञ समिति और भेदक एलियन प्रजातियों (आईएएस) पर विशेषज्ञ समिति। इस अवधि के दौरान, अनुसंधान/वाणिज्यिक उपयोग, अनुसंधान परिणामों के अंतरण, बौद्धिक संपत्ति अधिकार और तृतीय पक्ष अंतरण के लिए जैव संसाधनों की पहुंच के संबंध में 496 आवेदन प्राप्त हुए थे। कुल मिलाकर इस अवधि के दौरान 167 करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एनबीए को अपफ्रंट भुगतान, रॉयल्टी आदि सहित लाभ साझा के रूप में 12.49 करोड़ रुपए की राशि भी प्राप्त हुई है। आवेदकों को विभिन्न गतिविधियों के लिए एनबीए के अनुमोदन हेतु एबीएस आवेदन पत्रों के चयन और इन्हें भरने के लिए आवेदकों को दिशानिर्देश प्रदान करने के लिए एनबीए ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के माध्यम से एक ऑनलाइन पोर्टल (ई – फाइलिंग) सुविधा का विकास किया है, जिसे माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने लोकार्पित किया। भारत नगोया प्रोटोकोल का पक्षकार होने के नाते एनबीए ने एबीएस सीएच (समाशोधन गृह) प्लेटफॉर्म में 47 अनुमोदन अपलोड किए हैं जिन्हें प्रदान किया गया है और 2016 – 17 के दौरान अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाण पत्र तैयार किए गए हैं। जैविक विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 38 के तहत 16 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों ने संकटापन्न पौधों और जंतु प्रजातियों को अधिसूचित किया गया है।

जैविक विविधता अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया राज्यों में शुरू की गई और इसके साथ राज्य जैव विविधता बोर्ड (एसबीबी) की स्थापना में उत्प्रेरक भूमिका निभाई गई तथा राज्यों द्वारा जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) का गठन किया गया। इन प्रयासों से भारत के सभी 29 राज्यों में एसबीबी की स्थापना की गई। पच्चीस एसबीबी ने भी अपने राज्य जैव विविधता नियम अधिसूचित किए। अब तक, 62,502 बीएमसी का गठन किया गया था और प्रतिवेदनाधीन इस अवधि के दौरान पूरे देश में 54,66 पीबीआर का प्रलेखन किया गया था। तीन स्थलों को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया, अर्थात् असम में मजूली नदी द्वीप, तेलंगाना में अमीनपुर झिल और उ. प्र. में घड़ियाल पुनर्वास केंद्र। एनबीए द्वारा बीएमसी के गठन के लिए एसबीबी को वित्तीय समर्थन, पीबीआर तैयार करने, जनशक्ति की आउटसोर्सिंग और एसबीबी को मजबूत बनाने की गतिविधियों को समर्थन दिया गया। एनबीए ने विश्व विद्यालयों, शैक्षिक संस्थानों और गैर सरकारी संगठनों आदि को परियोजना संवीक्षा समिति (पीएससी) की सिफारिश पर गतिविधियों, जागरुकता कार्यक्रमों, जैव विविधता संबंधी प्रकाशन और प्रलेखन कार्यों को वित्तीय अनुदान देकर भी सहायता प्रदान की। वर्ष के दौरान, छोटे समूहों में एसबीबी की क्षेत्रीय बैठकों का आयोजन किया गया, ताकि इनका नजदीकी संपर्क कराया जा सके और इनकी समस्याओं तथा चुनौती को बेहतर तरीके से समझा जा सके। संघ राज्य क्षेत्रों (यू. टी.) के अधिकारियों के साथ एक परामर्श बैठक का आयोजन भी किया गया जो जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के कार्यान्वयन की जरूरतों और तात्कालिकता पर केंद्रित है तथा एनबीए के अधिकार संघ राज्य क्षेत्रों को प्रत्यायोजित करने की संभाव्यता है। एनबीए द्वारा एसबीबी की 11वीं राष्ट्रीय बैठक का आयोजन उनके अनुभवों को साझा करने तथा उन मुद्दों पर चर्चा भी करने के लिए किया गया जिन्हें स्थानीय जैव संसाधनों के संरक्षण का लक्ष्य पाने के लिए एसबीबी की बेहतर और दक्ष कार्यशैली के लिए सुलझाने, पहुंच और लाभ साझा करने की सुविधा देने की जरूरत है जो जैव संसाधनों से उत्पन्न होते हैं तथा पारंपरिक ज्ञान की सुरक्षा की जरूरत है।

सभी एसबीबी द्वारा अंतरराष्ट्रीय जैविक विविधता (आईडीबी) 2016 अपने अपने राज्यों में समारोहों, प्रदर्शनियों, प्रतियोगिताओं, जागरुकता कार्यक्रमों के आयोजन के साथ मनाया गया। आईबीडी 2016 का राष्ट्रीय स्तर का आयोजन एनबीए द्वारा पर्यावरण एवं वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ, सीसी) के समर्थन से किया गया और इसका समन्वय महाराष्ट्र एसबीबी द्वारा मुंबई में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की भागीदारी से किया गया था। माननीय राज्यपाल, महाराष्ट्र ने भारत जैव विविधता पुरस्कार 2016 विभिन्न स्तरों पर जैव विविधता के संरक्षण प्रयासों को मान्यता देने के लिए प्रदान किए। एनबीए द्वारा वर्ष के दौरान मनाए गए अन्य महत्वपूर्ण दिवसों में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, हिंदी दिवस, एनबीए का 13वां स्थापना दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे और युवा दिवस शामिल हैं।

वर्ष के दौरान, बायोटेक कंसोर्शियम इंडिया लिमिटेड (बीसीआईएल) ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी), विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा सेंटर फॉर बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी एण्ड लॉ (सीईबीपीओएल) के समर्थन से जैव विविधता अधिनियम, 2002 के तहत जैविक संसाधनों की पहुंच के लिए दिशानिर्देशों पर जागरुकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। एनबीए ने विभिन्न कार्यशालाओं, प्रदर्शनियों, सम्मेलनों, प्रशिक्षणों और जागरुकता कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और / या इनका आयोजन किया जिसमें अनुसंधानकर्ताओं, छात्रों, वैज्ञानिकों और जनता के बीच जैव विविधता के संरक्षण और सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरुकता का लक्ष्य रखा गया।

वर्ष 2016–17 के लिए वार्षिक लेखा और 2017 – 18 के लिए वार्षिक योजना भी इस वर्ष के प्रतिवेदन में प्रस्तुत किए गए हैं।

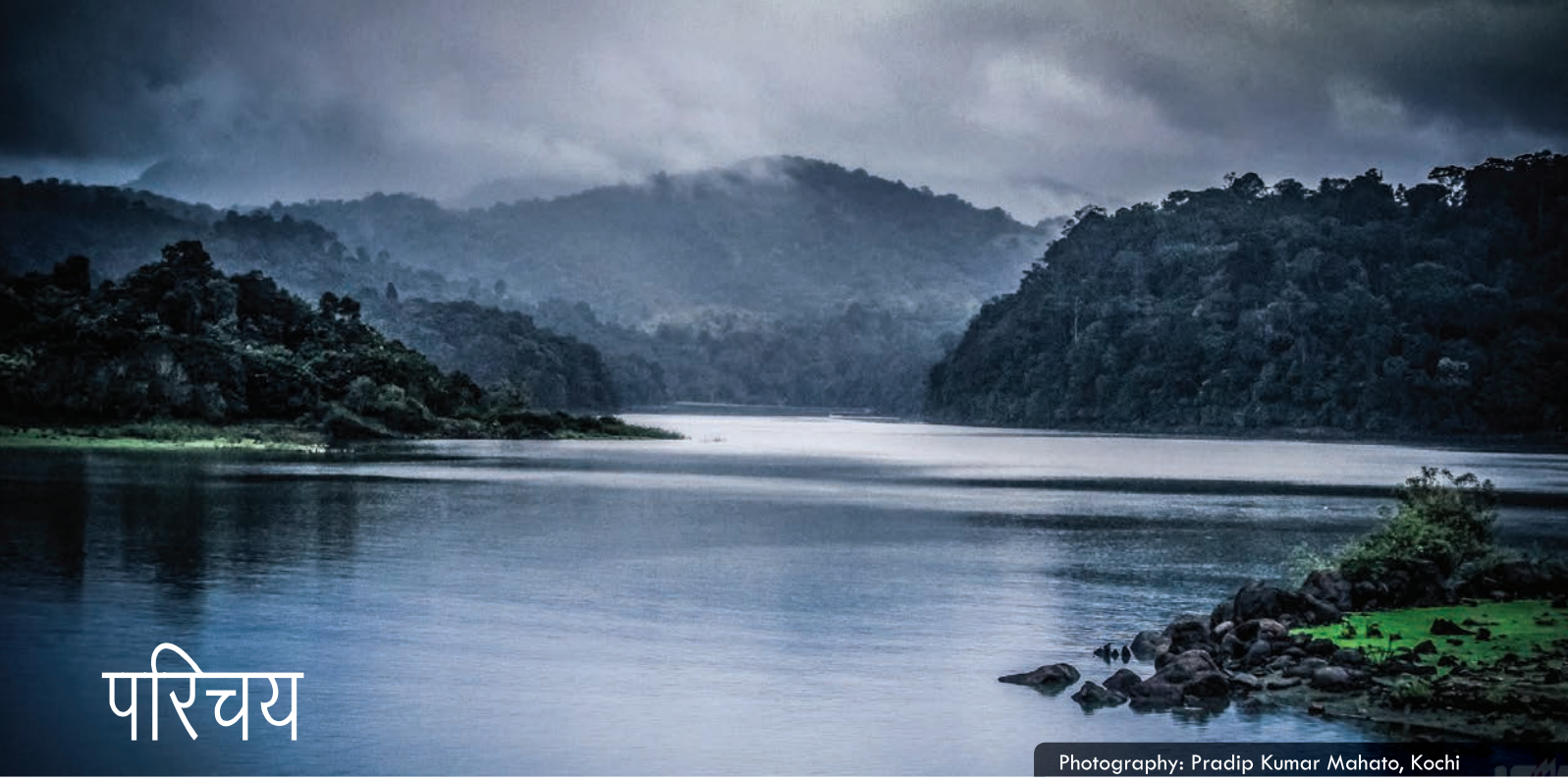

परिचय

Photography: Pradip Kumar Mahato, Kochi

जैव विविधता जीवन के सभी रूपों की विविधता है। यह प्रजातियों के अंदर विविधताएं, प्रजातियों के बीच और पारिस्थितिकी प्रणालियों के अंदर शामिल जीवों और उनके निवास स्थानों में परिवर्तनशीलता है। परंपरागत रूप से, जैव विविधता को एक परिदृश्य पर जीन, प्रजातियों और पारिस्थितिकी प्रणालियों के योग के रूप में परिभाषित किया गया है।

- आनुवंशिक विविधता को जैव विविधता, फिटनेस की सुविधा, अनुकूलन और विकास का एक निर्माण खंड माना जाता है।
- प्रजाति की विविधता इस क्षेत्र में मौजूद आनुवांशिक रूप से भिन्न जीवों की विविधता है।
- किसी भी क्षेत्र में पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता अलग–अलग परिदृश्य पैटर्न है।

जैव विविधता में भिन्नता, प्रायः विवाद ग्रस्त और कभी–कभी असंगत समाजिक–सांस्कृतिक मूल्यों को भी शामिल किया जाता है। किसी भी पारस्थिति की तंत्र के संदर्भ में सांस्कृतिक पहलू महत्त्वपूर्ण हैं। तथापि, ''जैव विविधता'' शब्द की पारस्परिक समझ के लिए, समुदायों और सांस्कृतियों से सम्बद्ध उनके प्राकृतिक पर्यावरण से जुड़ी मान्यताओं, रीति–रिवाजों और रहन–सहन के विशिष्ट तौर–तरीकों का भी विश्लेषण किया जाता है। इस शब्द की सामान्य परिभाषा मानव को प्रकृति से असंबद्ध करती है। परंतु जब सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को संयुक्त किया जाता है, तो मानव और उनके पर्यावरण के बीच महत्त्वपूर्ण संबंध स्वीकार किया जाता है, जिसमें संस्कृति और प्रकृति एक–दूसरे से संबद्ध होकर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं।

भारतीय उप–महाद्वीप विस्तृत और विविधता वाले जैविक संसाधनों का आश्रय स्थल है, और इसका पारिस्थितिकी तंत्र न केवल सदियों से जीवन–यापन और जीविका के लिए साधन उपलब्ध कराता रहा है, बल्कि इस क्षेत्र में सभ्यता के विकास और इसके समग्र आध्यात्मिक और सांस्कृतिक लोकाचार का आधार रहा है। उन्होंनें उस पथ को तैयार किया है जिस पर आज हम चल रहें और हमें अद्‌भुत रूप से हमें विविधतापूर्ण और हमारे देश को विविधताओं वाला देश बनाने में अपना योगदान किया है। तथापि, हमारे जीवनयापन के मानकों में हो रहे इस सुधार से पर्यावरण और जैविक सम्पदा को क्षति हो रही है।

जैव विविधता के संरक्षण के महत्व को महसूस करते हुए, अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने 1992 में पृथ्वी शिखर समिति के दौरान एक कानूनी साधन नामक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी (सीबीडी) रखा था। इस सम्मेलन के हस्ताक्षरकर्ता भारत ने अपने प्रावधानों को लागू करने में नेतृत्व किया है, जिससे जैव विविधता के संरक्षण, इसके सतत उपयोग और लाभों का समान रूप से साझा किया जा रहा है। सीबीडी के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, भारत ने जैविक विविधता (बीडी) अधिनियम 2002 में अधिनियमित किया और 2004 में जैविक विविधता नियमों को अधिसूचित किया गया।

बीडी अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए, तीन–स्तरीय संस्थागत संरचना की स्थापना की गई है, जिसमें राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण (एनबीए), 2003 में भारत सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 8 के तहत स्थापित किया गया था, सर्वोच्च स्थिति में है। चेन्नई में मुख्यालय, यह राष्ट्रीय स्तर पर बीडी अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करता है। राज्य जैव विविधता बोर्ड (एसबीबी), बीडी अधिनियम की स्थापना के खंड 22 के तहत, राज्य स्तर पर संचालित है। अधिनियम की धारा 41 के अनुसार, 'स्थानीय निकाय' स्तर पर बनाई गई जैव विविधता प्रबंधन समितियां (बीएमसी) तीसरे स्तर का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये सभी वैधानिक निकाय हैं।

इसका उद्देश्य देश की जैव विविधता और संबंधित ज्ञान को संरक्षित करना है, इसके स्थायी उपयोग की सुविधा और यह सुनिश्चित करना है कि जैविक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त होने वाले लाभ निष्पक्ष और समान रूप से उन लोगों के साथ साझा किए गए हैं जो उनके संरक्षण, उपयोग और प्रबंधन में शामिल हैं।

एनबीए और इसके संबद्ध निकायों की संरचना, और 2016–17 के दौरान जैव विविधता के संरक्षण और स्थायी उपयोग के विभिन्न पहलुओं से संबंधित प्रयासों को निम्नलिखित अध्यायों में वर्णित किया गया है।

अध्याय

1

Photography: Ramendra Sundar Dey, Mohali

एनबीए की संरचना और भूमिका, संबंधित संवैधानिक निकाय और शासन

1.1 राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण की संरचना

राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण (एनबीए) का नेतृत्व जैव विविधता के सतत प्रबंधन में ज्ञान और अनुभव वाले एक एक अध्यक्ष, प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा किया जाता है। इसमें भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों से 10 पदेन सदस्य शामिल हैं, और पांच गैर–सरकारी सदस्य जो जैव विविधता प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं में विशेषज्ञ हैं।

1.1.1 धारा 8 की उप–धारा (4) के खंड (ए) के तहत नियुक्त अध्यक्ष

डॉ. बी. मीनाकुमारी, अध्यक्ष, राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण, चेन्नई।

1.1.2 धारा 8 के उप–धारा (4) के खंड (बी) के तहत नियुक्त किए गए पदेन सदस्य

केन्द्रीय सरकार द्वारा तीन व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है, अर्थात्, जनजाति कार्य मंत्रालय का संयुक्त सचिव के रैंक का एक प्रतिनिधि या एक समकक्ष रैंक का एक अधिकारी, और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के दो प्रतिनिधि – भारत सरकार के अपर वन महानिदेशक और संयुक्त सचिव।

1.1.3 धारा 8 के उप–धारा (4) की धारा (सी) के तहत नियुक्त पूर्व–पदेन सदस्य

केंद्रीय सरकार द्वारा संयुक्त सचिव के रैंक में सात पदेन सदस्य या एक समकक्ष रैंक का एक अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। वे निम्नलिखित विषयों से निपटते हैं :

i. कृषि अनुसंधान और शिक्षा
ii. जैव प्रौद्योगिकी
iii. महासागर विकास
iv. कृषि और सहकारिता
v. भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी प्रणाली
vi. विज्ञान और तकनीक
vii. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान

1.1.4 धारा 8 के उप–धारा (4) के खंड (डी) के तहत नियुक्त गैर–सरकारी सदस्य

पांच गैर–सरकारी सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किए जाते हैं। वे विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों (जैविक विविधता के संरक्षण, जैविक संसाधनों के स्थायी उपयोग और जैविक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के समान रूप से साझा करने से संबंधित मामलों में विशेष ज्ञान या अनुभव वाले), उद्योग के प्रतिनिधियों, संरक्षण ावादी और जैविक संसाधनों के निर्माता और ज्ञान धारकों के बीच में से चुना जाता है।

1.2 एनबीए का कार्य

- भारत सरकार को जैव विविधता परीक्षण, उसके भागों का संधारणीय उपयोग तथा जैविक संसाधनों के उपयोग में से प्राप्त लाभ का उचित और न्यायसंगत आबंटन पर सलाह देना।
- बीडी अधिनियम 2002 की धाराएं 3, 4 तथा 6 के साथ अनुसरण में गतिविधियों को नियंत्रित करना तथा जैविक संसाधनों से अभिगम के लिए तथा उचित तथा न्यायसंगत आबंटन के लिए मार्गदर्शिकाएं जारी करना। (कुछ व्यक्ति / नागरिक / संगठन को जैविक संसाधन और /या संबंधित ज्ञान उपयोग करने हेतु एनबीए का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना है।)
- भारत से प्राप्त किसी जैविक संसाधन या भारत से गैर – कानूनी तौर पर प्राप्त ऐसे जैविक संसाधन के साथ संबंधित ज्ञान पर भारत के बाहर किसी देश में बौद्धिक संपदा अधिकार प्रदान करने से विरोध करने संबंधित आवश्यक कदम लेना।
- विरासतीय स्थलों के रूप में अधिसूचित करने हेतु जैव विविधता प्रमुख क्षेत्रों को चयन करने में तथा उनकी व्यवस्था हेतु कदम सुझावित करने में राज्य सरकार को सलाह देना।
- पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर को तैयार करने के लिए राज्य जैव विविधता बोर्डों के माध्यम से जैव विविधता प्रबंधन समितियों को मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता प्रदान करें।
- जैविक विविधता अधिनियम के प्रावधानों को अपनाने के लिए आवश्यक अन्य ऐसे गतिविधियों को निष्पादन करना।

Photography: Vanam Sharath, Warangal

1.3 राज्य जैव विविधता (एसबीबी)

अधिनियम की धारा 22 के साथ अनुपालन में राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य सरकारों द्वारा एसबीबी को स्थापित किया जाता है। (एनबीए ही संघ राज्य क्षेत्रों में एसबीबी के अधिकारों और कार्यों का अभ्यास करती है।) केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्टानुसार एक व्यक्ति या व्यक्तियों के दल को अपने सभी या किसी अधिकार या कार्य को एनबीए प्रत्यायोजित कर सकता है। एसबीबी में एक अध्यक्ष, संबंधित विभागों को प्रतिनिधित्व करने वाले पांच पदेन सदस्य तथा जैव विविधिता के परिरक्षण, जैविक संसाधनों के संधारणीय उपयोग और उनके उपयोग से प्राप्त लाभों का उचित तथा न्यायसंगत आबंटन से संबंधित विभिन्न विषयों पर गहरे ज्ञान के साथ पांच विशेषज्ञ सदस्य होंगे।

1.3.1 एसबीबी का कार्य

- जैव विविधता के परिरक्षण से संबंधित विषयों पर, उसके भागों के संधारणीय उपयोग पर तथा जैविक संसाधनों के उपयोग में प्राप्त लाभों के न्यायसंगत आबंटन में केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शिकाओं के तहत, राज्य सरकार को सलाह देना।
- भारतीयों द्वारा किसी जैविक संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग या जैव सर्वेक्षण या जैव – उपयोग के लिए विनती पर अनुमोदन प्रदान करते हुए या उसके विपरीत, नियंत्रित करना।
- राज्य सरकार द्वारा निर्धारित या अधिनियम के प्रावधानों को अपनाने के लिए आवश्यक अन्य ऐसे कार्यों को निष्पादन करना।

1.4 जैवविविधता प्रबंधन समितियां (बीएमसी)

बीडी अधिनियम की धारा 41 के अनुसार अपने अधिकार क्षेत्र में, जैवविविधता प्रबंधन समितियों को, आवास परिरक्षण, जमीन, लोक प्रजाति और किस्मों का, प्राणियों के देशीकृत स्टॉक तथा प्रजजन तथा सूक्ष्म जीवों का संरक्षण तथा जैविक विविधता से संबंधित ज्ञान का इतिवृत्त करना सम्मिलित करके परिरक्षण को, संधारणीय उपयोग तथा जैविक विविधिता के दस्तावेजीकरण को प्रोन्नत करके क्षेत्रीय निकाय गठन करते हैं। इसमें क्षेत्रीय निकाय द्वारा नामांकित अध्यक्ष और छह व्यक्ति सम्मिलित है, जिसमें से एक तिहाई महिला होंगी और 18 प्रतिशत अनुसूचित जाति / जनजाति के व्यक्ति होंगे।

1.4.1 बीएमसी के कार्य

- क्षेत्रीय व्यक्तियों के साथ परामर्श में, जन जैवविविधता पंजी (पीबीआर) की तैयारी, रखरखाव तथा प्रमाणीकरण। प्रदान किए गए जैविक संसाधनों तथा परंपरागत ज्ञान से अभिगम, आरोपित शुल्क वसूली संबंधित विवरण और प्राप्त लाभ संबंधित विवरण और उसके आबंटन संबंधित तरीकों के बारे में विवरण देने वाले पंजी का बीएमसी द्वारा रखरखाव किया जाना है।
- अनुमोदन प्रदान करने के लिए प्राधिकारी या राज्य जैवविविधता बोर्ड से संदर्भित किसी विषय पर सलाह देना।
- जैविक संसाधनों को उपयोग करने वाले क्षेत्रीय वैद्य तथा प्रैक्टिशनरों के बारे में आंकड़े का रखरखाव।

1.5 केंद्र तथा राज्य सरकारों की भूमिका

- राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राज्य जैवविविधता बोर्ड और जैव विविधता प्रबंधन समितियां स्थापित करना।
- जैविक विविधता के परिरक्षण, प्रान्नयन तथा संधारणीय उपयोग के लिए राष्ट्रीय कार्यनीतियां, योजनाएं और कार्यक्रम विकसित करना।
- जैवविविधता – संवृद्ध आवासों को, जो अति उपयोग, दुरुपयोग और लापरवाही के कारण संकट में पड़े हैं उनकी सुरक्षा के लिए संबंधित राज्य सरकारों को तत्काल सुधार के कदम उठाने के लिए निर्देश देना।
- संबंधित क्षेत्र या विषम क्षेत्रगत योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों में जैविक विविधता का परिरक्षण, प्रोन्नत तथा संधारणीय उपयोग को संकेंद्रित करना। एनबीए द्वारा सिफारिश किए अनुसार, जैविक विविधता से संबंधित क्षेत्रीय व्यक्तियों के ज्ञान को आदर प्रदान करने तथा सुरक्षा प्रदान करने संबंधित कदम।
- पर्यावरण तथा जैवविविधता पर परियोजनाओं के प्रभाव का आकलन करना तथा जैविक विविधता और मानव स्वास्थ्य के परिरक्षण तथा संधारणीय उपयोग पर जीवित संशोधित जीवों के उपयोग / विमोचन संबंधित जोखिम और प्रतिकूल प्रभाव का नियंत्रण, व्यवस्थित करना।
- केंद्र सरकार एनबीए के साथ परामर्श कर सकती है,

  क) संकट में पड़ी प्रजातियों को अधिसूचित करना और उनकी एकत्रण, पुनर्वास और परिरक्षण को निषिद्ध करना या नियंत्रित करना।

  ख) विभिन्न वर्गों के जैविक संसाधनों के संग्राहक रूप में संस्थाओं को अभिहित करना।

  ग) व्यापार किए जाने वाले कुछ जैविक संसाधनों को छूट प्रदान करना।
- राज्य सरकारों, क्षेत्रीय निकायों के साथ परामर्श में, जैव विविधता पैतृक क्षेत्रों को अधिसूचित करेगा और सभी पैतृक क्षेत्रों की व्यवस्था तथा परिरक्षण के लिए नियम गठित करेगा (केंद्र सरकार के साथ परामर्श में) और बाधित व्यक्तियों के क्षतिपूर्ति /पुनर्वास के लिए योजनाओं का शुभारंभ करेगा।

Photography: Nejib Ahmed, Assam

अध्याय

2

Photography: Nagaraju PVS, Muthayapalem

2016–17 के दौरान एनबीए की बैठकें

एनबीए ने बीडी अधिनियम, 2002 और नियम 10 की धारा 12 के अनुसार, विभिन्न मुद्दों पर विचार–विमर्श करने और एनबीए सचिवालय को उचित कार्रवाई के लिए दिशा–निर्देश/सुझाव देने के लिए वर्ष के दौरान चार बार बैठक की। इसके अलावा, प्राधिकरण ने प्रवेश और लाभ साझेदारी (एबीएस) पर विशेषज्ञ समितियों के सिफारिश के साथ एबीएस आवेदन पत्रों पर विचार किया और एनबीए सचिवालय को निर्णय / सुझाव दिया। बैठक में विचार विमर्श किए गए एजेन्डा तथा परिणाम नीचे दिए जा रहे हैं :

2.1 38वीं एनबीए बैठक

एनबीए की 38वीं बैठक 4 जुलाई 2016 को चेन्नई में डॉ. बी. मीनाकुमार, अध्यक्ष, एनबीए की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा शामिल थी :

- 18 मई 2016 को आयोजित एबीएस की कार्यकारी समिति की 38वीं बैठक की कार्यवाही
- पर्यावरण, पौधों और जंतुओं के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान की मान्यता में विभिन्न संगठनों को पुरस्कार और अध्येतावृत्ति देने का प्रस्ताव
- अपूर्ण दीर्घ अवधि लंबित अनुप्रयोगों को बंद करने की प्रक्रिया
- जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के तहत प्राप्त आवेदनों के समापन के लिए प्रक्रिया में एक संशोधन
- जैविक विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 22 के उप–धारा (2) के अनुसार संघ राज्य क्षेत्रों में जैव विविधता परिषद की स्थापना
- भारत में कुछ संवर्धन संग्रह केंद्रों के प्रतिनिधियों ने भारतीय शोधकर्ताओं / वैज्ञानिकों द्वारा विदेशी भंडारगृह में सूक्ष्म जीवों की जमा राशि पर एनबीए के निर्णय के संबंध में प्रतिनिधित्व किया है।
- वर्ष 2015–16 के लिए वार्षिक लेखा

2.2 39वीं एनबीए बैठक

एनबीए की 39वीं बैठक 14 अक्टूबर, 2016 को एनबीए में आयोजित की गई थी। डॉ. बी. मीनाकुमारी अध्यक्ष थी। चर्चा के अंतर्गत विषय शामिल थे :

- जैव विविधता प्रबंधन समितियों के संचालन के लिए संशोधित दिशानिर्देश
- पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर को डिजिटाइज़ करने का प्रस्ताव
- राज्य सरकारों और राज्य जैव विविधता बोर्डों के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम
  - सार्वजनिक हित में पेटेंट रद्द करने के लिए पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 66 के तहत कार्रवाई शुरू करना
  - 104वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस (3–7 जनवरी, 2017) में जैव विविधता पर एक सत्र का आयोजन।

2.3 40वीं एनबीए बैठक

राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण की 40वीं बैठक 21 दिसंबर, 2016 को नई दिल्ली में डॉ. बी. मीनाकुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। जिन विषयों पर चर्चा की गई उनमें शामिल हैं :

- 26 सितंबर, 2016 को आयोजित एबीएस पर विशेषज्ञ समिति की 39वीं बैठक की कार्यवाही
- 19 नवंबर 2016 को आयोजित एबीएस पर विशेषज्ञों की समिति की 40वीं बैठक की कार्यवाही
- धारा 3 (2) के तहत आने वाले व्यक्तियों द्वारा गैर–वाणिज्यिक अनुसंधान के लिए फॉर्म–1 आवेदन को स्पष्ट करने के लिए अध्यक्ष, एनबीए को अधिकृत करने का प्रस्ताव।

- आंध्र प्रदेश वन विभाग द्वारा रेड सैंडर्स की लकड़ी तक पहुंच के फायदे साझाकरण घटक से अर्जित निधि जारी करने के प्रस्ताव
- 30 सितंबर और 1 अक्टूबर 2016 को आयोजित राज्य जैव विविधता बोर्डों की 11वीं राष्ट्रीय बैठक का परिणाम
- एनबीए अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति उपदान और मृत्यु उपदान का कार्यान्वयन
- एनबीए अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए संशोधित आश्रित कैरियर प्रगति (एमएसीपी) का कार्यान्वयन
- एनबीए में 58 पदों के निर्माण के लिए संशोधित प्रस्ताव

- डीएफपीआर के तहत अनुमोदन के प्राथमिक इकाइयों के संदर्भ में नियमित बजट प्रमुख और उद्देश्य प्रमुख
- वर्ष 2017–2018 के लिए बजट और 30.11.2016 को व्यय स्थिति
- तमिलनाडु राज्य जैव विविधता बोर्ड को लाभ साझा राशि का 95 प्रतिशत जारी
- पीपल्स जैव विविधता रजिस्टर के डिजिटलीकरण के लिए प्रस्ताव।
- रेड सैंडर्स पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट
- तमिलनाडु के दक्षिणी तटीय जिलों में समुद्री जल के कथित हानिकारक प्रभावों (कप्पैफ़्युकलवारेज़ी) के राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान की रिपोर्ट
- वर्ष 2004 से पहले बीडी अधिनियम के दायरे से भरे गए आईपीआर आवेदनों को छूट देना
- 28 सितंबर 2016 को आयोजित कृषि–जैव विविधता पर विशेषज्ञों की समिति की 6वीं बैठक की कार्यवाही
- आम तौर पर कारोबारी वस्तुओं पर विशेषज्ञों की समिति की 12वीं बैठक की कार्यवाही
- एनबीए में छात्रों, अनुसंधान छात्रवृत्ति / अध्येताओं और अखिल भारतीय सेवा परिवीक्षाधीनों के लिए सलाहकारों को नियुक्त की योजना और इंटर्नशिप शुरू करने की योजना।

2.4 41वीं एनबीए बैठक

41वीं एनबीए की बैठक 27 मार्च, 2017 को नई दिल्ली में डॉ. बी. मीनाकुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। एजेंडे पर महत्वपूर्ण मद शामिल थे

- 6 और 7 फरवरी, 2017 को आयोजित एबीएस पर विशेषज्ञों की समिति की 41वीं बैठक की कार्यवाही
- 7 मार्च, 2017 को आयोजित एबीएस विशेषज्ञ समिति की 42वीं बैठक की कार्यवाही

4 आयोजित बैठकें

अध्याय

3

Photography: Sumanta Basu, Singur

एनबीए द्वारा गठित समितियां – और उनकी गतिविधियां

वर्ष के दौरान, जैविक विविधता अधिनियम 2002 की धारा 13 के अनुसार प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित समितियां गठित की गई, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसके तहत बनाए गए अधिनियम और नियमों के विभिन्न प्रावधानों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया गया है:

3.1. अभिगम तथा लाभ आबंटन (एबीएस) पर विशेषज्ञ समिति

यह विशेषज्ञ समिति मूल्यांकन करती है

- अनुसंधान के लिए जैविक संसाधनों और / या संबंधित ज्ञान से अभिगम के लिए पूर्व अनुमोदन मांगते हुए
- जैव सर्वेक्षण और जैव उपयोग तथा वाणिज्यिक उपयोग
- अनुसंधान परिणामें के अंतरण
- जैविक संसाधनों पर अनुसंधान या सूचना पर आधारित आविष्कार के लिए बौद्धिक संपत्ति अधिकार प्राप्त करने के लिए
- एनबीए द्वारा प्राप्त तीसरे पक्ष के लिए जैविक संसाधनों तक पहुंच का अंतरण
- एनबीए द्वारा संदर्भित किए जाने के दौरान तकनीकी – कानूनी मुद्दे

समिति की सिफारिशों को प्राधिकरण (एनबीए के शासी निकाय) के समक्ष रखा जाता है। वर्ष के दौरान, समिति की पांचवीं बैठक आयोजित की गई थी अर्थात 18 मई, 2016, 26 सितंबर, 2016, 19 नवंबर 2016, 6 और 7 फरवरी 2017 और 7 मार्च 2017, और लगभग 360 आवेदनों का मूल्यांकन किया। इसके अलावा विशेषज्ञ समिति ने गैर – जैविक संसाधनों से अभिगम, जैविक संसाधनों के उपयोग के लिए बिना विकसित ढांचे के दावे पर बीडी अधिनियम की प्रयोज्यता तथा अग्रिम भुगतान आरोपित करने संबंधित तौर – तरीके जैसे विभिन्न आनुवंशिक समस्याओं पर तकनीकी – कानूनी इनपुट प्रदान किया।

इसके अतिरिक्त, बीडी अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए एबीएस पर विशेषज्ञों की समिति द्वारा गठित उप–समिति ने दो बार बैठक की और विचार–विमर्श के लिए विशेषज्ञों की समिति को रिपोर्ट सौंपी। आयोग की सिफारिश को शामिल करने वाली रिपोर्ट को प्राधिकरण के समक्ष रखा गया था। उचित विचार के बाद, एनबीए ने आगे की कार्रवाई के लिए मंत्रालय को रिपोर्ट का संदर्भ देने का निर्णय लिया है।

3.2. रेड सेन्डर्स लकड़ी से अभिगम पर एनबीए द्वारा एहसास किए गए लाभ आबंटन के उपयोग के लिए व्यापक नीति विकसित करने के लिए रेड सेन्डर्सपर विशेषज्ञ समिति की बैठक

दिसंबर, 2014 को आयोजित 32वीं प्राधिकरण बैठक में, यह निर्णय लिया गया कि रेड रेन्डर्स के निर्यात से एनबीए / एसबीबी द्वारा एहसास किए गए रकम को रेड सेन्डर्स की सुरक्षा, परिरक्षण तथा संधारणीय उपयोग की ओर व्यापक नीति विकसित करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करना है। इसके बाद मार्च 2015 को 'रेड सेन्डर्स पर विशेषज्ञ समिति' का गठन किया गया। वर्ष 2016–17 के दौरान विशेषज्ञ समिति की चार बैठक अर्थात 8 और 9 जुलाई, 2016, 11 और 12 अगस्त, 2016, 14 और 15 फरवरी, 2017 तथा 28 फरवरी 2017 को विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।

आगे, रेड सेन्डर्स पर विशेषज्ञ समिति ने विशेषज्ञ समिति की अंतिम रिपोर्ट तैयार करने के लिए मसौदा समिति का गठन किया। इसके अनुसार, 30 अगस्त, 2016 और 18 जनवरी, 2017 के बीच में सात बार समौदा समिति बैठक की गई और रेड सेन्डर्स पर विशेषज्ञ समिति की अंतिम रिपोर्ट तैयार की गई। रिपोर्ट को विशेषज्ञ समिति की 11वीं बैठक के दौरान पेश किया गया था और चर्चा के बाद उसे मंजूरी दे दी गई थी। रेड सेन्डर्स की विशेषज्ञ समिति ने आधिकारिक तौर पर 28 फरवरी, 2017 को एनबीए को रिपोर्ट पेश की। प्राधिकरण ने इसकी 41वीं बैठक के दौरान इसे माना और स्वीकृति प्रदान की।

3.3. जांच बिंदुओं को अभिहित करने पर मसौदा अधिसूचना को ठीक करने के लिए मुख्य विशेषज्ञ समूह की बैठक तथा अभिगम व लाभ आबंटन पर नगोया प्रोटोकॉल का कार्यान्वयन करने के लिए उपयोग करने वाले देश

32वीं प्राधिकरण बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन में, कार्यकारी आदेश के रूप में अधिसूचना हेतु एबीएस पर नगोया प्रोटोकाल लागू करने के लिए जांच बिंदु और प्रयोक्ता भूभाग उपायों को निर्धारित करने हेतु एनबीए ने पर्यावरण, वन, एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को मसौदा अधिसूचना प्रस्तुत की है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सूचित किया है कि कार्य निष्पादन को ध्यान में रखते हुए भेजी गई मसौदा अधिसूचना पर सीईबीपीओएल की कार्य योजना के अंतर्गत विचार कर संशोधित किया जा सकता है। एनबीए से प्राप्त सूचना के साथ सीईबीपीओएल द्वारा मसौदा अधिसूचना को संशोधित किया गया। सीईबीपीओएल द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अनुसरण में मसौदा अधिसूचना की पुनः जांच करने और इसे अंतिम रूप देने के लिए एक विशिष्ट विशेषज्ञ समूह (सीईजी) का भी गठन किया गया।

इसके बाद, सीईजी के कुछ सदस्यों ने 6 फरवरी, 2016 को अनौपचारिक रूप से बैठक की और मसौदा अधिसूचना को संशोधित किया। उसके बाद, 23 अगस्त, 2016 को एमओईएफसीसी और औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीच हुई बैठक में किए गए निर्णय के अनुसरण में, विभाग का नामांकित व्यक्ति 22 नवंबर, 2016 को सीईजी के सदस्य के रूप में शामिल किया गया था।

नई दिल्ली में 3 मार्च 2017 को सीईजी की बैठक में जांच चौकियों और प्रयोक्ता देश के उपायों के पद से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई।

3.4. जैव विविधता प्रबंधन समितियों के लिए दिशानिर्देशों को संशोधित करने के लिए विशेषज्ञ समिति

जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) के संचालन के लिए दिशानिर्देश 2013 में राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण द्वारा विकसित किए गए थे। राज्य जैव विविधता बोर्डों ने बीएमसी बनाने और प्रबंधन करने के लिए दिशानिर्देशों का पालन किया। अपने क्षेत्र अनुभव के आधार पर, कई राज्यों ने दिशानिर्देशों के संशोधन के लिए सुझाव और इनपुट प्रदान किए। नतीजतन, एनबीए ने दिशानिर्देशों को संशोधित करने के लिए बीएमसी पर विशेषज्ञों की समिति का गठन किया। समिति ने दो बार बैठक की – 16 जुलाई, 2016 और 24 अगस्त 2016 को हितधारकों से प्राप्त सुझाव / सूचनाओं पर चर्चा की। चर्चाओं के आधार पर, समिति ने अपनी रिपोर्ट संशोधित दिशानिर्देशों के साथ प्रस्तुत की। एनबीए ने अपनी 39 वीं बैठक में रिपोर्ट को माना और मसौदा दिशानिर्देशों को ठीक करने के लिए एक लघु समूह बनाया।

3.5 वर्तमान समझौता प्रारूपों को पुनरीक्षण करने के लिए विशेषज्ञ समिति

32वीं एनबीए बैठक में लिए गए निर्णयों के आधार पर, जैविक संसाधन और उनसे संबंधित ज्ञान और लाभ सहभाजन संकल्प, 2014 की जानकारी प्राप्त करने, और एबीएस पर गठित नगोया प्रोटोकाल के अनुपालन में दिशानिर्देशों की अधिसूचना जैसे हालिया उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए मौजूदा करार में संशोधन हेतु एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। विशेषज्ञ समिति की जून, 2016 में बैठक की गई और इसके बाद विचार–विमर्श हेतु एनबीए को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। अब बीडी अधिनियम के अधीन आवेदकों के साथ किए गए करार में इस संशोधित प्रारूप को उपयोग किया जा रहा है।

3.6 आम तौर पर व्यापार की जाने वाली वस्तुओं पर विशेषज्ञों की समिति की 12वीं बैठक

एनबीए ने 19 दिसंबर, 2016 को एनबीए, चेन्नई में सह–अध्यक्ष के रूप में श्री सी अचलेंदर रेड्डी, आईएफ़एस, के साथ श्री डी के वेद, आईएफएस (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में सामान्यतः व्यापारित वस्तुओं (प्रथम पुनःगठित निकाय) पर विशेषज्ञ समिति की 12वीं बैठक का आयोजन किया। विशेषज्ञ समिति ने एमईआईएस स्कीम में सेल (शोररोबुस्टा), कोकुम (गार्सिनिया इंडिका) और मैंगो (मंगेरी नेंडिका) को शामिल करने से संबंधित माननीय सांसद (एलएस), श्री. रमेश बैस द्वारा निर्मित प्रस्तुतीकरण के साथ भारतीय पेपर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (आईपीएमए), शैलैक एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (एसएचईएफएक्सआईएल), उत्तराखंड जड़ी–बूटी एवं किरण एसोसिएशन, कृषि विभाग, सहकारिता एवं किसान कल्याण (डीएसी और एफडब्ल्यू), एमओए एंड एफडब्ल्यू तथा समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) से प्राप्त प्रस्तावों को माना।

3.7 भारतीय जैव विविधता पुरस्कार (आईबीए) पर विशेषज्ञ समिति

एनबीए ने अपनी 38वीं बैठक में भारत में जैव विविधता के क्षेत्र में उपलब्धियों की मान्यता में पुरस्कार देने के लिए प्रक्रिया, श्रेणियों, चयन प्रक्रिया, निधि प्रवाह तंत्र आदि तैयार करने के लिए एक समिति का गठन करने का निर्णय लिया। यह भी सुझाव दिया गया था कि एमओईएफ एंड सीसी – यूएनडीपी भारतीय जैव विविधता पुरस्कार द्वारा एक समान अभ्यास में शामिल विशेषज्ञों को समिति में शामिल किया जाना चाहिए।

तदनुसार, भारतीय जैव विविधता पुरस्कार की संस्था पर चर्चा के लिए 11 जनवरी, 2017 को प्रो. एम. एस. स्वामिनाथन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। समिति ने महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की और विषय पर एक व्यापक प्रस्ताव विकसित किया। समिति ने 'भारत जैव विविधता पुरस्कार' के पुरस्कारों का नाम देने का निर्णय किया, इस प्रकार सभी श्रेणियों (संरक्षण, सृजनशील उपयोग, पहुंच और लाभ साझाकरण और शासन) के पुरस्कारों को प्राप्त करना।

चयन समिति के लिए व्यापक दिशानिर्देश, चयन के विभिन्न चरणों के लिए समयसीमा, आवेदन प्रारूप और मूल्यांकन मानदंड यूएनडीपी द्वारा विकसित किए गए थे और अंतिम परिणामों और टिप्पणियों के लिए समिति के सदस्यों को परिचालित किए गए थे। समिति ने दो वर्षों में एक बार दिए जाने के लिए चार श्रेणियों के पुरस्कारों का सुझाव दिया :

1. संरक्षण
2. जैविक संसाधनों का स्थायी उपयोग
3. पहुंच और लाभ साझा करने के लिए सफल तंत्र / मॉडल
4. बीएमसी के साथ जैव विविधता प्रशासन की सर्वश्रेष्ठ जैव विविधता प्रबंधन समिति / संस्थाएं।

कुल अवार्डों का संख्या 8 करते हुए, पृथक रूप से पहचान दिलाने के लिए, प्रथम श्रेणी को पुनः दो श्रेणियां–व्यक्तिगत और–संस्थान में विभाजित किया गया। कमेटी ने अनुभव किया कि इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय अवार्ड को प्राप्त करने वालों को सार्वजनिक रूप से पहचान मिले और साथ ही यह प्रस्ताव किया कि इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार जैसे इसी श्रेणी के अन्य पुरस्कारों की भांति प्रत्येक पुरस्कार के लिए नकद पुरस्कार बढ़ा कर 5 लाख रुपए किया जाए। अवार्ड की प्रामाणिता सुरक्षित रखने और विवादों से दूर रहने के लिए, यह प्रस्ताव किया गया कि भारतीय जैव विविधता अवार्ड के लिए अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण/पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्राल द्वारा ही वित्तीय व्यवस्था की जाए।

समिति ने जोरदार अनुशंसा की कि यूएनडीपी भारत जैव विविधता पुरस्कार 2018 के लिए ज्ञान और सुविधा साझीदार के रूप में कार्य करे और आईबीए के तीन दौर सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के अपने अनुभव के आधार पर पुरस्कारों के आयोजन और आयोजित करने में एनबीए की सहायता करे।

3.8 आक्रामक विदेशी प्रजाति के विशेषज्ञों की समिति

आक्रामक विदेशी प्रजातियों पर विशेषज्ञ समिति (ईसी) की पहली बैठक 12 जनवरी, 2017 को एनबीए चेन्नई में आयोजित की गई थी। बहुत अधिक हानिकारक प्रजातियों की पहचान कर भारत में मौजूद आक्रामक विदेशी प्रजातियों की विस्तृत सूची तैयार करने, और इनके प्रभावी प्रबंधन हेतु कार्यान्वयन योग्य कार्यनीतियां तैयार करने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया था। विभिन्न प्रकार की प्रस्तावित प्रजातियों के बीच विभेद करने के लिए शब्दावली के मानकीकरण, विदेशी आक्रामक प्रजातियों द्वारा उत्पन्न बढ़ रहे संकट, संरक्षित क्षेत्रों में आक्रामक विदेशी प्रजातियों के प्रभाव, इस प्रकार की विदेशी प्रजातियों की रोकथाम, नियंत्रण, उन्मूलन और प्रबंध की आवश्यकता, द्वीपों में इन प्रजातियों की रोकथाम और जैव विविधता पर विदेशी आक्रामक प्रजातियों के प्रभाव को कम करने के लिए सभी हितधारकों को जागरूक करने बनाने की अति आवश्यकता सहित ऐसे अनेक मुद्दों पर समिति ने परिचर्चा की। चर्चा के आधार पर, भारत में आक्रामक विदेशी प्रजातियों के संदर्भ में कैसे कार्रवाई करें, इस विषय पर समिति ने कुछ संस्तुतियां दीं।

8 समितियों का गठन

अध्याय

4

Photography: Augustin Joseph, Hyderabad

जैविक संसाधनों तक पहुंच विनियमित करने की गतिविधियां और संबद्ध पारंपरिक ज्ञान, और निष्पक्ष तथा साम्य लाभ साझा करने को प्रोत्साहन

4.1 राज्य जैव विविधता बोर्ड

सभी 29 राज्यों ने राज्य जैव विविधता बोर्ड (एसबीबी) की स्थापना की है। भारत के संघ राज्य क्षेत्रों में जैव विविधता परिषदों / निकायों का गठन कर जैविक विविधता अधिनियम, 2002 को कार्यान्वित करने के लिए इसी तरह की पहल की जा रही है। 29 एसबीबी में से 25 ने अपने राज्य के नियमों को अधिसूचित किया है, जिसमें गोवा, पंजाब और उत्तराखंड शामिल हैं, जो कि विचाराधीन अवधि के दौरान अपने नियमों को अधिसूचित करता है। प्रिंट करने के समय तक, पूरे देश में 62,502 बीएमसी का गठन किया गया और 5,466 पीबीआर तैयार किए गए।

जैविक विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 37 के तहत जैव विविधता विरासत स्थलों (बीएचएस) की घोषणा

वर्ष 2016–17 में, असम, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश राज्यों ने जैविक विविधता अधिनियम की धारा 37 के प्रावधानों के तहत जैव विविधता विरासत स्थलों के रूप में तीन क्षेत्रों को घोषित किया। यहाँ विवरण हैं :

4.2 एसबीबीएस को एनबीए द्वारा बढ़ाई गई वित्तीय सहायता

एनबीए संस्थागत तंत्र को मजबूत बनाने और बीडी अधिनियम के कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करने की दिशा में सहायता अनुदान द्वारा सभी एसबीबी को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस संदर्भ में एनबीए ने देश भर में 581 पीबीआर की तैयारी के लिए 418 नए बीएमसी बनाने और 5,02,15,000 रुपए के निर्माण के लिए 2,02,19,888 रुपए जारी किए। इसके अलावा, इसमें जनशक्ति, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, सहकर्मी–सहकर्मी अधिगम के विनिमय दौरे, ज्ञान सामग्रियों के मुद्रण और प्रसार, 2016–17 के दौरान संबंधित राज्यों के विषयगत विशेषज्ञ समितियां और वेबसाइट रखरखाव के गठन की दिशा में 22 राज्यों के लिए 2,41,92,767 रुपए की वित्तीय सहायता जारी की।

सं.	राज्य	नाम	स्थान	अधिसूचना सं.
1	तेलंगाना	अमीनपुर झील	संगारेड्डी जिला	449 / ईएफएसएंडटी (फॉर. ।।) विभाग, दिनांक 21.11.2016
2	असम	माजुली नदी द्वीप	मजुली जिला	एफआरडब्ल्यू 57 / 2005 / वॉल्यूम ।। / 14 दिनांक 29.03.2017
3	उत्तर प्रदेश	घडियाल पुनर्वास केंद्र	कुकरैल, लखनऊ	सं. 1348 / ग्टप्5–2016–15 / 2016 दिनांक 11.08.2016

4.3 जैव विविधता पर जागरूकता कार्यक्रम के लिए एनबीए को सहायता अनुदान

जैविक विविधता अधिनियम, 2002 को कार्यान्वित करने के अपने मूल जनादेश की प्रासंगिकता के साथ, एनबीए सीमित सीमाओं तक विश्वविद्यालयों / कॉलेजों, शैक्षणिक संस्थानों, राज्य जैव विविधता बोर्डों आदि की गतिविधियों, जागरूकता कार्यक्रमों और सम्मेलनों का समर्थन करता है। एनबीए समय–समय पर जैव–विविधता पर नए और मूल कार्यों के प्रकाशन या दस्तावेज़ीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। उपरोक्त गतिविधियों के समर्थन में, एनबीए ने वर्ष 2016–17 के दौरान 50,88,534.00 रुपए की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी। 2016 में प्रस्तावों की जांच समिति (पीएससी) का पुनर्गठन किया गया था, और वर्तमान में इसमें तीन बाहरी और तीन आंतरिक सदस्य शामिल हैं।

4.4 राज्य जैव विविधता बोर्डों और संघ राज्य क्षेत्रों की बैठक

चेन्नई में 10 मई 2016 को एसबीबी की पहली क्षेत्रीय बैठक

वर्ष के दौरान, छोटे समूहों के साथ निकट से परिचर्चा करने और उनकी समस्याओं और चुनौतियों को समझने के उद्देश्य से क्षेत्र वार छोटे–छोटे समूहों में एसबीबी की बैठकें आयोजित की गईं। चेन्नई में आयोजित पहली बैठक में, आंध्रप्रदेश, गोवा, कनार्टक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और तेलंगाना के राज्य जैव विविधता बोर्डों ने भाग लिया। एसबीबी की सम्पूर्ण कार्यप्रणाली, बीएमसी के गठन, पीबीआर की संरचना, पहुंच और लाभ साझाकरण, जैवविविधता विरासत स्थलों (बीएचएस) की घोषणा तथा खतनाक प्रजातियों से संबंधित मामलों पर चर्चा की गई। गोवा सरकार के पंचायत, पर्यावरण एवं वन माननीय मंत्री श्री राजेंद्र वी. अर्लेकर और गोवा एसबीबी के अध्यक्ष ने बैठक में भाग लिया। राज्य जैवविविधता बोर्डों के प्रतिनिधियों ने अपनी राय साझा की और अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में बीडी के कार्यावन्यन से संबधित की जा रही गतिविधियों में हुई प्रगति से अवगत कराया।

नई दिल्ली में 6 जून 2016 को एसबीबी की दूसरी क्षेत्रीय बैठक

गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब के एसबीबी के साथ दूसरी क्षेत्रीय बैठक बुलाई गई थी। बैठक में डॉ. अमीता प्रसाद, अपर सचिव, एमओईएफसीसी, डॉ. सुजाता अरोड़ा, सलाहकार, एमओईएफसीसी और मंत्रालय के अधिकारियों के साथ एनबीए के अध्यक्ष और सचिव ने बैठक में भाग लिया। अपर सचिव बीएमसी नेटवर्क को 2020 तक पूरा करना चाहते थे और पंचायतों की समग्र निधियां जैव विविधता से संबंधित मामलों के लिए उपयोग की गई। श्रीमती प्रसाद ने समग्र वस्तु के लिए स्वास्थ्य और आजीविका के साथ जैव विविधता के एकीकरण के लिए आमंत्रण दिया, और कारण को बढ़ावा देने के लिए एक ब्रांड एंबेसडर या जैव विविधता के चैंपियन की नियुक्ति का सुझाव दिया।

कोलकाता में 22 अगस्त, 2016 को एसबीबी की तीसरी क्षेत्रीय बैठक

अरुणाचल प्रदेश, असम, हरियाणा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, सिक्किम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के राज्य विविधता बोर्ड ने 3 क्षेत्रीय बैठक में भाग लिया। एनबीए ने भागीदारी कार्यक्रमों में प्रवेश करने की इच्छा व्यक्त की यदि एसबीबी ने पंचायती राज जैसे राज्य विभागों के संबंध में स्थानीय भाषाओं में मॉड्यूल तैयार किए। एसबीबी को स्थानीय स्तर पर क्षमता निर्माण के लिए राज्य ग्रामीण विकास एजेंसियों या संस्थानों की मदद लेने के लिए भी अनुरोध किया गया।

4.5 संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारियों के साथ परामर्श

एक सलाहकार बैठक संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि अधिकारियों के साथ 18 जनवरी 2017 को चेन्नई में आयोजित हुई थी। यह मुख्य रूप से जैव विविधता अधिनियम, 2002 और एनबीए के अधिकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए संघ राज्य क्षेत्रों में संभावनाओं को कार्यान्वित करने की जरुरत और तात्कालिकता है। अंडमान एवं निकोबार प्रशासन, पुडुचेरी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया। यह निर्णय लिया गया कि संघ राज्य क्षेत्रों ने आवश्यक कार्रवाई के लिए एनबीए को अधिकारियों की एक संकेत सूची के साथ अपनी सहमति व्यक्त की।

एनबीए द्वारा 418 नई बीएमसी के गठन के लिए एनबीए द्वारा 2,02,19,888 रु. की राशि और 2016–17 के दौरान देश भर में 581 पीबीआर तैयार करने के लिए 5,02,15,000 रु. की राशि जारी की गई।

अध्याय

5

Photography: Aashish Vyas, Mumbai

जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के तहत दिए गए अनुमोदन

5.1 पहुंच और लाभ साझाकरण (एबीएस)

जैविक संसाधनों, भागों के संधारणीय उपयोग तथा उसके उपयोग से प्राप्त लाभों का उचित तथा न्यायसंगत वितरण जैविक विविधता अधिनियम, 2002 का उद्देश्य है। इसके अनुसार, अनुसंधान के लिए जैविक संसाधनों और / या संबंधित ज्ञान से अभिगम गतिविधियों को नियंत्रित करना, बौद्धिक संपदा अधिकार प्राप्त करना, अनुसंधान के परिणामों का अंतरण और अभिगमित जैविक संसाधनों और / या संबंधित ज्ञान का अंतरण राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का अधिदेश है। आवेदक द्वारा अनुपालन किये जाने योग्य प्रक्रियाओं को अधिनियम की धारा 3, 4, 6, 19 तथा 20 में तथा एबीएस नियंत्रण 2014 में उल्लिखित किया गया है।

एनबीए द्वारा विभिन्न हितधारकों अर्थात गैर भारतीय व्यक्ति या संस्थाओं और भारतीय व्यक्ति या संस्थाओं से इसके संबंध में आवेदनों को प्राप्त करता है। आवेदनों का प्रयोजन के लिए गठित विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा परीक्षण किए हैं।

आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी नीचे दी गई तालिका में हैं :

एनबीए की स्थापना के बाद से, 1677 आवेदन विभिन्न हितधारकों से प्राप्त हुए हैं (विवरण नीचे देखें)। विचाराधीन अवधि के दौरान, एनबीए ने 496 आवेदन प्राप्त किए।

5.2 साकार किए गए लाभ आबंटन

इस अवधि के दौरान, एनबीए ने अग्रिम भुगतान, रॉयल्टी आदि सहित लाभ साझा करने के रूप में 12.49 करोड़ रुपए के कुल को साकार किया गया।

रेड सैंडर्स की पहुंच पर प्राप्त किए गए लाभ की साझेदारी राशि में, एनबीए ने प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित रेड सैंडर्स पर विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के अनुसार आंध्र प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड के माध्यम से आंध्र प्रदेश वन विभाग को पहली किस्त के रूप में तीन करोड़ रुपए की राशि वितरित की है।

एनबीए ने राज्य के चार दक्षिणी तटीय जिलों में लाभार्थियों को बांटने के लिए तमिलनाडु जैव विविधता बोर्ड को 32 लाख रुपए जारी किए। यह राशि 2009–10 में समुद्री जल की पहुंच के लिए मेसर्स पेप्सीको होल्डिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और पी. एस. गेलेसन एंड सन्स से एहसास लाभ हिस्सेदारी घटक का हिस्सा था।

एबीएस आवेदनों की श्रेणी

प्रारूप सं.	आवेदन का प्रयोजन	किसके द्वारा
I	अनुसंधान, वाणिज्यिक उपयोग, जैव सर्वेक्षण या जैव – उपयोग हेतु जैविक संसाधन और / या संबंधित परंपरागत ज्ञान से अभिगम	गैर – भारतीय, एनआरआई, शेयर पूंजी या प्रबंधन में गैर भारतीय की सहभागिता वाले भारतीय संस्थाएं
II	अनुसंधान परिणामों का अंतरण	किसी भारतीय / गैर– भारतीय या किसी गैर भारतीय संस्थाएं, एनआ. रआई, विदेशी संस्थाएं या भारतीय संस्थाएं जिनका शेयर पूंजी या प्रबंधन में गैर – भारतीय सहभागिता हो।
III	बौद्धिक संपत्ति अधिकार के लिए आवेदन करना	किसी भारतीय / गैर – भारतीय या संस्थाएं
IV	पहले ही अभिगमित जैविक संसाधन / ज्ञान का तृतीय दल को अंतरण	किसी भी व्यक्ति, जिन्होंने भारतीय / गैर – भारतीय या संस्थाओं के लिए प्रारूप 1 में एनबीए से अनुमोदन प्राप्त किया हो।

जैविक विविधता अधिनियम, 200 और नियम 2004 के तहत आवेदनों के प्रसंसाधन का योजनाबद्ध प्रस्तुतीकरण

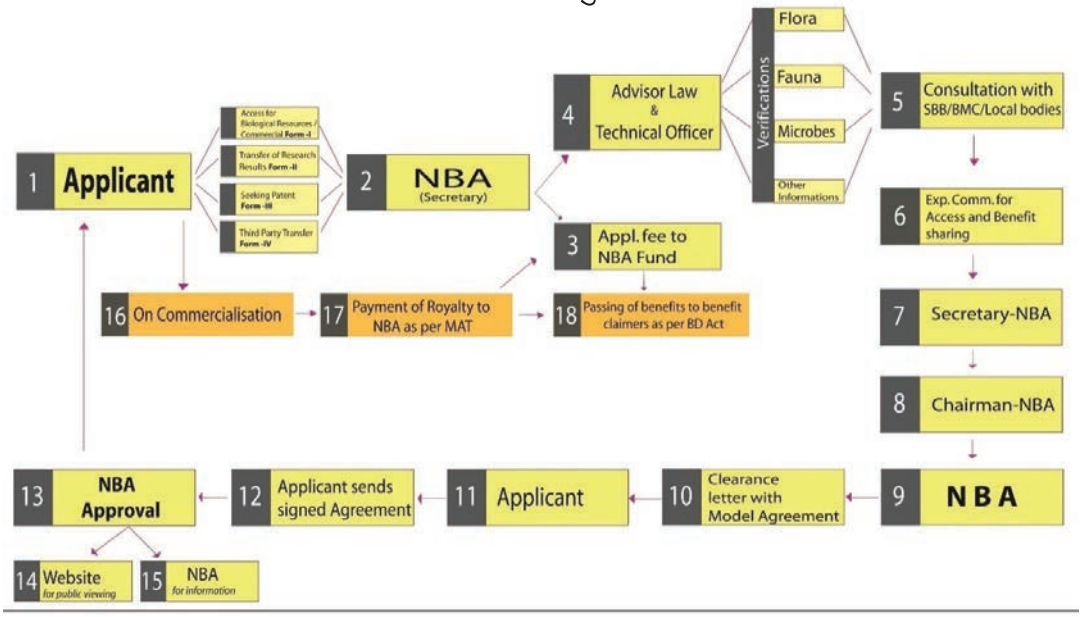

* For details please go through Biological Diversity Act, 2002 & Rules, 2004

विभिन्न श्रेणियों के अधीन आवेदनों की प्राप्ति

प्रारूप	श्रेणी	2004 से प्राप्त आवेदनों की संख्या
प्रारूप 1	अनुसंधान / वाणिज्यिक उपयोग हेतु जैविक संसाधन और / या संबंधित परंपरागत ज्ञान से अभिगम	313
प्रारूप 2	आर्थिक विचार या अन्यता के लिए अनुसंधान परिणामों का अंतरण	50
प्रारूप 3	बौद्धिक संपदा अधिकारों को प्राप्त करने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र मांगना	1189
प्रारूप 4	अभिगमित जैविक संसाधनों और / या संबंधित ज्ञान का तृतीय दल को अंतरण	81
प्रारूप बी	जैविक संसाधनों को उपयोग करने वाले भारतीय अनुसंधता / सरकारी संस्थाओं द्वारा भारत के बाहर आपातकालिक आशय हेतु गैर – वाणिज्यिक अनुसंधान या अनुसंधान का आयोजन	31
	निर्धारित प्रारूप और शुल्क के साथ अनावेदित	13
	कुल	1677

5.3 अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र का अनुपालन (आईआरसीसी)

नगोया प्रोटोकाल के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत जैविक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के उचित और समान सहभाजन को प्राप्त करने हेतु, पार्टियों को साक्ष्य के रूप में एक अनुज्ञप्ति अथवा इसके समकक्ष इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा कि जैविक संसाधनों का उपभोग निर्धारित शर्तों के अधीन पूर्व सूचना पर प्राप्त सहमति पर आधारित था। चूंकि भारत नगोया प्रोटोकाल का सदस्य है, एबीएससीएच प्लेटफार्म में स्वीकृत 47 अनुमोदनों को एनबीए ने अपलोड किया और वर्ष 2016–2017 के दौरान अनुमति हेतु अंतरराष्ट्रीय प्रमाण पत्र तैयार किए।

5.4 एबीएस आवेदनों के ई–फाइलिंग का शुभारंभ

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के माध्यम से एनबीए ने एबीएस आवेदन पत्र दाखिल करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के माननीय मंत्री द्वारा 30 मार्च 2017 को ई–फाइलिंग सुविधा शुरू की गई। यह विभिन्न गतिविधियों को चलाने के लिए एनबीए के अनुमोदन की मांग करने के लिए एबीएस आवेदनों की ऑनलाइन फाइलिंग करने की अनुमति देता है।

यह पोर्टल प्रयोक्ता के अनुकूल है और उचित आवेदन पत्र चुनने और दाखिल करने के लिए चरण–दर–चरण मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह सुझाव प्रदान करता है, और पॉप–अप संदेश की आसान फाइलिंग में सहायता करता है। अनिवार्य स्तंभ चिह्नित हैं। पोर्टल एबीएस अनुप्रयोगों को दाखिल करने की प्रक्रिया को आसान बनाता है और एनबीए सचिवालय में प्रसंस्करण के समय को भी कम करता है, जिससे आवेदनों के समय पर निपटान के लिए रास्ता तैयार हो जाता है।

एबीएस आवेदनों की ई–फाइलिंग सुविधा शुरू की गई

अध्याय

6

Photography: Sangram Govardhane, Mumbai

आनुवंशिक संसाधनों और संबद्ध ज्ञान के संबंध में बौद्धिक संपत्ति अधिकारों के विषय में किए गए उपाय

आनुवांशिक संसाधन और संबंधित जानकारी जैव–संक्षण हेतु कच्चा माल उपलब्ध कराती हैं, जो विश्व में तेजी से उभर रहें अनुसंधान एवं विकास सेक्टर में से एक है। जैव–सर्वेक्षण मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्माण में सहयोग करता है जिससे इस क्षेत्र में विशाल आर्थिक संभावनाएं उत्पन्न हो रही हैं। बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारों (आईपीआर) को इस उच्च महत्व की सूचना पर एकाधिकार अधिकारों को तैयार करने और इसके बाजार की सफलता सुनिश्चित करने के कानूनी उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है। तथापि, पेटेंट अनुदान के माध्यम से निजी सम्पत्ति अधिकारों को तैयार करने में भविष्य में बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। यहां तक कि आईपीआर धारक विशिष्ट लाभ प्राप्त करते हैं, इन लागों को वास्तविक संरक्षकों, जैविक संसाधनों के धारकों और संबद्ध सूचना के साथ साझा नहीं किया जाएगा। जैव विविधता पर सम्मेलन का लक्ष्य है इस प्रकार के अनुसंधानों और उपयोगकर्ताओं और प्रदाताओं के बीच आईपीआर के माध्यम से जैविक संसाधनों के व्यावसायीकरण से प्राप्त लाभों को समान रूप से वितरित करना। पूर्व अनुमति के माध्यम को समान रूप से वितरित करना। पूर्व अनुमति के माध्यम से प्रवेश और शर्तों के अधीन पारस्परिक करार के आधार पर लाभ वितरण हेतु अंतरराष्ट्रीय शासनादेश तैयार कर इन हितधारकों के प्रतिस्पर्धा हितों को संतुलित करने का प्रयास किया जाता है।

सीबीडी के तिहरे उद्देश्यों अर्थात जैविक संसाधनों के संरक्षण, इसके अवयवों के सतत उपयोग, और इन जैविक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों को उचित और समान रूप से वितरित करने को लागू करने के लिए भारत ने जैविक विविधता अधिनियम, 2002 को अधिनियमित किया। एनबीए से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के लिए किसी भी अनुसंधान अथवा भारत से प्राप्त जैविक संसाधन से संबंधित सूचना पर आधारित आविस्कार हेतु बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारों के लिए किसी भी व्यक्ति को बीडी एक्ट के धारा 6 की आवश्यकता होती है। फिर भी, प्रवेश और लाभ सहभागिता दायित्त्वों को पूरा किए बिना ही जैविक संसाधनों और भारत से प्राप्त संबंद्ध जानकारी के आधार पर पेटेंट आविष्कार हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। धारा 6 का उल्लंघन कर भारत से बाहर आईपीआर की मंजूरी का विरोध करने के लिए आवश्यक उपाय करने हेतु एनबीए की अधिनियम की धारा 18 (4) के अधीन शक्तियां प्रदान की गई हैं।

13 अक्टूबर, 2015 को आयोजित एनबीए की 35वीं बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की गई और इस प्रकार के आईपीआर आवेदनों को रोकने के लिए एनबीए सचिव को आवश्यक कार्रवाई हेतु निदेश दिए गए। अब तक, एनबीए ने विश्व भर के भिन्न–भिन्न पेटेंट कार्यालयों में 10 मामलों में कार्रवाई की है। धारा 18 (4) के अधीन जिन पेटेंट आवेदनों के खिलाफ कार्रवाई की गई, उनमें से अधिकांश विविध पोषण, दवा, और सौंदर्य उत्पादों से संबंधित थे। इन उत्पादों में भारत के विविध जैविक संसाधनों का उपयोग किया है, जिसमें औषधीय महत्व के तत्त्वों जैसे कि हल्दी (करकोमा लोंगा), भारतीय करौंदा (एम्बिकै ऑफसिनैलिस), नींम (अजैरिडाच टैंडिका), अदक (जिंजीबेरोफिसिनली), अश्वगंधा (विथैनियसोनिफेरा), सेंटेला (सेंटेलाअसिएटिका), टर्मिनेलिया अर्जुना, भारतीय तेजपत्ता (सिनेंमो मुमटैमला), एलोएवेरा, स्फेरैन्थ्यूसिंडिकस आदि शामिल हैं। इस प्रकार का एक पेटेंट आवेदन, जो चाइनीज पटेंट कार्यालय में प्रस्तुत किया गया था जिसमें रेड सैंडर्स (पिटेरो कॉर्पसैंटेलिनस) जो भारत की सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थानीय प्रजाति है।

सीबीडी के अनुच्छेद 15 में राज्यों के स्वायत्त अधिकारों का समर्थन किया गया है और तय किया गया है कि वे अपने जैविक संसाधनों के उपयोग को निर्धारित करेंगे और साथ ही यह जोर दिया गया है कि इस प्रकार के संसाधनों उपबधित नेशनल लॉ ऑफ कॉंट्रैक्टिंग पार्टी के अधीन इन आनुवांशिक संसाधनों का उपयोग किया जाएगा। सीबीडी के अंतर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्वों के अनुपालन में और संबंधित विदेशी पेटेंट नियमों के प्रावधानों के अनुसार, यूरोपियन पेटेंट ऑफिस, कनैडियन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस स्टेट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस (चीन) और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस में पर्यवेक्षण प्रस्तुत किया गया। इन अवलोकनों के कारण कुछ आवेदकों नें पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एनबीए से सम्पर्क किया, यहां केवल पेटेंट आवेदनों का प्रश्न नहीं है, बल्कि उन सभी आवेदकों के लिए निगरानी की बात कही गई है, जिन्होंने अपनें उत्पाद में भारत से प्राप्त जैविक संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है।

31 मार्च, 2017 को दर्ज की गई टिप्पणियों की सूची

पेटेंट कार्यालय	प्रकरण की सं.
यूरोपियन पेटेंट कार्यालय	7
कैनाडियन बौद्धिक संपदा कार्यालय	1
चाइनीस पेटेंट कार्यालय	1
वर्ल्ड बौद्धिक संपदा कार्यालय	1
कुल	10

Photography: Amitava Goswamy, Jamshedpur

अध्याय

7

Photography: Dipesh Vibhutirai Bhatt, Gujarat

राज्य जैव विविधता बोर्ड के कार्यक्रम और गतिविधियां

आंध्र प्रदेश

इस अवधि में राज्य जैव विविधता बोर्ड नें चार बैठकें की, 20 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए और ग्राम स्तर पर 812, एक ब्लॉक स्तर पर पांच, और नगर पालिका स्तर पर एक बीएमसी का गठन किया। ओंगोल बुल, पनंगनूर गाय और बैल, हरियाणावी नस्ल की भैंस जैसे भिन्न–भिन्न प्रकार की जीवित मवेशी मस्लों की प्रदर्शनी, और धान की किस्मों और औषधीय पौधों के साथ बोर्ड ने अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 2016 का आयोजन किया। डीसीएफ, टीटीडी, तिरुपति के रूप में कार्यरत सहायक संयोजक वन, श्री एन. वी. सिवराम प्रसाद, आंध्रा यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कॉलर, कुमारी अपर्णा, विशाखापट्टनम के फ्रीलांस जर्नलिस्ट, श्री श्रीनिवासुलु और चार अन्य लोगों को जैव–विविधता के संरक्षरण और इस संबंध में जागरूकता लाने में किए गए योगदान हेतु जैव संरक्षण अवार्ड 2016 में प्रदान किया गया। इस अवसर को विशिष्ट बनाने के लिए आंध्र प्रदेश के जैव–विविधता के अवलोकन हेतु एक फील्ड गाइड भी नियुक्त किया गया।

अरुणाचल प्रदेश

वर्ष के दौरान एसबीबी ने एक बैठक आयोजित की। गठित की गई 92 बीएमसी में से 34, को विचाराधीन अवधि के दौरान गठित किया गया। अब तक कुल 43 पीबीआर तैयार कर लीं गईं हैं। धारा 24 (1) के अधीन तीन आवेदनों को अनुमोदित किया गया। पश्चिमी सिअंग जिले के डोजी में बायोडायवर्सिटी बोर्ड द्वारा अंतरराष्ट्रीय जैव–विविधता दिवस (आईडीबी), 2016 का आयोजन किया गया। 12 गांवों के 300 से अधिक प्रतिभागियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। राज्य की प्रबंधन समितियां, पंचायत प्रतिनिधियों, स्कूली बच्चों, एनजीओ प्रतिनिधियों और लाइन डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। समारोह के अंश के रूप में 'जैवविविधता को मुख्यधारा में लाना : लोगों और उनकी जीविका को बनाए रखना' और जैव–विविधता संरक्षण विषयों पर जागरूकता व्याख्यान सीरीज का आयोजन किया गया। प्रोटेक्टेड एरियाज इन अरूणाचल प्रदेश शीर्षक से बोर्ड ने एक पम्फलेट जारी किया। राज्य में व्याप्त जीवमंडल–रिजर्व राष्ट्रीय पार्कों और वन्यजीव अभयारण्य के बारे सूचना दी गई है।

Photography: Gunin, Guwahati

असम

वर्ष 2016–17 के दौरान बोर्ड की तीन बैठकें आयोजित की गईं। अब तक, 189 बीएमसी का गठन किया जा चुका है और राज्य भर में 12 पीबीआर तैयार कर ली गईं हैं। इसके अतिरिक्त, बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद में 16 और करबिअंगलोग स्वायत्त परिषद में 10 बीएमसी का गठन किया गया। समीक्षा अवधि के दौरान बार्ड ने इडिवल बायो–रिसोर्सेज एण्ड लिवलीहुड और कॉमन स्पाइडर्स शीर्षक से दो पुस्तकों का प्रकाशन किया। धारा 24 (1) के अधीन, पांच आवेदनों को अनुमोदित किया गया। बोर्ड द्वारा आईडीबी 2016 का आयोजन किया गया। पौधा रोपड़ कार्यक्रम में लगभग 1500 स्कूली बच्चों और स्थानीय लोगों ने भाग लिया और अधिक रूप से वहनीय पौधों को गांव वालों में बांटा गया। 152 बीएमसी के लिए बोर्ड ने क्षमता निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन करवाया। सबसिस्टेंस वेल्यू ऑफ फॉरेएट्स ट्रेडिशनल नॉलेज, ह्यूमन–एलिफेंट कफ्लिक्ट, ट्रेड्स इन एनटीएफपी और लाइफ ऑफ अ फारेस्ट गॉर्ड जैसे विषयों पर छोटी फिल्मों के अतिरिक्त ''बायोडायवर्सिटी ऑफ असम'' विषय पर एक डाक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई गई। बोर्ड साझा अनुसंधान के साथ–साथ जैव विविधता संरक्षण पर इंटर्नशिप कार्यक्रम भी संचालित करता है।

छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड ने अब तक 129 बीएमसी का गठन किया है, जिनमें से 84 को विचाराधीन अवधि के दौरान स्थापित किया गया था। आईडीबी 2016 का एक राज्य स्तरीय उत्सव आयोजित किया गया था। छत्तीसगढ़ मेडिसिनल प्लांट बोर्ड द्वारा उनके साथ बने विभिन्न औषधीय पौधों और उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए एक स्टाल स्थापित किया गया था। दो पुस्तकें – फ्लोरा एंड फना ऑफ जंगल सफारी और अविफाणल डायवर्सिटी ऑफ जंगल सफारी के साथ–साथ छत्तीसगढ़ (अंग्रेजी) के सांपों और अन्य सरीसृपों पर एक ब्रोशर को बोर्ड द्वारा जारी किया गया।

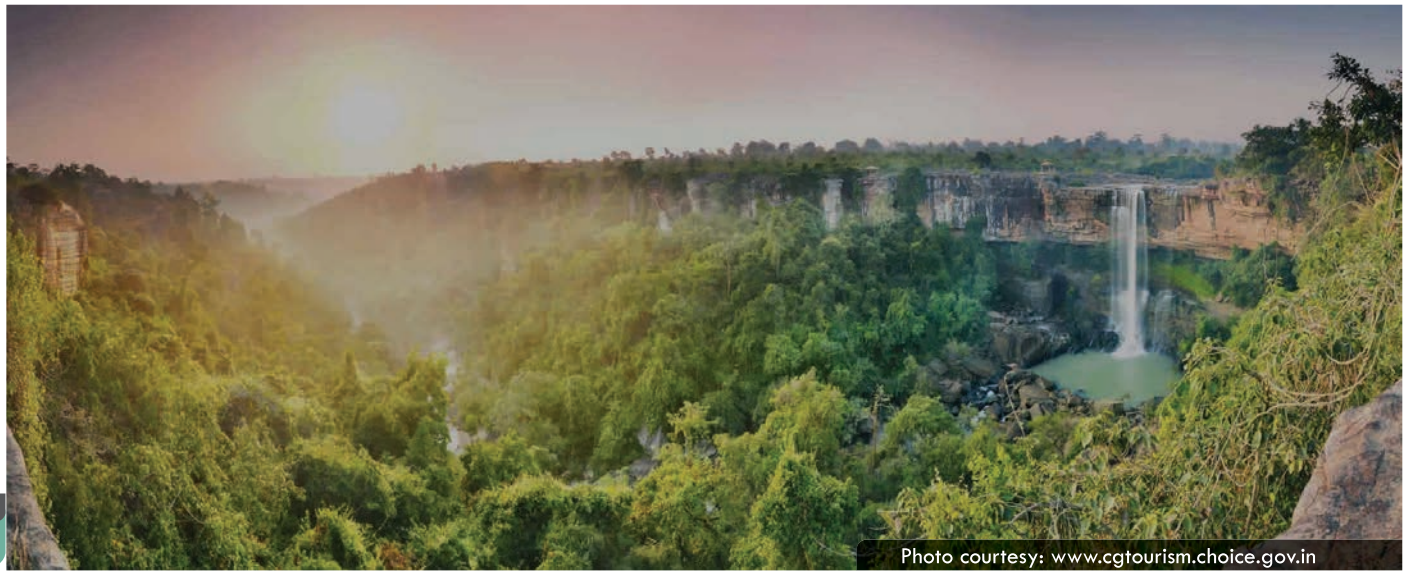
Photo courtesy: www.cgtourism.choice.gov.in

गोवा

2016–17 के दौरान, गोवा जैविक विविधता नियम, 2017 को अधिसूचित किया गया। गोवा राज्य जैव विविधता बोर्ड को गोवा राज्य वेटलैंड प्राधिकरण, गोवा सरकार के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया था। सदस्य सचिव, जीएसबीबी, को राष्ट्रीय अनुकूलन जलवायु परिवर्तन निधि (एनएएफसीसी) के लिए राज्य स्तरीय संचालन समिति (एसएलएससी) के लिए नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया था। एक बोर्ड बैठक वर्ष के दौरान आयोजित की गई थी। 31 मार्च 2017 को बोर्ड द्वारा कुल 112 बीएमसी का गठन किया गया था। जीएसबीबी ने पणजी में एनबीए के समर्थन से आईडीबी 2016 मनाया। वर्ष के दौरान, एबीएस के कार्यान्वयन और जैविक विविधता अधिनियम, 2002 की बेहतर समझ को मजबूत करने के लिए मीडिया और निजी क्षेत्रों के लिए एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।

''तटीय भूआकृति विज्ञान पर जलवायु परिवर्तन के संभावित प्रभाव और जैव विविधता पर इनकी प्रभाव'', तथा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार विषयों पर वार्ताएं आयोजित की गईं। गोवा सरकार के पेटेंट एवं डिजाइन, पेटेंट कार्यालय, के सहायक नियंत्रक, डॉ. शरना गौडा द्वारा पत्र जारी किया गया। पीबीआर तैयार करने में तकनीकी सहयोग समूहों (टीएसजी) के लिए बोर्ड ने प्रशिक्षण के अंश के रूप में कैम्पस विजिट का आयोजन किया। राज्य में जैव विविधता अधिनियम 2002 और नियम 2004 को लागू करने हेतु सभी विभागों और मीडिया कर्मियों के लिए केंद्रीय समूह की बैठक आयोजित की गई। पूर्व सूचना के साथ प्राप्त अनुमति, आपसी सहमति शर्तों और सामग्री हस्तांतरण करार जैसी अवधारणाओं की जानकारी को प्रसारित करने के उद्देश्य से बीएमसी के लिए भी इसी प्रकार की समूह बैठकों का आयोजन किया गया।

गुजरात

2016–17 के दौरान, दो बोर्ड की बैठकों का आयोजन किया गया। बीएमसी की कुल संख्या 6900 थी, और 31 मार्च 2017 को पीबीआर 957 के रूप में प्रलेखित किया गया था। अधिनियम की धारा 23 (बी) और धारा 24 (1) के तहत प्रत्येक आवेदन को मंजूरी दे दी गई थी। वर्ष के दौरान नौ जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

Photo Courtesy: www.gujarattourism.com

जम्मू और कश्मीर

जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने बीडी अधिनियम, 2002 की धारा 38 और 40 के तहत 'खतरे और सामान्य व्यापारिक वस्तुओं' की सूची की जांच और अंतिम रूप देने के लिए एक विशेषज्ञ समिति के गठन के आदेश जारी किए। बोर्ड ने कथुआ जिले के पूर्थु–बसहली में आईडीबी मनाया और बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में एक पेंटिंग प्रतियोगिता, बहस, जैव विविधता पर एक प्रश्नोत्तर, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा एक प्रदर्शनी शामिल थी। इस समारोह में व्यापक मीडिया कवरेज थी। जम्मू और कश्मीर एसबीबी ने राज्य में पौधों और जानवरों की आरईटी प्रजातियों की अधिसूचना के लिए 29 मार्च 2017 को एक विशेषज्ञ समिति की बैठक आयोजित की और एनटीसी के रूप में शामिल करने के लिए जम्मू और कश्मीर के जैविक संसाधनों की सूची की समीक्षा की।

Photography: Sudip Majumder, Kolkata

झारखंड

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बोर्ड के सदस्यों ने दो बार मुलाकात की। बोर्ड द्वारा राज्य के सभी जिले के लिए जिला स्तर के तकनीकी सहायता समूह (टीएसजी) का गठन किया गया था। विचाराधीन अवधि के दौरान 569 बीएमसी की स्थापित की गई, 462 का गठन किया गया। 31 मार्च 2017 को पीबीआर की कुल संख्या 11 थी। जैविक विविधता के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस 2016 को राज्य की राजधानी में मनाया गया। बोर्ड ने रांची के विभिन्न स्कूलों में निबंध प्रतियोगिताओं को इस अवसर पर टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रूप की सहायता से आयोजित किया। बोर्ड ने 22 मार्च 2017 को 'वर्ल्ड स्पैरो डे' भी मनाया। इसके अलावा, जैव विविधता की सामान्य जागरूकता और जैव विविधता अधिनियम और नियम, बीएमसी आदि की भूमिका और कार्यों पर पुस्तिकाएं, बोर्ड द्वारा प्रकाशित की गईं।

Photography: Suraj Kumar, Ranchi

कर्नाटक

वर्ष के दौरान, तीन बोर्ड की बैठकों का आयोजन किया गया। 31 मार्च 2017 को बीएमसी की कुल संख्या 4192 थी। अभी तक, बोर्ड ने 2152 पीबीआर तैयार किए हैं। इनमें से 1106, 2016–17 के दौरान पूरा हुए। बोर्ड ने जैविक विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 37 के तहत जैव विविधता विरासत स्थल के टैग के लिए ताथगूनी एस्टेट (देविका रानी रोरिच एस्टेट) को दिया है। आईडीबी 2016 के अवसर पर, वन प्रशिक्षण संस्थान में बीएमसी सदस्यों के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। बोर्ड ने आम जनता के लिए जागरूकता पैदा करने और संरक्षण गतिविधियों में नई पीढ़ी को शामिल करने के लिए 22 मई 2016 को वॉकथॉन का भी आयोजन किया था। लगभग 300 प्रतिभागियों ने वॉकथॉन में भाग लिया। संदेश का प्रसार करने और जैव विविधता के संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हैंडहेल्ड प्लेकार्ड भी इस्तेमाल किए गए थे। बोर्ड ने जैविक विविधता अधिनियम, 2002 और इसके एबीएस प्रावधानों की समझ की सुविधा के लिए एक ब्रोशर विकसित किया है।

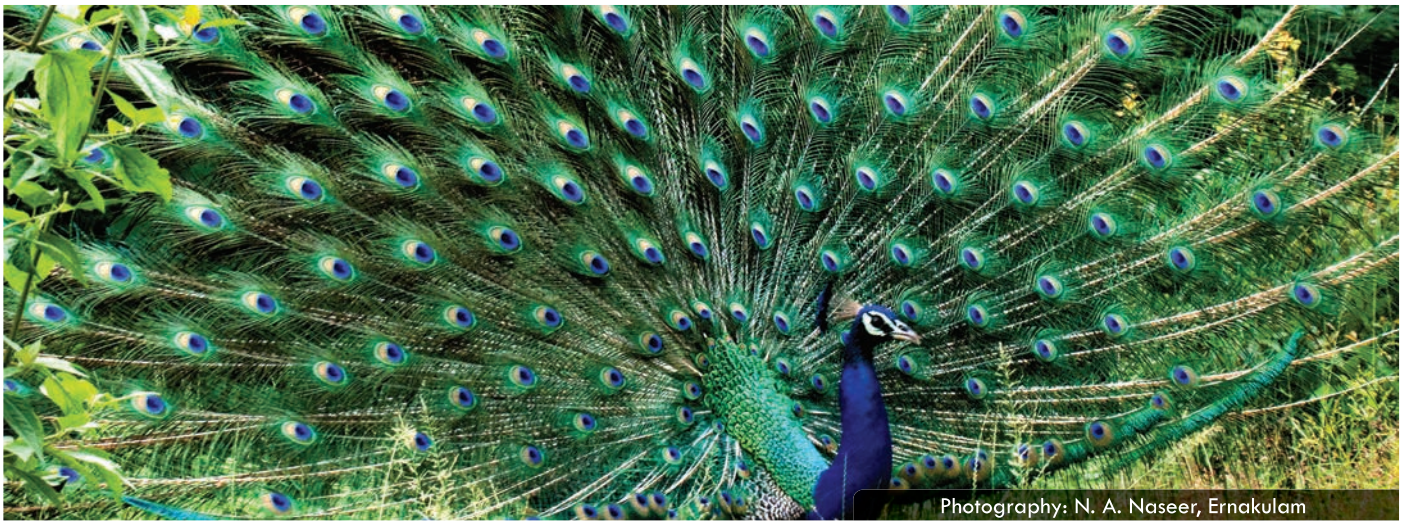
Photography: N. A. Naseer, Ernakulam

केरल

केरल की सभी 978 पंचायतों, 60 नगर पालिकाओं और पांच निगमों में बीएमसी का राज्य–व्यापी नेटवर्क है। राज्य जैव–विविधता बोर्ड नें अब तक ग्राम स्तर पर 814, नगर पालिका स्तर पर 38 और जिला स्तर पर दो पीबीआर का गठन कर लिया है। वर्ष 2016–17 के दौरान, तीन बोर्ड मीटिंग आयोजित की गईं। 'सतत विकास हेतु जैव–विविधता को मुख्य धारा से जोड़ना' फोकल विषय पर फरवरी 2017 के दौरान तीसरी राष्ट्रीय जैव विविधता कांग्रेस का आयोजन किया गया। हरिथासंगमम के अतिरिक्त, राष्ट्रीय जैव विविधता कांग्रेस 2017 के साथ–साथ पारम्परिक किसानों और पारंपरिक ज्ञान रखने वालों के लिए एक विशेष बैठक आयोजित की गई। जैव विविधता कांग्रेस के अंश के रूप में विविधा नाम पांच–दिवसीय मेले का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय और राज्य स्तर के निकायों द्वारा कुल 69 स्टॉल लगाए गए, सतत कृषि और खाद्य उत्पादन में सहायक पर्यावरण–प्रौद्योगिकियों की एक रेंज के साथ–साथ एनजीओ और निजी क्षेत्र के संगठनों ने भोजन, पोषण, स्वास्थ्य, औषधि और आय–उत्पादन जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जैव–संसाधनों पर आधारित विविध उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई। बायोडायवर्सिटी रिचनेस इन केरला, बायोडायवर्सिटी एण्ड सस्टैनेबल डेवलपमेंट, वृक्षायुर्वेदा, फादर्स ऑफ वेल्लेयानी शीर्षक से पुस्तकें और स्पेक्स ऑफ केरला शीर्षक से एक हैंड बुक का प्रकाशन किया। एक समुद्री जैव विविधता रजिस्टर–तिरुवनंतपुरम, और एक बीएमसी हैंडबुक के अतिरिक्त वेल्लयानी झील, सस्थमकोटा झील और पॉककोडे झील के भी रजिस्टर तैयार किए गए।

बोर्ड ने 22 मई को एक दिन का ब्रांडिंग कार्यक्रम प्रायोजित किया – जैविक विविधता के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस – जब ऑल इंडिया रेडियो के सभी स्टेशनों पर जैव विविधता संरक्षण और स्थायी उपयोग पर संदेश प्रसारित किया गया था। आईडीबी 2016 के भाग के रूप में, केएसबीबी ने ईरावीकुलम नेशनल पार्क, इडुक्की में वन विभाग के साथ मिलकर ग्रीन इमेज 2016, जैव विविधता प्रदर्शनी और एक बच्चों के प्रकृति शिविर नामक एक डिजिटल फोटोग्राफी प्रतियोगिता आयोजित की।

मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड ने वर्ष के दौरान एक बोर्ड की बैठक आयोजित की। कुल 23743 बीएमसी का गठन किया गया और 890 पीबीआर बनाया गया। उत्तरार्द्ध में, वर्ष 2016–17 के दौरान 118 पीबीआर तैयार किए गए थे। आईडीबी 2016 के अवसर पर बोर्ड द्वारा एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। स्कूली बच्चों के लिए आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करके मोवगली बाल उत्सव 2016 मनाया गया। बोर्ड द्वारा 40 जिले में जैव विविधता प्रबंधन समिति संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। एक राज्य स्तरीय फोटोग्राफी प्रतियोगिता भी आयोजित की गई थी।

Photography: Kalyan Varma, Bangalore

महाराष्ट्र

31 मार्च 2017 तक, बीएमसी की कुल संख्या 16729 है और पीआरआर 72 पर है। धारा 24 (1) के तहत, एक आवेदन विचाराधीन अवधि के दौरान बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था। आईडीबी 2016 को राज्य में मनाया गया। बोर्ड द्वारा बीएमसी सदस्यों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। जीआईजेड परियोजना के अंतर्गत गांवों में क्लस्टर कार्यशालाओं की एक श्रृंखला का आयोजन किया गया था। बोर्ड द्वारा एक दिवसीय वृक्षारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था।

Photography: Vishakha Shah

मणिपुर

वर्ष के दौरान, एक बोर्ड बैठक आयोजित की गई थी। बोर्ड ने 67 बीएमसी का गठन किया था और 31 मार्च 2017 को 22 पीबीआर तैयार किए थे। राज्य स्तर पर चयनित बीएमसी के लिए ग्राम वनस्पति विज्ञान पाठ्यक्रम आयोजित किए गए थे। एफआरएलएचटी के सहयोग से तीन दिवसीय कार्यशाला भी आयोजित की गई थी। मणिपुर जैव विविधता बोर्ड ने वन एवं पर्यावरण विभाग, मणिपुर सरकार के सहयोग से आईडीबी 2016 का समारोह मनाया। मणिपुर के जैव विविधता पर एक तस्वीर प्रदर्शनी, पहचान टैग के साथ जीवित पौधे की किस्मों की प्रदर्शनी, और मौके पर लेखन और फोटोग्राफी प्रतियोगिताओं को मुख्य कार्यक्रमों में शामिल किया गया था।

Photography: Alex & Sebastiaan, USA

मेघालय

2016–2017 में तीन बोर्ड बैठकें आयोजित की गई थी। अब तक, 224 बीएमसी का गठन किया गया है। धारा 24 (1) के तहत तीन आवेदनों को मंजूर किया गया था। अंतरराष्ट्रीय दिवस जैविक विविधता 2016 मेघालय के सभी 11 जिलों में मनाया गया। 'जैव विविधता संरक्षण और बीडी अधिनियम, 2002 के प्रावधान' पर सभी हितधारकों के लिए एक राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। बीएमसी के गठन और पीबीआर की तैयारी के संबंध में सभी जिलों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। बोर्ड ने जैविक संसाधनों का स्थायी उपयोग श्रेणी के तहत प्रतिष्ठित 'यूएनडीपी – भारत जैव विविधता पुरस्कार 2016' जीतने के लिए, मावकीरनोट गांव, मेघालय के सेन्ग ट्रेई लैंग एसोसिएशन, स्वयं सहायता समूह को सम्मानित किया।

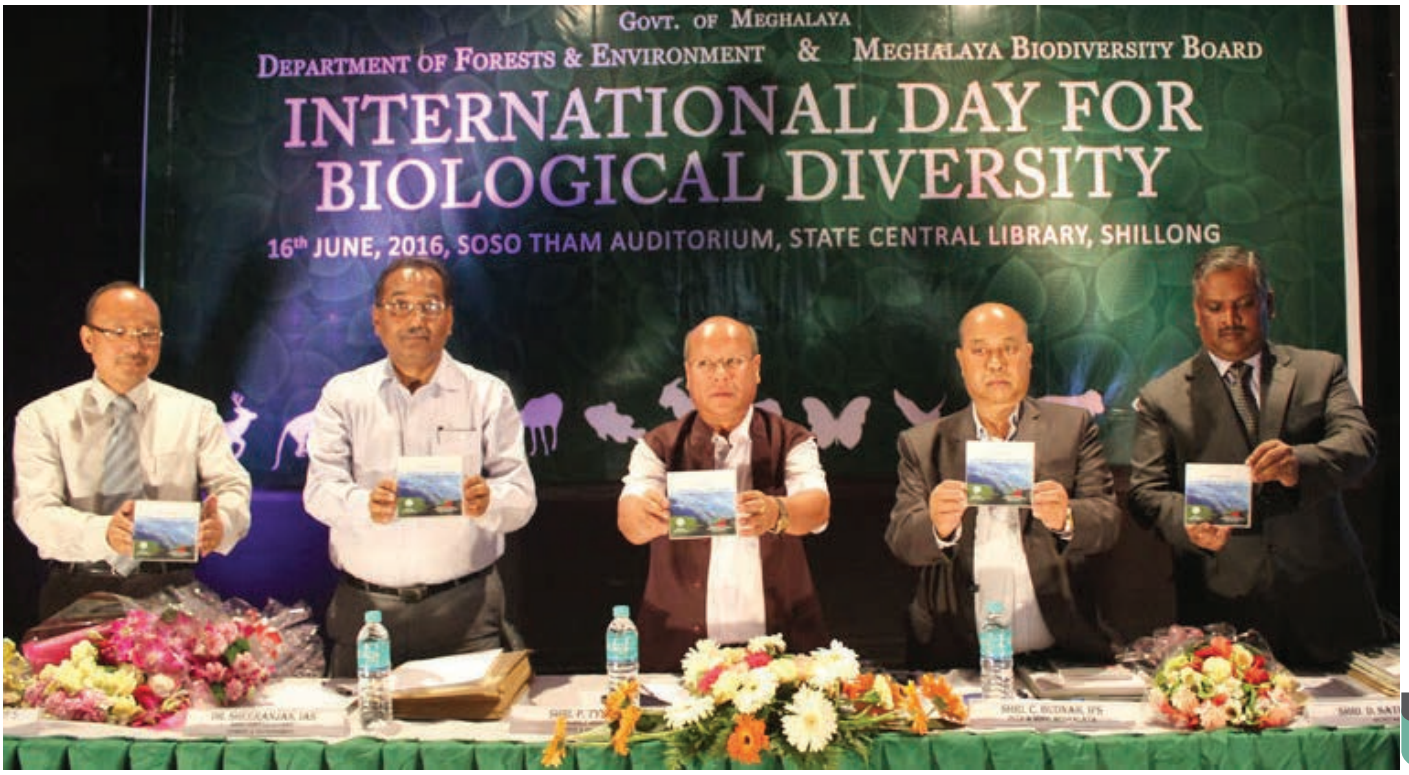

मिजोरम

मिजोरम जैव विविधता बोर्ड ने 222 बीएमसी का गठन किया और 31 मार्च 2017 को एक पीबीआर तैयार किया। जैविक विविधता 2016 का अंतरराष्ट्रीय दिवस 22 मई, 2016 को बोर्ड द्वारा मनाया गया। बोर्ड का मुख्य उद्देश्य जैव विविधता अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं को उजागर करने के लिए जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन करने पर था।

Photography: Johny Ngurthansanga, Aizawl

नागालैंड

एक बोर्ड बैठक वर्ष के दौरान आयोजित की गई थी। अब तक, 10 बीएमसी का गठन किया गया है। 22 मई 2016 को कोहिमा जिले के खोनोमा गांव में जैविक विविधता का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया। समारोह के एक भाग के रूप में, गांव के सभी छह स्कूलों के लिए पेंटिंग और निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कोहिमा जिले के तीन स्कूलों में एनईसी द्वारा वित्त पोषित 'जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों में विकासित आईटी मूलसंरचना' नामक एक परियोजना को कार्यान्वित किया गया था। जैव विविधता पर ब्रोशर, बुकमार्क्स के साथ इसके महत्व और संरक्षण उपायों, जागरूकता कार्यक्रम के एक भाग के रूप में मुद्रित और वितरित किए गए।

Photography: Ramki Sreenivasan

ओडिसा

इस वर्ष उड़ीसा जैवविविधता बोर्ड में समीक्षा हेतु एक बैठक का अयोजन किया। अब तक 1036 बीएमसी गठित की गई है जिनमें से 332 को इस अवधि के दौरान गठित किया गया। 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार अब तक 76 पीबीआर तैयार कर ली गई हैं। वर्ष 2016–17 के दौरान इस अधिनियम की धारा 23 (बी) के अधीन दो और धारा 24 (1) के अधीन चार आवेदन अनुमोदित किए गए। अमेजिंग प्लांट ऑफ दि वर्ल्ड, बायोल्यूमिनिसेंस एंड स्मॉल कैट्स ऑफ उड़ीसा शीर्षक से तीन पोस्टर तैयार किए गए। उड़ीसा में जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में स्थानीय पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित करने में किए गए व्यक्तिगत योगदान को पहचान दिलाने के लिए, राज्य स्तरीय समारोह में बोर्ड द्वारा 10 समुदाय सदस्यों को सम्मानित किया गया। बीएमसी सदस्यों, फ्रंटलाइन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट स्टाफ और अन्य राज्य के अन्य हितधारकों हेतु बौद्धिक संपत्ति अधिकार और पारंपरिक ज्ञान दस्तावेजीकरण और समझौता वार्ता कौशल जैसे विषयों पर क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। बोर्ड द्वारा अंतरराष्ट्रीय जैव–विविधता वर्ष 2016 का आयोजन किया गया।

Photography: A R Shakti Nanda, Bhubaneshwar

पंजाब

पंजाब जैव विविधता बोर्ड ने 73 बीएमसी का गठन कर लिया है। इनमें से 13 को वर्ष 2016–17 के दौरान गठित किया गया। 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार दस पीबीआर तैयार कर ली गई है। वर्ल्ड हेरिटेज ट्रीज सीरीज के अंतर्गत पेरिस–आधारित प्रॉडक्शन हाउस, सिनेमा ल्यूसिडा द्वारा कायाकल्प वृक्ष (दि ग्रेट बनियान ट्री) शीर्षक से एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार की गई। इस वृक्ष को संभाव्य बीएचएस के रूप में मान्यता प्रदान की गई। यूनेस्को के सहयोग से देश भगत यूनिवर्सिटी द्वारा ''जलवायु परिवर्तन एवं सतत कृषि' विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार की सार पुस्तिका में जेनेटिक स्टॉक ऑफ इंडीजीनस ब्रीडस : एन इम्पिरेटिव टूल फॉर क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशंस शीर्षक से एक समीक्षा शोध–पत्र को प्रकाशित किया गया। आईडीबी, 2016 को मनाने के लिए बोर्ड द्वारा पूरे राज्य में कुल 23 जागरूकता एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। फरीदकोट जिले के मचकी मल सिंह गांव के सरकारी प्राथमिक विद्यालय में बोर्ड द्वारा जैव विविधता गैलरी का आयोजन किया गया। बीएमसी की सहायता से सामुदायिक भूमि पर देशी वृक्षों के पौधारोपण का अभियान चलाया गया।

Photography: Mujahid, South Africa

राजस्थान

31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार राजस्थान राज्य जैव विविधिता बोर्ड ने 98 बीएमसी का गठन कर लिया है। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 2016 के अवसर पर, राज्य की राजधानी में एक रैली का आयोजन किया गया; जिसमें लगभग 600 स्काउट्स, गाइड्स एनसीसी कैडेट्स, स्कूली छात्रों और अन्य स्वयंसेवियों ने भाग लिया। जैव विविधता, जैव संभावना एवं पर्यावरणीय जागरूकता' विषय पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त, विश्व नम भूमि दिवस के अवसर पर बोर्ड द्वारा नमभूमि संरक्षण विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। एक वन महोत्सव का भी आयोजन किया गया, जिसके दौरान स्कूल परिसरों में भिन्न–भिन्न प्रजाति के वृक्षों के पौधे लगाए गए, और छात्रों को पौधा रोपड़ के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। वन क्षेत्रों में वन्यजीवों और वन वृक्षों की पहचान करने की सुविधा हेतु कॉलेज छात्रों के लिए दो दिवसीय जैव विविधता जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया। वर्ष 2016–17 के दौरान प्रकाशित एनुअल प्लानर में राज्य की जैवविविधता के बारे में जानकारी दी गई है।

Photo Courtesy: www.indiaouting.com

सिक्किम

बोर्ड ने 28 बीएमसी का गठन किया और एक पीबीआर तैयार किया। एक आवेदन धारा 23 (बी) के तहत अनुमोदित किया गया था। बोर्ड, ग्रीन सर्कल के सहयोग से, पर्यावरण, सिक्किम के एक गैर सरकारी संगठन ने 22 मई 2016 को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया। पर्यटन, ग्रामीण प्रबंधन और विकास, पशुपालन, पशुधन, मत्स्य और पशु चिकित्सा सेवा, बागवानी नकद फसल विकास, विज्ञान प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन, सिक्किम होटल और रेस्तरां एसोसिएशन (एसएचआरए), ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ सिक्किम (टीएएसएस), सिक्किम पर्यटन विकास निगम (एसटीडीसी) और सिक्किम एसोसिएशन ऑफ एडवेंचर टूर ऑपरेटर (एसएटीओ) जैसे विभिन्न संबंधित विभागों के अधिकारी ने भाग लिया। बीएमसी के सदस्य सचिवों के लिए नोडल अधिकारी द्वारा एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

तमिलनाडु

तमिलनाडु सरकार ने तीन वर्षों के लिए तमिलनाडु जैव विविधता बोर्ड का पुनर्गठन किया। अब तक, 16 बीएमसी का गठन किया गया है। जैविक विविधता अंतरराष्ट्रीय दिवस 22 मई, 2016 को मनाया गया। तमिलनाडु में 'पश्चिमी घाट के टाइगर लैंडस्केप में जैवविविधता संरक्षण' पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था।

Photography: Ranjith Kumar Inbasekaran

तेलंगाना

तेलंगाना राज्य सरकार ने भारतीय नागरिकों और संस्थाओं के अनुसंधान उद्देश्यों के लिए जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए प्रपत्र–1 आवेदन शुल्क (1000 रुपए) की छूट के लिए टीएसबीडीबी नियमों 2015 के नियम 16 (1) में संशोधन किया। साथ ही, भारतीय नागरिकों और संस्थाओं द्वारा व्यावसायिक उद्देश्य के लिए जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए 10,000 रुपए का आवेदन शुल्क घटाकर 1000 रुपए हो गया था। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, एक बोर्ड बैठक आयोजित की गई थी।

तेलंगाना सरकार ने बीएचएस के रूप में अमीनपुर झील को घोषित किया। अब तक, 2528 बीएमसी का गठन किया गया है, जिसमें से 2016–17 के दौरान 924 बीएमसी स्थापित किए गए थे। अब तक, 67 पीबीआर तैयार किए गए हैं। तीन आवेदनों का अधिनियम की ६ ाारा 23(बी) और धारा 24(1) के तहत अनुमोदित किया गया है। बोर्ड ने बीडी अधिनियम और नियम, बीएमसी के गठन और हितधारकों के लिए पीबीआर की तैयारी जैसे संस्थानों, उद्योग, बीएमसी सदस्यों और ग्रामीणों के लिए जागरूकता विकसित करने के लिए लगभग 590 प्रशिक्षण–सह–जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया। आईआईओआर और कुथकोटा (महाबूबनगर जिला) और कोथागुडेम (नलगोंडा जिला) के साथ बोर्ड ने बीएमसी के सफल एबीएस तंत्र के लिए जैवविविधता पुरस्कार 2016 प्राप्त किया।

बोर्ड राज्य पशुपालन विभाग और डब्ल्यूएएसएसएएन के सहयोग से 'स्थानीय घरेलू प्रजातियों के संरक्षण' पर एक शोध परियोजना चला रहा है। उस्मानिया विश्वविद्यालय के सहयोग से तेलंगाना के खतरे के कराधान के मसौदा मूल्यांकन पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। आईडीबी 2016 को तेलंगाना राज्य के फ्लोरा और फौना पर एक डिजिटल फोटोग्राफी प्रतियोगिता, एक चित्रकला प्रतियोगिता और अमीनपुर झील पर एक पक्षी दौड़ जैसे आयोजित समारोह द्वारा मनाया गया। इस अवसर पर अठारह सर्वश्रेष्ठ बीएमसी की पहचान की गई और जैविक संसाधनों के संरक्षण और स्थायी उपयोग के लिए उत्कृष्टता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

त्रिपुरा

2016–17 के दौरान, एक बोर्ड बैठक आयोजित की गई थी। अब तक गठित 348 बीएमसी में से 85 समीक्षाधीन वर्ष में बनाए गए थे। अब तक, 277 पीबीआर तैयार किए गए हैं, और इनमें से 79 समीक्षा की अवधि के दौरान प्रलेखित किए गए थे। एक आवेदन धारा 24(1) के तहत अनुमोदित किया गया था। अन्वेषा बाल संरक्षण केंद्र में अंतरराष्ट्रीय दिवस जैविक विविधता 2016 मनाया गया। उत्सव के भाग के रूप में, औषधीय पौधों और जैव विविधता संरक्षण उपायों की एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।

Photography: Tapan Debnath, Agartala

उत्तराखंड

31 मार्च 2017 को गठित बीएमसी की कुल संख्या 907 थी। इनमें से 2016–17 के दौरान 132 बीएमसी की स्थापना की गई थी। बोर्ड ने 31 मार्च 2017 को 82 पीबीआर तैयार किए थे। उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में जैविक विविधता अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया था। वर्ष 2016–17 के दौरान 'कार्यनीति और कार्य योजना', बीआईओएफआईएन और एबीएस पर हितधारकों की बैठकों का आयोजन किया गया।

उत्तर प्रदेश

विचाराधीन अवधि के दौरान, एक बोर्ड बैठक आयोजित की गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने घरियाल पुनर्वास केंद्र, कुकरैल, लखनऊ को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित किया। अब तक, 108 बीएमसी का गठन किया गया है और 99 पीबीआर तैयार हैं। जागरूकता फैलाने के लिए, बोर्ड ने 17 मई से 20 मई 2016 तक ''जैवविविधता महोत्सव'' का आयोजन किया। यह 3 सितंबर 2016 को 'अंतरराष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस', वन्यजीव सप्ताह (1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर 2016), विश्व आर्द्रभूमि दिवस (2 फरवरी 2016) और विश्व गौरैया दिवस (20 मार्च 2017) को मनाया गया। आईडीबी 2016 के अवसर पर 'मेनस्ट्रीमिंग जैव विविधता पर ई–स्मारिका; लोगों और उनकी आजीविका बनाए रखना' बोर्ड द्वारा बनाए गए। यह ट्रीस ऑफ उत्तर प्रदेश और पीआरआर ऑफ कन्नौज डिस्ट्रिक्ट नामक एक पुस्तक प्रकाशित की है।

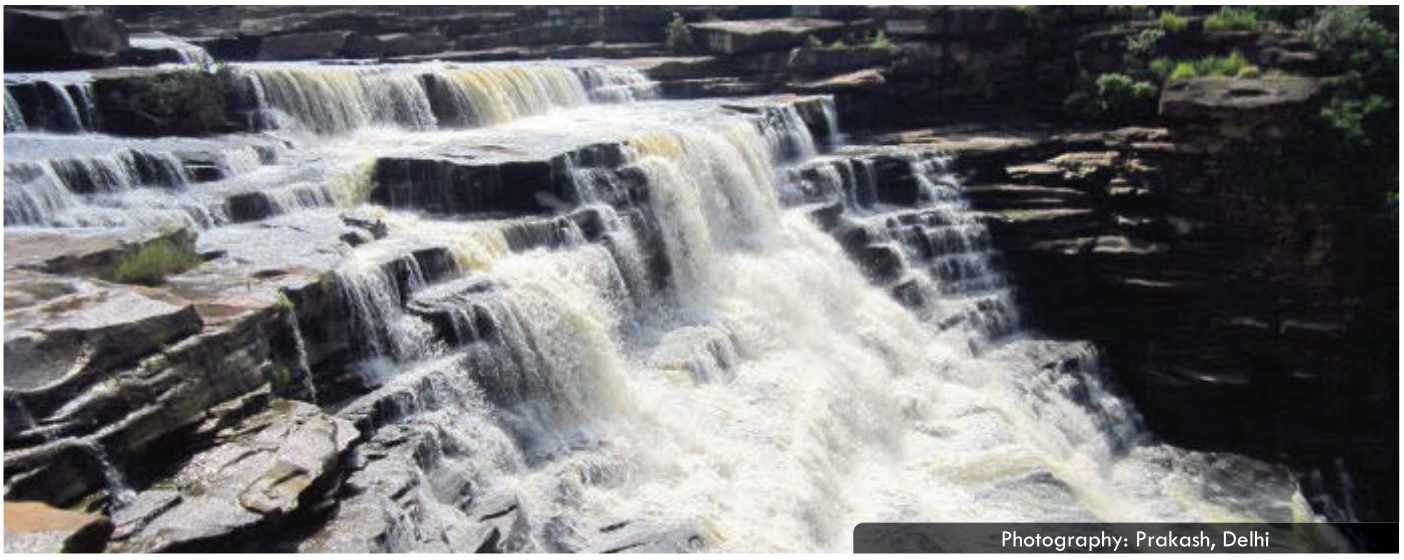

Photography: Prakash, Delhi

पश्चिम बंगाल

वर्ष के दौरान, दो बोर्ड बैठकों का आयोजन किया गया। अब तक, 209 बीएमसी का गठन कर लिया गया है और 101 पीबीआर तैयार कर ली गई हैं। धारा 23 (बी) के अधीन पांच और धारा 24 (1) के अधीन दो आवेदनों को अनुमोदित किया गया। कॉलेज छात्रों, शिक्षकों, और गैर सरकारी संगठनों तथा बीएमसी के प्रतिनिधियों को सामान्य पौधों और जानवरों के बारे में अवगत कराने के लिए अलीपुरदुअर जिले के बक्स टाइगर रिजर्व में बोर्ड द्वारा दो–दिवसीय आवासीय फील्ड विजिट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जैव विविधता संरक्षण में पंचायत ब्लॉक पदाधिकारियों की भूमिकाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बोर्ड, विविध प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं में सक्रिय रूप से भाग लेता है। कलकत्ता में एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन कर अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का आयोजन किया गया। बीएमसी, अनुसंधान संस्थानों, सरकारी संगठनों, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों, शिक्षकों, और स्कूल, कॉलेज तथा विश्वविद्यालयों के छात्रों के अतिरिक्त आम जनता सहित समाज के भिन्न–भिन्न तबकों से 200 से अधिक लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

16 जून 2016 को 'उपयोग और लाभ सहभागिता (एबीएस) विषय पर एक 'अंतर–मंत्रालयी वार्ता का आयोजन किया गया। स्कूली छात्रों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से बोर्ड द्वारा दो बायो–टूर प्रोग्रामों का आयोजन किया गया। हूगली की इटचुआना–खन्यान बीएमसी के सदस्यों द्वारा जैव विविधता संरक्षण विषय पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया और दर्शकों से प्रशंसा प्राप्त की। यूएनईपी–जीईएफ – एमओईएफसीसी– एबीएस परियोजना के अंतर्गत, एबीएस करारों को साइन करने हेतु जैव–संसाधनों के प्रयोक्ताओं (व्यापारियों अथवा निर्माताओं) के साथ बेहतर समझौता वार्ता हेतु बीएमसी कर्मिकों की सहायता के लिए 'नेगोशिएशन स्किल बिल्डिंग फॉर बीएमसी' विषय पर दो प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किया गया।

Photography: Shivang Mehta, Delhi

अध्याय

8

Photography: Vanam Sharath, Warangal

गतिविधियां और उपलब्धियां

भारतीय विज्ञान कांग्रेस (आईएससी)

3 से 4 जनवरी, 2017 को आंध्र प्रदेश के तिरुपति में स्थित श्रीवेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी में आयोजित की गई 104वीं इंडियन साइंस कांग्रेस (आईएससी) में शैक्षिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। संपूर्ण भारत के वैज्ञानिक समुदाय, शिक्षाविदों, शिक्षकों, और आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना के युवाओं और स्कूली बच्चों सहित हितधारकों को बीडी अधिनियम 2002 और नियम 2004 के कार्यान्वयन में शामिल उद्देश्यों और प्रक्रियाओं के बारे में एनबीए (जीईएफ और सीईबीपीओएल) और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्डों की टीमों ने जानकारी साझा की।

जैविक विविधता 2016 के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस

प्रति वर्ष अंतरराष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस के अवसर पर एनबीए राष्ट्रीय स्तर पर, जबकि एसबीबी राज्य स्तर पर समारोह का आयोजन करता है। आईडीबी 2016, संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की भागीदारी में एनबीए के माध्यम से महाराष्ट्र एसबीबी के सहयोग से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा यशवंत राव सभागार, मुंबई में आयोजित किया गया था। इस वर्ष का विषय था ''जैव विविधता को मुख्य धारा में लाना : लोगों और उनके जीविकोपार्जन को सतत रूप से बनाए रखना''।

महाराष्ट्र के माननीय राज्यपाल श्री विद्यासागार राव मुख्य अतिथि थे और श्री प्रकाश जावड़ेकर, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। एनबीए की अध्यक्ष डॉ. मीना कुमारी, पारिस्थितिकीय विज्ञान केंद्र, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर के प्रो. रमन सुकुमार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अपर सचिव डॉ. एम. एम. कुट्टी, संयुक्त राष्ट्र रेजीडेंट कोऑर्डिनेटर और भारत में यूएनडीपी के रेजिडेंट यूएनडीपी प्रतिनिधि श्री पूरी आसनसीव, महाराष्ट्र एसबीबी के अध्यक्ष डॉ. विलास बारेडकर महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव श्री स्वाधीन एस क्षत्रिय, आईसीएआर के संस्थानों, राज्य वन विभाग, बॉम्बे प्राकृतिक विज्ञान सोसाइटी, नागरिक समाज संगठन, शैक्षिक संस्थानों के प्रतिनिधियों, मुंबई विश्वविद्यालय के कॉलेजों के छात्रों और जैवविविधता में रुचि रखने वालों ने इस समारोह में भाग लिया।

डॉ एम. एम. कुट्टी ने सभा का स्वागत किया। राज्यपाल ने जैविक संसाधनों के संरक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा की चुनौती को पूरा करने के लिए सरकार, व्यवसाय, कृषि अनुसंधान संस्थान, गैर सरकारी संगठनों और किसानों के बीच साझेदारी के लिए आमंत्रित किया। श्री जावड़ेकर ने दिन के विषय को संदर्भित किया और विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में जैव विविधता द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला।

राज्यपाल ने जैव विविधता के संरक्षण के प्रयासों को स्वीकार करने के लिए चार श्रेणियों के तहत भारत जैव विविधता पुरस्कार 2016 प्रस्तुत किया। इस अवसर पर भारत जैव विविधता पुरस्कार 2016 के भारत स्वाभाविक रूप से मनाए जाने वाले विजेताओं का प्रकाशन जारी किया गया था। समारोह के विषय पर एक प्रदर्शनी आयोजित की गई, और इस पर गणमान्य व्यक्तियों, छात्रों और जनता के सदस्यों ने दौरा किया।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस

21 जून 2016 को एनबीए में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। अध्यक्ष और सचिव, एनबीए दोनों पहल के संचालन के लिए उपस्थित थे। श्री आर. रमेश, पी. एस. अध्यक्ष को, दिन के महत्व और दैनिक जीवन में योग का महत्व समझाया। उन्होंने प्रशिक्षक की भूमिका का निष्पादन किया और एक संक्षिप्त योग सत्र का उद्घाटन किया जो अब कार्यालय परिसर में कर्मचारियों के लिए नियमित रूप से आयोजित की जाती है।

हिन्दी दिवस

हिंदी को संघ सरकार की राजभाषा के रूप में महत्व को मान्यता देते हुए एनबीए के कर्मचारियों ने 14 सितंबर 2016 को 'हिंदी दिवस' उत्साह मनाया। एनबीए के सचिव की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में हिंदी प्रचार सभा के सहायक निदेशक श्री रनवीर सिंह मुख्य अतिथि थे और सभी कर्मचारियों ने इसमें भाग लिया। सचिव ने स्वागत संबोधन किया। कर्मचारियों के लिए खेलों और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। श्री रनबीर सिंह ने 'हिंदी दिवस' पर संक्षिप्त व्याख्यान दिया जिसमें उन्होंने इसकी उत्पत्ति और महत्व के बारे में बताया तथा हिंदी सीखने के लिए अवसरों की रूपरेखा प्रस्तुत की और सरकारी कर्मचारियों को ऐसा करने के लाभों के बारे में बताया। सचिव ने इस कार्यवाही को ऐसा करने के लाभों में बताया। सचिव ने इस कार्यवाही का सारंश प्रस्तुत किया और बताया कि एनबीए अपने कर्मचारियों में हिंदी के कार्यसाधक ज्ञान को बढ़ाने की पहल को आगे बढ़ाएगा। एनबीए में हिंदी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए तीन कर्मचारियों – श्री टी. नरेंद्रन, डॉ. संगीता मिश्रा और श्री राजीव रंजन शाही की एक समिति गठित की गई थी। कर्मचारियों ने हिंदी के सामान्य शब्दों की समझ बढ़ाने के प्रयास में सूचना पर प्रतिदिन एक नया शब्द लिखने का काम शुरू किया गया।

राज्य जैव विविधता बोर्ड की 11वीं राष्ट्रीय बैठक

एसबीबी की ग्यारहवीं राष्ट्रीय बैठक 30 सितंबर से 1 अक्तूबर, 2016 तक चेन्नई में आयोजित की गई थी। 23 राज्यों के सदस्य सचिवों, पांच एनबीए सदस्यों और विशेष आमंत्रितों ने बीएमसी, पीबीआर, एबीएस और अन्य संबंधित प्रशासनिक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। इस बैठक में जैव–विविधता प्रबंधन समितियों का गठन करने और लोगों के जैव विविधता रजिस्टर, पहुंच और लाभ साझेदारी तंत्र इत्यादि तैयार करने सहित एसबीबी के सामने आए विभिन्न मुद्दों पर गहन चर्चा करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। इस अवसर पर एसबीबी की पूर्व राष्ट्रीय बैठक से संबंधित की गई कार्यवाई संबंधी रिपोर्ट और एसबीबी द्वारा की गई प्रगति पर भी चर्चा की गई।

राष्ट्रीय बैठक में प्रतिनिधियों ने विस्तार से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जो स्थानीय जैव संसाधनों के संरक्षण, पहुंच को सुविधाजनक बनाने और जैव–संसाधनों से उत्पन्न होने वाले लाभों को साझा करने और परंपरागत ज्ञान की सुरक्षा के लिए एसबीबी के बेहतर और कुशल कार्यों के लिए छांटे जाने की जरूरत है। इस तीन प्रक्रिया के तहत समूह

चर्चा और सुधार के लिए सुझाव किए गए थे।

- एसबीबी द्वारा प्रवेश और लाभ साझा करने के आवेदन प्रसंस्करण
- एसबीबी द्वारा अर्जित निधियों का उपयोग करने के लिए प्रक्रिया / रूपरेखाओं के लिए दिशानिर्देश
- एसबीबी द्वारा अनुमोदन के बारे में जानकारी साझा करना

सभी राज्य बोर्ड ने अपनी सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को साझा किया और पीबीआर के डिजिटलीकरण, बीएमसी का गठन करने में पंचायती राज संस्थानों को जोड़ने और एसबीएपी के संबंध में हुई प्रगति जैसे मामलों पर चर्चा में भाग लिया। परिणाम में राज्य जैव विविधता निधियों के उपयोग के लिए दिशा–निर्देशों का विकास, दिए गए अनुमोदन के विवरणों को फीड करने के लिए एसबीबी के लिए एक पोर्टल की स्थापना, राज्य के नियमों में असंगत प्रावधानों में संशोधन, पीबीआर का डिजिटाइजेशन और पंचायत राज संस्थानों के साथ बीएमसी को जोड़ना शामिल है।

एनबीए के 13वें स्थापना दिवस का उत्सव

एनबीए के 13 वें स्थापना दिवस 1 अक्टूबर, 2016 को एनबीए, चेन्नई के परिसर में मनाया गया। डॉ. अमिता प्रसाद, आईएएस, अपर सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अध्यक्षता। प्रोफेसर पी. वनांगमुडी, उप–कुलपति, तमिलनाडु डॉ. अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी, चेन्नई के मुख्य अतिथि थे। एनबीए के सदस्यों और एसबीबी के प्रतिनिधियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर, एनबीए द्वारा संकलित राज्यों के जैव विविधता नियमों का संग्रह, महाराष्ट्र राज्य जैव विविधता बोर्ड और वॉटरशेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट, पुणे द्वारा तैयार की गई पीबीआर पर नियमावली, और 2015–16 के दौरान एनबीए की उपलब्धियों पर ब्रोशर जारी किया गया।

डॉ. अमिता प्रसाद ने एनबीए और एसबीबी के प्रयासों की प्रशंसा की और सभी संबंधितों से जैव विविधता अधिनियम का कार्यान्वयन करने और हितधारकों के बीच इसके बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए कठोर परिश्रम करने का अनुरोध किया। प्रो. वनांगामुडि ने अपने संबोधन में जैव विविधता अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए एनबीए द्वारा किए गए प्रयासों की प्रशंसा करते हुए बहुमूल्य जैव संसाधनों के संरक्षण और सतत प्रयोग के लिए आयोजित किए जाने वाले जागरूकता कार्यक्रमों की आवश्यकता के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जैव विविधता अधिनियम के कार्यान्वयन के महत्व का संदेश प्रचारित करने के लिए एनबीए के साथ शामिल होने से लॉ यूनिवर्सिटी को खुशी होगी।

इस अवसर पर सीआईबीए निदेशक डॉ. के. के. विजयन और डॉ. एस. सुब्रमण्यम, सदस्य का स्वागत किया।

डॉ. बी. मीनाकुमारी, अध्यक्ष, एनबीए ने एनबीए के बेहतर कार्य के लिए एमओईएफसीसी और एसबीबी द्वारा प्रदान किए गए समर्थन का स्वागत किया और सराहना की।

राष्ट्रीय युवा दिवस

राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर को चिह्नित करने के लिए, 9 जनवरी, 2017 को एनबीए, चेन्नई में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) की मदद से 'डिजिटल पेमेंट' पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यालय में तैनात सभी अधिकारियों, नियमित स्टाफ, सलाहकार, परियोजना और आउटसोर्स स्टाफ ने कार्यक्रम में भाग लिया। एनपीसीआई के एक प्रशिक्षक द्वारा डिजिटल भुगतान के तंत्र और उसकी उपयोगिता के बारे में कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने के लिए एक दो घंटे का अभिविन्यास आयोजित किया गया था।

विश्व आर्द्रभूमि (वेटलैंड) दिवस 2017 के लिए रेडियो आउटरीच और जागरूकता अभियान

एनबीए द्वारा एक रेडियो आउटरीच पहल और एक जागरूकता अभियान को विश्व आर्द्रभूमि (वेटलैंड) दिवस 2017 के उत्सव के एक भाग के रूप में सीईबीपीओएल कार्यक्रम के समर्थन से लिया गया था। विषय 'अन्य बहुपक्षीय पर्यावरण समझौतों और संगठनों के साथ इंटरफ़ेस' था। एनबीए प्रसारण जानकारीपूर्ण स्निपेट, एफएम रेडियो के माध्यम से वेटलैंड, आपदा प्रबंधन में उनकी भूमिका, और उनकी रक्षा करने के तरीके और साधन। प्रसारण पांच शहरों – चेन्नई, नई दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद और तिरुवनंतपुरम में एक महीने (1 फरवरी से 2 मार्च 2017) तक फैला एक से दो सप्ताह तक की अवधि के दौरान किए गए थे।

एनबीए ने 2 फरवरी 2017 को एक स्कूल की आउटरीच और जागरूकता बढ़ाने का भी कार्यान्वयन किया। चेन्नई सिटी कॉर्पोरेशन के भीतर 300 से अधिक स्कूलों में रामसर हैंडआउट्स की अनुवादित प्रतियां प्राप्त हुईं। स्कूल के प्रशासक और नगर पार्षदों से अनुरोध किया गया कि वे मुख्य संदेशों को प्रसारित करने के लिए सुबह विधानसभा के दौरान एक छोटे से आयोजन का प्रयास करने / हिस्सा बनने के प्रयास का समर्थन करें।

केंद्र सरकार के राजभाषा को दिए गए महत्व को देखते हुए एनबीए द्वारा 2016 से हर साल 14 सितंबर को ''हिंदी दिवस'' मनाना शुरू किया गया है।

अध्याय

9

Photography: Tejal Chauhan, Gujarat

कानूनी और विनियामक रूपरेखा की समीक्षा

9.1 जैविक विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 38 के अधीन प्राणियों तथा पौधों के संकट में पड़े प्रजातियों पर अधिसूचना

जैविक विविधता अधिनियम 2002 की धारा 38 संबंधित राज्य सरकार के साथ परामर्श में केंद्र सरकार को निकट भविष्य में लुप्तप्राय होने की स्थिति में रहने वाले पौधों तथा प्राणियों को अधिसूचित करने का तथा किसी प्रयोजन के लिए इन प्रजातियों को निषिद्ध या नियंत्रण करने का तथा उनको पुनर्वास दिलाने तथा परिरक्षण करने के लिए उचित कदम लेने का अधिकार प्रदान करता है।

एमओईएफसीसी, ने संबंधित राज्य सरकारों के साथ परामर्श में 16 राज्यों में तथा दो संघ राज्यों में अर्थात बिहार, गोव, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, ओडिसा, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार द्वीप तथा दमन और द्वीप तथा दादर और नगर हवेली में अधिसूचना को जारी किया गया है। इन अधिसूचनाओं में कुल 132 पौधों और 157 प्रजातियों की प्रजातियों को शामिल किया गया है और संबंधित एसबीबी पर उनके पास पहुंच को विनियमित करने और उन्हें पुनर्वास और सुरक्षित रखने के लिए उचित कदम उठाए गए हैं। अन्य राज्यों के साथ इस मामले का अनुपालन किया जा रहा है।

9.2 कानूनी सेल

विचाराधीन वर्ष कै दौरान, उपयोगकर्ताओं और एनबीए के बीच 167 एबीएस समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे।

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा या उसके विरुद्ध वर्तमान में जारी मुकद्दमें

विभिन्न अदालतों / ट्रिब्यूनल से पहले राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण / पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा या उसके विरुद्ध मुकद्दमों से निपटाने के लिए जिम्मेदार है। यह न्यायालयों / ट्रिब्यूनल को पैरा–वार उत्तर तैयार करने और कानूनी मंच से पहले एनबीए के लिए पेश होने वाले वकील की सहायता के लिए अनिवार्य है। जैविक विविधता अधिनियम 2002 तथा उपरोक्त अधिनियम के अधीन जारी किए गए किसी आदेश या निर्देशों के उल्लंघन से संबंधित प्रकरणों में एनबीए द्वारा सक्रिय कदम लिया जा रहा है।

विभिन्न न्यायालय / ट्रिब्यूनल से पहले एनबीए के निलंबित प्रकरणों की सूची

यहां वर्ष 2016–17 के दौरान कानून के विभिन्न अदालतों के सामने एनबीए के निलंबित से संबंधित 20 प्रकरण थे। उन अदालतों की सूची नीचे दी गई है, जिनमें सुनवाई की जा रही है :

- भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय (तीन प्रकरण)
- कनार्टक के माननीय उच्च न्यायालय, धारवाड़ बेंच (दो प्रकरण)
- माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर बेंच (एक प्रकरण)
- माननीय बंबई उच्च न्यायालय, नागपुर बेंच (एक प्रकरण)
- माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय – नैनीताल बेंच (एक प्रकरण)
- माननीय मद्रास उच्च न्यायालय (एक प्रकरण)
- राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल (एसजेड), चेन्नई (तीन प्रकरण)
- राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल, (सीजेड) भोपाल (एक प्रकरण)
- राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल, प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली (पांच प्रकरण)
- राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल, (डब्लयूजेड), पुणे (एक प्रकरण)
- प्रिंसिपल जेएमएफसी न्यायालय, धारवाड (एक प्रकरण)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा प्राप्त आवेदन तथा अपीलों को अक्षरशः सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के साथ अनुपाल में कानूनी सेल द्वारा प्रक्रियाकृत किया गया तथा केंद्रीय जन सूचना अधिकारी या प्रथम अपीलीय प्राधिकरण द्वारा जैसे प्रकरण हो, कानूनी सेल की सहायता के साथ निपटान किया गया।

राज्य जैव विविधता नियम

जैविक विविधता अधिनियम 2002 की धारा 63 के अधीन उन्हें प्रदत्त अधिकारों के अनुसरण में विभिन्न राज्यों द्वारा तैयार किए गए राज्य जैविक विविधता नियमों का एनबीए द्वारा पुनर्विलोकन किया गया। पुनर्विलोकन संज्ञान में किया गया था या संबंधित राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा पुनर्विलोकन के लिए विनती पर आधारित करके किया गया। अब तक, कानूनी दल द्वारा पुनर्विलोकन किया गया। राज्य आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, ओडिसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, मणिपुर, गुजरात और तमिलनाडु हैं।

Photography: Anupam, Kolkata

अध्याय

10

Photography: Shawon Mitra, Bangaldesh

वित्त और लेखा

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां और भुगतान

NATIONAL BIODIVERSITY AUTHORITY
TARMANI, CHENNAI - 600 113

Receipts and Payments Account for the year ended 31st March, 2017

(Amount in Rs.)

Receipts	Current Year: 2016 - 17		Previous Year 2015 - 16		Payments	Current Year 2016 - 17		Previous Year 2015 - 16
	Plan	Non-Plan	Plan	Non-Plan		Plan	Non-Plan	Plan
I. Opening Balances					**I. Expenditures:**			
a) Cash in hand	50,000	0	50,000	0	a) Establishment-Expenses	3,39,67,510	0	3,20,14,017
b) Bank Balances					b) Administrative-Expenses	3,71,54,723	0	6,37,06,532
i) In Current A/c	0	0	0	0				
ii) In Deposit A/c	26,89,76,415	0	1,20,00,000	0				
iii) In Savings A/c	10,46,05,637	0	24,64,59,365	0				
c) GEF Bank A/c	2,46,58,479	0	4,64,16,714	0	**II. Payment made towards Funding for for various Proposals**	59,18,376	0	77,81,950
d) CEBPOL Bank A/c	1,83,57,247	0	1,07,97,077	0				
II. Grants-Received:					**III. Investments / Deposits Made:**			
a) From Government of India (MoEF)	17,60,13,387	0	8,52,83,471	0	a) Out of Earmarked / Endowment funds	0	0	0
b) From State Government	0	0	0	0	b) Out of own Funds	0	0	0
c) From Other Soures	0	0	0	0	**IV. Expenditure - on Fixed Assets & & Capital Work in-Progress**			
III. Income on-Investments Form					a) Purchase of Fixed Assets	5,54,173	0	2,03,255
a) Earmarked / Endowment Funds	0	0	11,17,000	0	b) Expenditure on Capital Work-in Progress	0	0	16,11,385
b) Own Funds (Other Investments)	1,80,50,550	0	0	0	**IV. Refund of Surplus money / Loans**			
IV. Interest Received								
a) On Bank S.B Authority	5,24,998	0	80,96,496	0	a) To the Govt. of India for CoP-11	0	0	0
b) On Bank S.B Fund	59,15,023	0	0	0	b) To the State Government	0	0	0
c) Loan, Advances, etc.					c) To other providers of funds	0	0	0
V. Other Incomes								
a) Application Fees	6,95,467	0	7,40,221	0	**VI. Finance - Charges (Interest)**	0	0	0
b) Royalty Fees/Upfront	3,50,502	0	174	0				
c) 5% Benefit Sharing recd. from A.P.Forest Devt. Corporation Ltd.	12,45,38,647	0	18,83,01,918 0	0				
c) Miscellaneous-Income	630	0	0	0				
d) Sale of Newspapers	4,410	0	2,465	0				
e) Sale of Assets	0	0	0	0				
f) RTI filling fees	2,240	0	130	0				
V. Amount-Borrowed			0		**VII. Other Payments** Security /Telephone Deposits/E.M.D.repaid	0 16,87,500	0	90,000

(Amount in Rs.)

Receipts	Current Year: 2016 - 17		Previous Year 2015 - 16		Payments	Current Year 2016 - 17		Previous Year 2015 - 16
	Plan	Non-Plan	Plan	Non-Plan		Plan	Non-Plan	Plan
VII. Other Receipts					SBBs. Share of Royalty	0	0	0
Earnest Money / Security Deposit / Ret.Money	17,52,500	0	7,500	0	GIA for Strenghening of SBBs.	2,71,88,963	0	2,99,95,884
Recd. from Contractors								
Tele.deposit (Refund)		0		0	GIA for Constitution of BMCs. & PBRs. Preparation	7,04,34,888	0	3,43,85,474
	0		9,000		5% Benefit Sharing Paid	3,37,14,277	0	0
CEBPOL Project	9,56,680	0	1,27,69,075	0	CEBPOL Project A/c	50,77,010		51,98,195
GIA for ABS Dialogue	0	0	5,40,457	0	GEF on NBSAP Project		0	0
Workshops at Goa						0		
NPS Payable A/c	4,598	0	0	0	ABS Dialogue Meeting Expenses at Goa	0	0	51,283
GEF. Project A/c	5,23,41,732	0	2,21,37,720	0	CBD-HLP Meetings	0	0	0
Refund unspent balance of Cop11	0	0	2,41,474	0	CoP-11 Related Exp.			
						0		55,000
Africian TK Workshop	0	0	6,66,450		GEF. Project A/c	5,24,37,767	0	4,38,95,955
EMD Payable A/c	72,500	0	0		UNDP. Project A/c	0	0	0
					Asean Capacity Building	4,57,707		
					VIII. Closing - Balances			
					a) Cash hand	50,000	0	50,000
					b) Bank Balances:			
					i) In Deposit A/c	28,70,26,965	0	26,89,76,415
					ii) In Savings A/c	20,34,02,422	0	10,46,05,636
					c) GEF Cash & Bank A/c	2,45,62,444	0	2,46,58,479
					d) CEBPOL Bank A/c	1,42,36,917	0	1,83,57,247
Total	79,78,71,642	0	63,56,36,707	0	Total	79,78,71,642	0	63,56,36,707

ACCOUNTS OFFICER **SECRETARY** **CHAIRPERSON**

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

NATIONAL BIODIVERSITY AUTHORITY

TARAMANI, CHENNAI -600 113

Income and Expenditure Account for the year ended 31st. March, 2017

(Amount in Rs.)

INCOME	Sch. No.	Current Year: 2016-17		Previous Year:	2015-16
		Plan	Non-Plan	Plan	Non-Plan
Income from Sales / Services	12				
Grants/ Subsidies: (Rs.)					
Grants/received as per Sch.No.13 17,60,13,387	13	18,64,08,410	0	17,63,03,086	0
un utilized Grants for 2015-16 1,09,38,556					
Less: Capitalization of Fixed Assets-} during the year 2016-17 } (-) 5,43,533					
Net Income from Grants 18,64,08,410					
Fees / Subscription	14	0	0	0	0
Income from Investments (Income on Investments from Earmarked / Endowment Funds transferred to Funds)	15	0	0	0	0
Income from Royalty, Publication etc.	16	0	0	0	0
Interest Earned	17	9,32,875	0	41,50,548	0
Other Income	18	7,280	0	2,595	0
Increase / (decrease) in stock of Finished goods and works in-progress	19	0	0	0	0
TOTAL (A)		**18,73,48,565**	**0**	**18,04,56,229**	**0**
EXPENDITURE					
Establishment Expenses	20	3,39,67,510	0	32,013,387.00	0
Other Administrative Expenses etc.	21	4,36,20,622	0	7,33,00,527	0
Expenditure on Grants, Subsidies etc.	22	9,76,23,851	0	6,43,81,358	0
Interest	23	0	0	0	0
Depreciation as per Schedule 8		18,40,939	0	21,73,389	0
Loss on Sale of Assets		0	0	8,177	0
TOTAL (B)		**17,70,52,922**	**0**	**17,18,76,838**	**0**
Balance being excess of Income over Ecpenditure (A-B)		**1,02,95,643**	**0**	**85,79,391**	**0**
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS					

ACCOUNTS OFFICER **SECRETARY** **CHAIRPERSON**

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन पत्र

NATIONAL BIODIVERSITY AUTHORITY
TARAMANI, CHENNAI - 600 113

Balance Sheet for the year ended 31st March, 2017

(Amount in Rs.)

CORPUS / CAPITAL FUND AND LIABILITIES	Sch. No.	Current Year: 2016-17		Previous Year: 2015-16	
		Plan	Non-Plan	Plan	Non-Plan
CAPITAL FUND	1	1,34,89,272	**0**	1,43,90,056	0
RESERVES AND SURPLUS	2		**0**	0	0
EARMARKED / ENDOWMENT FUNDS	3	50,14,49,630	**0**	37,45,72,573	0
SECURED LOANS AND BORROWINGS	4	0	**0**	0	0
UNSECURED LOANS AND BORROWINGS	5	0	**0**	0	0
DEFERRED CREDIT LIABILITIES	6	0	**0**	0	0
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	7	2,42,84,506	**0**	1,56,30,571	0
TOTAL		**53,92,23,408**	**0**	**40,45,93,200**	**0**
ASSETS					
FIXED ASSETS	8	1,37,98,968	0	1,50,85,734	0
INVESTMENTS- FROM EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS	9	0	0	0	0
INVESTMENTS - OTHERS	10	0	0	0	0
CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.	11	52,54,24,440	0	38,95,07,466	0
MISCELLANEOUS EXPENDITURE (To the extent not written off or adjusted)			**0**	0	0
TOTAL		**53,92,23,408**	**0**	**40,45,93,200**	**0**
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	**24**				
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	**25**				

ACCOUNTS OFFICER **SECRETARY** **CHAIRPERSON**

Photography: Pradip Kumar Mahato, Kochi

अध्याय

11

Photography: Pradip Kumar Mahato, Kochi

वर्ष 2017–18 के लिए वार्षिक योजना

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण जैविक विविधता सम्मेलन (सीबीडी) के जनादेश को पूरा करने और भारत में जैविक विविधता अधिनियम को कार्यान्वित करने के अपने मुख्य उद्देश्य के बराबर रखने के लिए हर वर्ष कार्रवाई अंक की एक सूची तैयार करता है। इसके अनुसरण में, एनबीए ने 2017–18 के दौरान राज्य जैव विविधता बोर्ड (एसबीबी) और जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) की सक्रिय भागीदारी के साथ निम्नलिखित पंक्ति की कार्रवाई का प्रस्ताव किया है।

- एनबीए पर्याप्त जनशक्ति और बुनियादी ढांचे के साथ एसबीबी को समर्थन और मजबूत करने के लिए राज्य सरकारों को सलाह देने हेतु एमओईएफ एंड सीसी से हस्तक्षेप की मांग करता है।

- अधिनियम की धारा 22(2) से संबंधित अधिकारों या कार्यों के लिए संघ राज्य क्षेत्रों के साथ अनुपालन करना और जैव विविधता प्रबंधन समितियों के गठन की सुविधा प्रदान करना।

- देश में एसबीबी / बीएमसी के संस्थागत तंत्र को मजबूत करना और पंचायती राज संस्थानों और जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ बातचीत करना, बीएमसी के गठन और राज्यों में पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर (पीबीआर) की तैयारी और हितधारक स्तर पर क्षमता निर्माण करना।

- एनबीए पर एबीएस आवेदनों के वास्तविक समय प्रसंस्करण को कार्यान्वित करना।

- एसबीबी द्वारा प्रलेखित डेटा को संकलित करने के लिए एक समान स्वरूप विकसित करने हेतु पीबीआर को डिजीटल करना।

- बीएमसी के गठन और पीबीआर की तैयारी के लिए एसबीबी को सहायता अनुदान के लिए सत्यापन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए भारत भर में स्थानीय निकायों का एक डिजिटल डेटाबेस बनाना।

- वनों, वन्यजीव, जैव प्रौद्योगिकी, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क विभागों के अधिकारियों को जैव–संसाधनों, जैव–संसाधनों के संरक्षण और उनके स्थायी प्रबंधन से संबंधित लाइन विभागों के साथ प्रशिक्षण प्रदान करना।

- गैर सरकारी संगठनों, शिक्षाविदों, अनुसंधान संस्थानों, संरक्षण समूहों और सरकारी विभागों द्वारा कार्यशालाओं, सेमिनार और संगोष्ठी के माध्यम से बीडी अधिनियम 2002 पर जागरूकता अभियान आयोजित करना।

- प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आउटरीच कार्यक्रमों को धारण करना; जैविक विविधता अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विभिन्न हितधारकों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करना।

- बीडी अधिनियम की धारा 40 के तहत सामान्य रूप से व्यापारित वस्तुओं (एनटीसी) के रूप में वर्गीकृत जैव संसाधनों की सूची के लिए आवश्यक–आधारित सुधार और अद्यतन की व्यवस्था करें।

- बीडी अधिनियम की धारा 27 के तहत राष्ट्रीय जैव विविधता कोष का उपयोग करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करना।

- स्थानीय स्व–प्रशासन कार्यकर्ताओं और लोगों के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न हितधारकों के लाभ के लिए जैव विविधता प्रशासन पर क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज, हैदराबाद, के साथ सहयोग करें।

- पहुंच और लाभ साझेदारी (एबीएस), बहु पार्श्वीय पर्यावरण समझौतों, आक्रमणशील विदेशी प्रजाति, प्रकृति सूचकांक और मुख्य क्षेत्रों में जैव विविधता के उत्पादन क्षेत्रों में विभिन्न हितधारकों (शिक्षाविदों, प्रशासकों, वैज्ञानिकों और चिकित्सकों सहित) में क्षमता निर्माण की सुविधा।

Photography: Raja Charles, Coimbatore

अध्याय

12

Photography: Susmita Datta, Hooghly

परियोजनाएं

12.1 यूएनईपी – जीईएफ – एमओईएफसीसी एबीएस परियोजना

पहुंच और लाभ साझा करने के प्रावधानों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ जैव विविधता अधिनियम और नियमों के कार्यान्वयन का सुदृढ़ीकरण

इस परियोजना का उद्देश्य पहुंच और लाभ साझेदारी (एबीएस) प्रावधानों के कार्यान्वयन के जरिए जैव विविधता संरक्षण का सरंक्षण करने के लिए जैव विविधता अधिनियम 2002 और नियम, 2004 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए हितधारकों की सांस्थानिक, व्यक्तिगत और निकाय संबंधी क्षमताओं में वृद्धि करना है। एनबीए द्वारा यह परियोजना भारत के 10 राज्य जैव विविधता बोर्डों अर्थात आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और त्रिपुरा के साथ भागीदारी में कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (बीएसआई), भारतीय प्राणि सर्वेक्षण (जेडएसआई), संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय सततता में उन्नत अध्ययन हेतु संस्थान, वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ) और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम–पर्यावरणीय कानून और कन्वेंशन (यूएनईपी–डीईएलसी) की भागीदारी है।

वर्ष के लिए प्रमुख गतिविधियों में क्षमता निर्माण कार्यक्रम और जैव विविधता प्रबंधन समितियों के लिए विनिमय यात्राओं, आईपीआर पर एक दो दिवसीय राज्य स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम और पारंपरिक ज्ञान के दस्तावेज और 'औषधीय पौधों का संरक्षण और विकास क्षेत्रों' पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला शामिल थी।

जैव विविधता अधिनियम, 2002 और नियम 2004 के अंतर्गत एबीएस के बारे में जैवविविधता और उससे संबद्ध नियमों के महत्व संबंधी सूचना का प्रसार करने के लिए परियोजना वाले राज्यों में राज्यस्तरीय मीडिया कार्यशालाएं आयोजित की गई थी; इस परियोजना के लिए छठवीं परियोजना संचालन समिति (पीएससी) की बैठक दिसंबर, 2016 के दौरान आयोजित की गई थी और समिति ने इस परियोजना के अंतर्गत किए गए कार्यों की प्रशंसा की। कुल मिलाकर लगभग 315 जैवविविधता समितियां गठित की गई थी; लगभग 297 स्थानीय जैवविविधता निधियां शुरू की गई थी; 122 जन जैव विविधता रजिस्टर बनाई गई थीं और 244 एबीएस पहुंच आवेदनों पर हस्ताक्षर किए गए थे। परियोजना राज्यों में वैधानिक राज्य जैव–विविधता निधियों के जरिए लगभग 2.17 करोड़ रुपए एकत्र किए गए थे।

परियोजना के तहत विशेष आयोजन

- परियोजना प्रबंधन इकाई, यूएनईपी–जीईएफ एनबीए, ने द्वितीय भारतीय अंतराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव (आईआईएसएफ 2016) में 7 से 11 दिसंबर 2016 तक बीडी अधिनियम 2002, नियम 2004 और परियोजना द्वारा विकसित ज्ञान उत्पादों पर एक प्रदर्शनी आयोजित की। देश भर के शोधकर्ता, वैज्ञानिकों, छात्रों, वैज्ञानिक, पीएच.डी. छात्रों, आईआईटी अध्येताओं, शिक्षाविदों और उद्योगपतियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने किया था।

- परियोजना प्रबंधन इकाई ने 104वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस (आईएससी) में 3 से 7 जनवरी 2017 तक तिरुपति, आंध्र प्रदेश में एक अन्य प्रदर्शनी आयोजित की, जिसमें समारोह में भाग लेने वाले युवाओं, स्कूली बच्चों और वैज्ञानिक समुदाय में जानकारी और ज्ञान का आधार साझा किया गया। भारत के माननीय प्रधान मंत्री, श्री. नरेंद्र मोदी द्वारा इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया था।

- ''एबीएस – भारत से सीखने वाला अच्छा अभ्यास और अध्यायों'' पर एक साइड इवेंट 13वें पार्टी सम्मेलन (सीओपी 13) कैनकुन, मेक्सिको में आयोजित किया गया था। फोकस बीडी अधिनियम के माध्यम से नागोया प्रोटोकॉल का कार्यान्वयन था।

12.2 जैव विविधता नीति और कानून (सीईबीपीओएल) के लिए केंद्र– एक भारत–नॉर्वे सहयोगी पहल

भारत सरकार, नॉर्वेजियन सरकार के सहयोग से, भारत में जैव विविधता नीति और संरक्षण संबंधी मुद्दों को मजबूत करने के उद्देश्य से एनबीए, चेन्नई में जैव विविधता नीति और कानून (सीईबीपीओएल) की स्थापना की है। यह उत्कृष्टता केंद्र जैव विविधता नीतियों और कानूनों पर ध्यान केंद्रित रहा है जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय नियम बनाने और उसके बाद के कार्यान्वयन की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

केंद्र वर्तमान में पांच प्रमुख विषयगत क्षेत्रों, जैसे पहुंच और लाभ साझाकरण, मुख्य धारा में जैविक विविधता, आक्रामक विदेशी प्रजाति, अन्य बहुपक्षीय पर्यावरण समझौतों और संगठनों के साथ इंटरफ़ेस और प्रकृति सूचकांक पर कार्य करता है। एक क्रॉस–कटिंग विषय भी है – अर्थात क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, जागरूकता बढ़ाना और संचार।

वित्तीय वर्ष 2016–2017 के दौरान निम्नलिखित प्रमुख गतिविधियां की गईं :

जैव विविधता पर 8 वीं ट्रॉन्थई सम्मेलन में भागीदारी :

जैव विविधता संबंधी 8वें ट्रोंधीम सम्मेलन में शामिल होने के लिए कार्यक्रम प्रबंधक और सलाहकार, जैव विविधता नियम, सीईबीपीओएल सहित एनबीए के अध्यक्ष ने 31 मई से 3 जून, 2016 तक ट्रोंधीम, नॉर्वे का दौरा किया। इस सम्मेलन का विषय था 'सतत भविष्य के लिए खाद्य पद्धतियां – जैव–विविधता और कृषि के बीच अंत संबंध'। इस सम्मेलन के अधिकांश सत्र सीईबीपीओएल के अंतर्गत कार्य के लिए काफी प्रासंगिक थे और आगंतुकों को 95 देशों के 300 प्रतिभागियों के साथ विचार–विमर्श करने का अवसर मिला। मई, 2016 तक के कार्य की समीक्षा करने और वर्ष 2016 की शेष अवधि के लिए योजनाएं बनाने, कार्यक्रम दस्तावेज का आंतरिक मूल्यांकन करने, एबीएस के अंतर्गत होने वाले सामान्य गतिविधियों की योजना बनाने और प्रकृति सूचकांक पर चर्चा करने के लिए कार्यक्रम साझेदारों के साथ भी बैठकें आयोजित की गई थीं।

एबीएस दिशानिर्देशों पर जागरूकता बढ़ाने वाली कार्यशालाएं :

बायोटेक कंसोर्शियम इंडिया लिमिटेड (बीसीआईएल) ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी), विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और सीईबीपीओएल के सहयोग से सात एक दिवसीय 'जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के अंतर्गत जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए दिशानिर्देशों से संबंधित जागरूकता कार्यशालाओं' का आयोजन किया। ये कार्यशालाएं, जून–जुलाई 2016 और मार्च, 2017 के दौरान दिल्ली, गुवाहाटी, कोलकाता, पुणे, हैदराबाद, बंगलौर और अहमदाबाद में आयोजित की गई थीं। इस श्रृंखला का उद्देश्य जैव विविधिता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों और विशेष रूप से विनियामक आदेश को सुकर बनाने के लिए 'जैविक संसाधनों और संबद्ध ज्ञान एवं लाभ साझेदारी, 2014 तक

पहुंच संबंधी दिशानिर्देशों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना था। इसने प्रतिभागियों में एबीसी से संबंधित मुद्दों को स्पष्ट करने के लिए विचार–विमर्श मंच के रूप में भी कार्य किया और आवेदकों के समक्ष आने वाली समस्याओं के बारे में महत्वपूर्ण फीडबैक दिए।

डॉ. बी. मीनाकुमारी, अध्यक्ष, एनबीए, प्रोफेसर एम.के. रमेश, एनएलएसआईयू, बैंगलोर, डॉ. टी.पी. राजेंद्रन, एबीएस के विशेषज्ञ समिति के सदस्य श्री टी. रबीकुमार, सचिव एनबीए, डॉ. शिवेंदू के. श्रीवास्तव एबीएस के विशेषज्ञ समिति के सदस्य, डॉ. सुहास निंबलकर, डॉ. रूपम मंडल और सी.ई.बी.पी.ओ.एल. से डॉ. प्रभा नायर इन कार्यशालाओं में प्रमुख संसाधन व्यक्ति थे। लगभग 100 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें जैविक संसाधनों का उपयोग करने वाले अनुसंधान में लगे सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों दोनों के वैज्ञानिक, उद्योग, संस्थानों और सरकारी एजेंसियों के आईपी अधिकारी शामिल हैं।

जैव विविधता संबंधी बहुपक्षीय पर्यावरण समझौतों (एमईए) के बीच सहयोग पर दो दिवसीय कार्यशाला :

मानेसर, हरियाणा में 3 अक्तूबर, 2016 से 'जैव विविधता में सहक्रियाएं – संबंधित बहुपक्षीय पर्यावरणीय करार (एमईएएस) संबंधी एक दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना था ताकि राष्ट्रीय जैव–विविधता लक्ष्यों और सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के संदर्भ में हितधारकों में सशक्त समन्वयकों प्रोत्साहन मिले। यह विचार–विमर्श जैव विविधता संबंधी सात

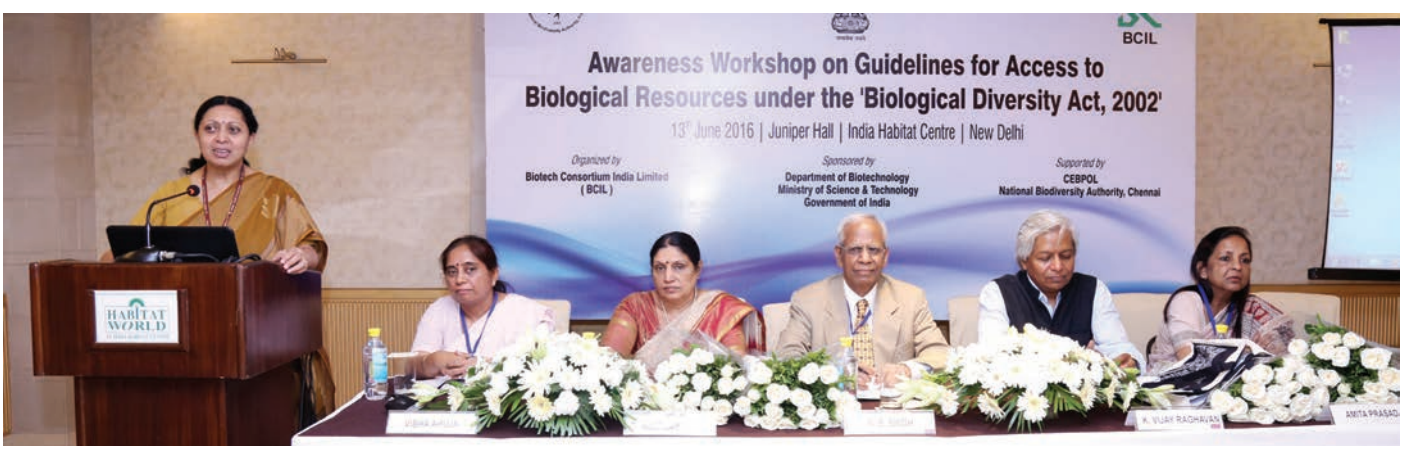

बहुपक्षीय पर्यावरणीय करारों अर्थात् जैव विविधता संबंधी कन्वेंशन, वन्य जीव जंतुओं और वनस्पतियों की संकटापन्न प्रणालियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी कन्वेंशन, वन्य पशुओं की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण संबंधी कन्वेंशन, रामसर कन्वेंशन (आर्द्र भूमियों संबंधी कन्वेंशन), विश्व धरोहर सम्मेलन, भोजन और कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधन संबंधी अंतरराष्ट्रीय संधि और अंतरराष्ट्रीय पादप सुरक्षा कन्वेंशन पर केंद्रित था।

कार्यशाला के मुख्य अतिथि श्री लारस एंड्रियास लुंडे, उप मंत्री, जलवायु और पर्यावरण मंत्रालय, नॉर्वे थे। डॉ. अमिता प्रसाद, अपर सचिव, एमओईएफसीसी, अध्यक्ष। श्री निल्स रागनार कामसवग, राजदूत, रॉयल नॉर्वेजियन एम्बेसी, नई दिल्ली, डॉ. बी. मीनाकुमारी अध्यक्ष, एनबीए और श्री टी. रबीकुमार सचिव, एनबीए भी उपस्थित थे।

कार्यशाला में विचार विमर्श के पश्चात की गई सिफारिशों से एमईए सहक्रियाओं के लिए सूचना के बेहतर मिलान और आदान प्रदान की आवश्यकता, उदाहरण क लिए एनविस मंच के जरिए एक सांस्थानिक व्यवस्था के माध्यम से राष्ट्रीय फोकल पॉइंट्स में इसके लिए बेहतर सहयोग करके क्षमता निर्माण आवश्यकताओं और नियंत्रण को सशक्त बनाने संबंधी एमईए में बेहतर सहक्रियाओं का पता चला।

भारत में जैव विविधता प्रशासन की चुनौतियों और संभावनाओं पर राज्य जैव विविधता बोर्डों के लिए एक परामर्शदात्री सम्मेलन :

सीईबीपीओएल, नेशनल लॉ स्कूल, बंगलौर के सहयोग से, बैंगलोर में 25 और 26 अक्टूबर 2016 में भारत में जैव विविधता प्रशासन की चुनौतियों और संभावनाओं के समाधान के लिए राज्य जैव विविधता बोर्डों के लिए दो दिवसीय परामर्शदात्री सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का उद्देश्य राज्य जैव विविधता बोर्डों द्वारा सामना किए जाने वाले जैव विविधता शासन से संबंधित मुद्दों को संबोधित करना था। 16 राज्यों के 20 प्रतिनिधियों ने सीईबीपीओएल, एनबीए और मेजबान संगठन से प्रतिनिधियों के अलावा सम्मेलन में भाग लिया।

समुद्री मत्स्य पालन क्षेत्र में मुख्यधारा में जैव विविधता पर एक नीति वार्ता :

चेन्नई में एनबीए परिसर में 25 नवंबर को 'समुद्री मत्स्य पालन क्षेत्र में मुख्यधारा में जैव विविधता' पर एक नीति वार्ता आयोजित की गई थी। विभिन्न संगठनों के लगभग 30 मत्स्य पालन विशेषज्ञों ने विचार विमर्श में भाग लिया। श्री. टी. रबी कुमार, सचिव, एनबीए ने स्वागत भाषण दिया और डॉ. बी. मीनाकुमारी, अध्यक्ष, एनबीए ने सीईबीपीओएल की गतिविधियों और नीति वार्ता के उद्देश्य के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी दी। तकनीकी सत्र के दौरान, डॉ. यगुराज सिंह यादव, निदेशक ने बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और डॉ. सी. थॉमसन जैकब द्वारा प्रकाशित समुद्री मत्स्य पालन, 2016 पर

राष्ट्रीय नीति का मसौदा तैयार करने की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डाला, सलाहकार, जैव विविधता नीति, सीईबीपीओएल ने सीईबीपीएल कार्यक्रम के तहत किए गए नीति विश्लेषण के मसौदे की सिफारिशों को प्रस्तुत किया।

कृषि क्षेत्र में मुख्य धारा में जैव विविधता पर नीति वार्ता :

'कृषि क्षेत्र में मुख्य धारा पर जैव विविधता' पर एक राष्ट्रीय स्तर की सलाहकार बैठक का आयोजन पुसा, नई दिल्ली में 20 जनवरी को किया गया। विभिन्न कृषि–संबंधित अनुसंधान संगठनों के 37 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सीएबीआई, एमएसएसआरएफ, जैवविविधता इंटरनेशनल, पीपीवी एंड एफआरए, वर्ल्ड एग्रोफोरेस्ट्री सेंटर, एनबीपीजीआर और एनबीएफजीआर का प्रतिनिधित्व किया गया। एमओए एंड एफडब्ल्यू और एमओईएफसीसी के अधिकारियों ने भी चर्चा में भाग लिया। देश के फूड बास्केट में वृद्धि करने के लिए, यह सिफारिश की गई कि पारिस्थितिक रूप से तेज कृषि खेती पद्धतियों को अपनाया जाए और कृषि मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों, परियोजनाओं और योजनाओं की मुख्यधारा में जैव विविधता को लाया जाए। प्रोफेसर रमेश चंद, सदस्य, नीति आयोग ने बैठक की अध्यक्षता की और भारत की जैव विविधता को बढ़ाने के लिए जैविक खेती पद्धति को अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉ. अमिता प्रसाद, अपर सचिव, एमओईएफसीसी ने मुख्य संबोधन दिया और डॉ. मीनाकुमारी, अध्यक्ष, एनबीए, ने एक विशेष संबोधन दिया।

पहुंच और लाभ साझाकरण और आक्रमणशील विदेशी प्रजातियों पर द्विपक्षीय अनुभव साझाकरण कार्यशाला एबीएस और आक्रामक विदेशी प्रजातियों' संबंधी एक अनुभव आदान प्रदान कार्यशाला का आयोजन एनबीए, चेन्नई में 8 से 11 मार्च, 2017 तक किया गया था। नॉर्वे के प्रतिनिधिमंडल (सुश्री माजा स्टाडे आरोनिस, डॉ. सुन्निवा मार्ग्रेथ ड्वेआगार्ड और सुश्री एस्ट्रिड बर्ज, वरिष्ठ सलाहकार, नॉर्वे पर्यावरण एजेंसी, नॉर्वे विजयन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचर रिसर्च की अनुसंधान निदेशक डॉ. इंगा एलिस ब्रुटीग, सुश्री टोरिललोनेचन मोइन, वरिष्ठ सलाहकार और डॉ. उल्फ हन्नो पिटल, अनुसंधानकर्ता, नॉर्वे विजयन जैव विविधता सूचना केंद्र) एबीएस संबंधी भारतीय विशेषज्ञों (डॉ. आर. एस. राना, अध्यक्ष, कृषि–जैव विविधता संबंधी विशेषज्ञ समिति, एनबीए, प्रो. एम. के. रमेश, नेशनल लॉ स्कूल, डॉ. मंगला राय, अध्यक्ष, पहुंच और लाभ हिस्सेदारी संबंधी विशेषज्ञ समिति, एनबीए, डॉ. उम्मन, अध्यक्ष, केरल राज्य जैव विविधता बोर्ड, डॉ. शरन गौडा, सहायक नियंत्रक पेटेंट्स एंड डिजाइंस) और एनबीए / सीईबीपी ओएल के अधिकारियों ने इस कार्यशाला में भाग लिया। सभी नॉर्वे विजयन और भारतीय प्रतिनिधिमंडलों ने इस कार्यशाला में भाग लिया। इसके पश्चात एबीएस तंत्र को जमीनी स्तर पर समझने के लिए हैदराबाद का क्षेत्रीय भ्रमण किया गया। आक्रामक विदेशी प्रजातियों और पहुंच एवं लाभ साझेदारी संबंधी एक समानांतर सत्र का आयोजन भी किया गया था जिसमें आक्रामक विदेशी प्रजातियों की खोज और भारत व नार्वे में कार्यान्वित किए जा रहे एबीएस आदान–प्रदान किया गया था। इस कार्यशाला के अंत में की गई सिफारिशों में भारतीय आक्रामक विदेशी प्रजाति सूचना प्रणाली (आईआईएएसआईएस) विकसित करना, क्षमता विकास के जरिए जागरूकता उत्पन्न करना, जोखिम आकलन नवाचारों संबंधी दिशानिर्देश बनाना और आइची लक्ष्य प्राप्त करने के तरीके शामिल थे।

12.3 भारत–जर्मन पहुंच और लाभ साझाकरण (एबीएस) भागीदारी परियोजना

एबीएस साझेदारी परियोजना को जर्मन संघीय मंत्रालय के आर्थिक सहयोग और विकास (बीएमजेडे) द्वारा शुरू किया गया था। यह परियोजना भारत–जर्मन जैव विविधता कार्यक्रम के तहत एमओईएफसीसी और ड्यूश गेसेल्स्काफ्टफुर इंटरनेशनल जुसममेनर्बीइट (जीआईजेड) जीएमबीएच के साथ साझेदारी में कार्यान्वित की जाएगी।

महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तराखंड के राज्य जैव विविधता बोर्डों के साथ साझेदारी में एनबीए द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर इस परियोजना का

कार्यान्वयन किया जा रहा है।

इस परियोजना का लक्ष्य नागोया प्रोटोकॉल के तहत भारत की प्रतिबद्धता को बनाए रखने में बीडी अधिनियम 2002 के तहत एबीएस तंत्र के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जैविक संसाधनों और संबद्ध ज्ञान का उपयोग करने वाले समूहों की क्षमता के साथ ही एनबीए, एसबीबी और बीएमसी की क्षमताओं को मजबूत करना है।

परियोजना निम्नलिखित उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करेगी :

- विभिन्न संस्थाओं और हितधारक समूहों के बीच जैविक विविधता अधिनियम 2002, एबीएस दिशानिर्देश और नागोया प्रोटोकॉल के बेहतर समझ बनाने के लिए जागरूकता बढ़ाने, संचार और हितधारक संवाद।
- वाणिज्यिक और / या अनुसंधान उद्देश्यों के लिए जैविक संसाधनों के उपयोग के आधार पर समुदायों के साथ लाभ साझा करने के अच्छे व्यवहारों का विकास
- भारतीय जैव–संसाधनों के उपयोग की प्रभावी ढंग से निगरानी करने के लिए एनबीए और एसबीबी के लिए एबीएस निगरानी प्रणाली का विकास

परियोजना के तहत आयोजित किए गए समारोहों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

एबीएस पर ज्ञान और अनुभव साझाकरण कार्यशाला 208–29 जून 2016 को आयोजित की गई

दो दिवसीय अनुभव साझाकरण कार्यशाला 28 जून, 2016 को चेन्नई में आयोजित की गई थी। कार्यशाला का उद्घाटन डॉ. अमीता प्रसाद, अपर सचिव, एमओईएफसीसी और के डॉ. बी मीनाकुमारी, अध्यक्ष, एनबीए द्वारा किया गया। श्री टी रबीकुमार, एनबीए सचिव, और जीआईजेड के भारत–जर्मन जैव विविधता कार्यक्रम के तत्कालीन निदेशक, श्री. एडगर एंड्रुकाइटिस और डॉ. हार्टमुट मेयर, सलाहकार, एबीएस क्षमता विकास पहल, जीआईजेड मुख्यालय मौजूद थे। कार्यशाला ने एबीएस व्यवस्था को लागू करने में अपने अनुभवों और अध्याय सीख को साझा करने के लिए एसबीबी को एक मंच प्रदान किया। यह एनबीए, एसबीबी, यूएनडीपी और यूएनईपी–जीईएफ एबीएस परियोजनाओं से 35 प्रतिनिधियों को एक साथ लाया। प्रतिभागियों ने अपनी उपलब्धियों, अध्याय सीख, एबीएस के अच्छे अभ्यास, सफलता की कहानियों और कार्यान्वयन में सामना करने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला। यह परियोजना मई 2016 से अप्रैल 2020 तक चार वर्षों की अवधि के लिए कार्यान्वित की जाएगी।

परिचालन योजना कार्यशाला 16 से 18 नवंबर 2016 तक आयोजित की गई

एनबीए परिसर में 16 से 18 नवंबर 2016 तक एक परिचालन योजना कार्यशाला को परियोजना के तहत गतिविधियों को तैयार करने के लिए आयोजित किया गया था। डॉ. मीनाकुमारी, अध्यक्ष और श्री. टी. रबीकुमार, सचिव, एनबीए, और डॉ. कोनराड उबेलेर, निदेशक, जीआईजेड के भारत–जर्मन जैव विविधता कार्यक्रम उपस्थित थे। डॉ. हार्टमट मेयर, ग्लोबल एबीएस कैप्सिटी डेवलपमेंट इनिशिएटिव, जीआईजेड, संसाधन व्यक्ति थे और कार्यशाला को नियंत्रित करते थे। तीन परियोजना राज्यों जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तराखंड, के अध्यक्ष और सदस्य सचिव और एबीएस परियोजना कर्मियों ने संयुक्त रूप से 2017 के लिए परिचालन योजना तैयार की।

अनुलग्नक

अनुलग्नक 1

प्राधिकरण का सदस्य

जैविक विविधता अधिनियम 2002 की धारा 8 (4ए) के अनुसार प्राधिकरण का सदस्य निम्न है :

अध्यक्ष	अवधि
डॉ. (सुश्री) बी मीनाकुमारी	09 फरवरी 2016 से
श्री हेम पांडेय, आईएएस,	06 फरवरी 2014 से 08 फरवरी 2016
डॉ. बालकृष्ण पिसुपति	12 अगस्त, 2011 से 05 फरवरी 2014
श्री एम. एफ. फारूक, आई.ए.एस.	11 नवंबर 2010 से 11 अगस्त 2011
डॉ. पी. एल. गौतम	31 दिसंबर 2008 से 03 नवंबर 2010
श्री पी. आर. मोहांती, आईएफएस	01 अक्टूबर 2008 से 31 दिसंबर 2008
श्री जी. के. प्रसाद, आईएफएस	20 मई 2008 से 30 सितंबर 2008
डॉ. एस कन्नैयन	20 मई 2005 से 19 मई 2008
श्री विश्वनाथ आनंद, आई.ए.एस.	01 अक्टूबर 2003 से 14 जुलाई 2004

धारा 8 (4बी, सी) के अनुसार प्राधिकरण का वर्तमान पदेन सदस्य निम्नलिखित हैं :

क्र. सं.	पदेन सदस्य	द्वारा प्रतिनिधित
1	जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार में संयुक्त सचिव या एक समकक्ष रैंक का एक अधिकारी	निदेशक, जनजातीय मंत्रालय, कमरा नं. 736, ए – विंग, 7वां तल, शास्त्री भवन, नई दिल्ली – 110001
2	अपर महा निदेशक (वन), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार	डॉ. अनिल कुमार, आईएफएस, अपर महा निदेशक, वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग, नई दिल्ली – 110 003
3	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन व्यवहार करने वाले भारत सरकार के संयुक्त सचिव	डॉ. सुजाता अरोड़ा, सलाहकार / वैज्ञानिक – जी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली – 110 003
4	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, कृषि मंत्रालय के अधीन व्यवहार करने वाले भारत सरकार के संयुक्त सचिव या एक समकक्ष रैंक का एक अधिकारी	डॉ. आर. के. सिंह, संयुक्त सचिव (बीज), कृषि एवं सह. कारिता विभाग, कमरा नं. 244, कृषि भवन, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली – 110 001
5	जैव प्रौद्योगिकी विभाग में इस विषय के साथ व्यवहार करने वाले भारत सरकार के संयुक्त सचिव या समकक्ष रैंक का अधिकारी	डॉ. रेणु स्वरूप, वरिष्ठ सलाहकार, जैव प्रौद्योगिकी विभ. ाग, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक नं. 2, लोधी रोड, नई दिल्ली 110 003
6	समुद्री विकास विभाग में इस विषय के साथ व्यवहार करने वाले भारत सरकार के संयुक्त सचिव या एक समकक्ष रैंक का एक अधिकारी	डॉ. आर. किरुबागरन, वैज्ञानिक जी, राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, वेलचेरी – थाम्बरम मैन रोड, नारायनपुरम, पालीकरानाई, चेन्नई – 600 100
7	कृषि और सहकारिता विभाग ने इस विषय के साथ व्यवहार करने वाले भारत सरकार के संयुक्त सचिव या एक समकक्ष रैंक का एक अधिकारी	डॉ. जीत सिंह सिंधु, उप महा निदेशक, फलस विभाग, आईसीएआर, कृषि भवन, राजेंद्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली – 110 001

8	भारतीय चिकित्सा और होमियोपैथी तंत्र विभाग के विषय के साथ व्यवहार करने वाले भारत सरकार के संयुक्त सचिव या एक समकक्ष रैंक का एक अधिकारी	श्रीमती शोमिता बिश्वास, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय औषधीय पौध बोर्ड , आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, तृतीय तल, आयुष भवन, बी ब्लॉक, जी. पी. ओ. कॉम्प्लेक्स, आई. एन. ए., नई दिल्ली – 110 023
9	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में इस विषय के साथ व्यवहार करने वाले भारत सरकार के संयुक्त सचिव या एक समकक्ष रैंक का एक अधिकारी	डॉ. संजय कुमार, निदेशक, इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी पी ओ सं. : 6, पालमपुर, हिमाचल प्रदेश : 176061
10	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग में इस विषय के साथ व्यवहार करने वाले भारत सरकार के संयुक्त सचिव या एक समकक्ष रैंक का एक अधिकारी	डॉ. बी. के. शुक्ला, वैज्ञानिक जी और प्रमुख योजना, समन्वय और निष्पादन प्रबंधन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली – 110 016

गैर – अधिकारिक सदस्य (21 मार्च, 2017 से 20 मार्च, 2020 तक)	
1.	प्रो. उमेश राय, निदेशक, साउथ कैम्पस – नई दिल्ली विश्वविद्यालय कमरा नं. आई 06, प्राणि विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली – 110 007
2.	श्री दर्शन शंकर, उपाध्यक्ष ट्रांस डिसिप्लीनरी यूनिवर्सिटी, फाउंडेशन ऑफ रिवाइटेलाइजेशन ऑफ लोकन हेल्थ ट्रेडिशन्स (एफआरएलएचटी) बैंगलौर – 560 064
3.	डॉ. पाइमल चंद्र भट्टाचार्य ए/3 असियाना हाउसिंग कॉम्प्लेक्स मालीगोन, गुवाहाटी – 781011, असम
4.	डॉ. योगेश सौचे, वरिष्ठ माइक्रोबायोलॉजिस्ट नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी लैब, यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे कैम्पस, यूनिवर्सिटी रोड, गणेशखंड पुणे, महाराष्ट्र
5.	डॉ. दिनेश मिश्रा, नं. 65, सेक्शन 8, गांधी नगर, गुजरात – 382008

जैविक विविधता नियम – 2004 की धारा 9 के अधीन प्राधिकारी के लिए सचिव

श्री टी. रबिकुमार, आईएफएस. 02.04.2014 से

अनुलग्नक 2

संगठनात्मक चार्ट

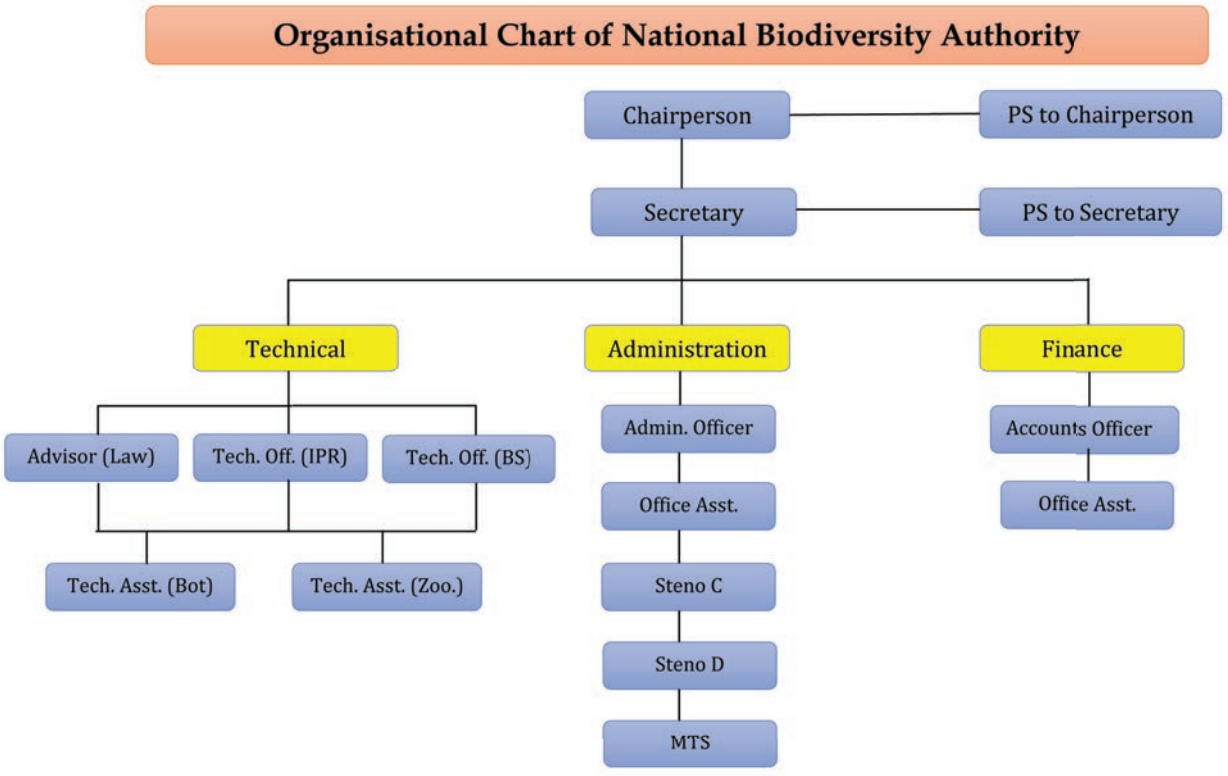

Besides the above Officers and staff, the NBA is supported by the Consultants to assist in technical and miscellaneous matters as per Rule 12(6). The role of consultant is more or less similar to 'Amicus Curiae' in the Court of Law. Besides they assist Chairman and Secretary in preparation of scientific, positon papers and project reports etc.

अनुलग्नक 3

रिक्ति सहित कर्मचारी संख्या

पद	स्वीकृत	नियुक्त	रिक्त
चेयरपर्सन	1	1	-
सचिव	1	1	-
चेयरपर्स का निजी सचिव	1	1	-
सचिव का निजी सचिव	1	1	-
प्रशासनिक अधिकारी	1	1	-
लेखा अधिकारी	1	0	1
तकनीकी अधिकारी	2	2	-
सलाहकार (विधि)	1	1	-
कार्यालय / कंप्यूटर सहायक	2	2	-
तकनीकी सहायक	2	2	-
आशुलिपिक "सी"	1	1	-
आशुलिपिक "डी"	1	1	-
चपरासी	1	1	-
कुल	16	15	-

अनुलग्नक 4

प्रकाशन

- एनबीए द्वारा प्रकाशित राज्य जैव विविधता बोर्ड की 11वीं राष्ट्रीय बैठक पर रिपोर्ट।
- क्रिश्चियन प्रीप (एफएनआई, नॉर्वे) और कर्लोट वन्ट क्लूस्टर (एनबीए, सीईबीपीओएल, भारत) (2016) द्वारा 'द नागोया प्रोटोकॉल ऑन एसेस टू जेनेटिक रिसोर्सेस एंड बेनीफिट शेरिंग : यूजर – कंट्री मेजर्स एंड इम्पलीमेंशन इन इंडिया' के लेखक
- क्रिश्चियन प्रीप (एफएनआई, नॉर्वे) और जी. क्रिस्टीन रोसेंडल और मोर्टेन वॉलोई टवेडट (एफएनआई, नॉर्वे) (2016) द्वारा 'द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑब्लिगेशन्स इन ग्लोबल एनवार्यनमेंटल गावर्नेस एंड लॉ : बायोडायवर्सिटी कंवर्जन एंड सस्टेनेबल यूल' के लेखक
- जैव विविधता अधिनियम के तहत संस्थागत रचना पर पैमफ्लेट (हिंदी और अंग्रेजी)
- आवेदन कैटलॉग पर पैमफ्लेट (हिंदी और अंग्रेजी)

अनुलग्नक 5

जैव विविधता विरासत स्थल (बीएचएस) की सूची

क्र. सं.	राज्य	बीएचएस का नाम	स्थान	अधिसूचना सं.
1	कर्नाटक	नल्लूर में ताम्रिक के पेड़	देवनहल्ली तालुक	आपाजी 154 ईएनवी 2006, बैंगलोर दिनांक 24.01.2007
2	कर्नाटक	घांडी कृषि विज्ञान केंद्र (जीकेवीके) यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस	बैंगलोर (शहरी) जिला	सं. एफईई. 132 ईएनवी 2009, दिनांक 02.09.2010
3	कर्नाटक	होग्रेखान	कदुर तालुक, कि. कमगलौर जिला	सं. एफईई. 35 ईएनवी 2009, दिनांक 04.09.2010
4	कर्नाटक	अम्बर्गागुडा	शिमोगा जिला	2011
5	महाराष्ट्र[a]	ग्लोरी ऑफ अलापल्ली	गडचिरोली जिला	सं. डब्ल्यूएलपी. 0914 / सी.आर.317 / एम–1, दिनांक 15.07.2014
6	पश्चिम बंगाल	धोत्रे	दार्जिलिंग जिला	सं. 716 – ईएनटी / टी – 11 –7 ii / 003 – / 2003, दिनांक 20.03.2015
7	पश्चिम बंगाल	टोंग्लू	दार्जिलिंग जिला	सं. 716 – ईएनटी / टी – 11 –7 ii / 003 – / 2003, दिनांक 20.03.2015
8	उत्तर प्रदेश	घरियल पुनर्वास केंद्र	कुकाराल, लखनऊ	सं. 1348 /XVI –5–2016–15 / 2016, दिनांक : 11.08.2016
9	तेलंगाना	अमीनपुर झील	संगारेड्डी जिला	449 / ईएफएस एंड टी (एफओआर. ।।) डिपार्ट. मेंट, दिनांक 21.11.2016
10	असम	मजुली नदी द्वीप	मजुली जिला	एफआरडब्ल्यू 57 / 2005 / वॉल्यू ।। / 14, दिनांक 29.03.2017
11	मणिपुर	डायलोंग गांव	तामेनग्लोंग	सं. 24 / 3 / 2017 – ईएनवीटी के लिए, दिनांक 23.05.2017

अनुलग्नक 6

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम / संगोष्ठी / कार्यशालाएं संगठित / उपस्थित

बायोटेक कंसोर्टियम इंडिया लिमिटेड, बायोटेक्नोलॉजी और सीईबीपीओएल, एनबीए विभाग के सहयोग से हितधारकों जैसे शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों के लाभ के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में एबीएस 2014 के लिए दिशानिर्देशों पर जागरूकता–निर्माण कार्यशालाओं की एक श्रृंखला का आयोजन किया जिन्होंने विश्वविद्यालयों / कॉलेजों / संस्थानों, अन्य संस्थाओं और एसबीबी में जैव प्रौद्योगिकी, जीवन विज्ञान आदि के साथ सौदा।

पहली कार्यशाला 13 जून 2016 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। इसका उद्घाटन प्रो. विजयराघवन, सचिव, डीबीटी ने किया। डॉ. बी. मीनाकुमार, अध्यक्ष, एनबीए, डॉ. अमिता प्रसाद, आईएएस, अपर सचिव, एमओईएफसीसी, डॉ. आर बी सिंह, पद्म भूषण, चांसलर सीएयू और डॉ. रेणु स्वरूप, वरिष्ठ सलाहकार, डीबीटी उपस्थित थे। कार्यशाला में एबीएस और एबीएस दिशानिर्देश 2014 पर बीडी अधिनियम, नागोया प्रोटोकॉल प्रमुख व्याख्यान शामिल थे। व्यक्तिगत प्रशिक्षण प्रतिभागियों के लिए प्रदान किया गया। कार्यशाला में 45 व्यक्तियों ने भाग लिया।

इसी तरह की कार्यशालाएं गुवाहाटी, असम में 22 जून 2016 और कोलकाता में 24 जून 2016 को आयोजित की गईं। विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने अच्छी तरह से भाग लिया और प्रतिभागियों ने एबीएस मुद्दों पर संसाधन व्यक्तियों के साथ सक्रिय रूप से बातचीत की।

राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्यों और बीडी अधिनियम पर मीडिया को संलग्न करने के लिए एनबीए के समर्थन से 14 जून 2016 को नई दिल्ली में पर्यावरण संचार केंद्र द्वारा एक इंटरैक्टिव मीडिया वर्कशॉप आयोजित किया। बीडी अधिनियम पर संवेदीकरण की आवश्यकता को समझते हुए, भारतीय कृिा अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी– पूरे भारत में 18 संस्थाएं), फार्मेसी काउंसिल ऑ इंडिया (पीसीआई) और भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई), बीडी अधिनियम के प्रमुख पहलुओं और अनुपालन की आवश्यकता के बारे में इन निकायों को सूचित करना।

परिणामस्वरूप, कुछ संगठनों ने अपने अधीनस्थ संस्थानों को बीडी अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने के लिए निर्देश दिया है, जिसमें एनबीए की मंजूरी की आवश्यकता होती है। 6 जनवरी 2017 को एनबीए, चेन्नई में एनबीए और संयंत्र किस्मों का संरक्षण और कृषक अधिकार प्राधिकरण (पीपीवीएफआरए) के बीच एक बैठक आयोजित की गई, क्षेत्रों पर चर्चा करने के लिए जहां तालमेल हासिल किया जा सके। चूंकि उनके बीच अतिव्यापी क्षेत्र हैं, सदस्यों को यह महसूस होता है कि दोनों अधिकारियों को एक साथ काम करने के क्रम में आदेश मिल सकता है।

बरजी इंटरनेशनल सोसायटी फॉर माइक्रोबियल सिस्टेमेटिक्स (बीआईएसएमआईएस) की तीसरी बैठक को 12 से 15 सितंबर, 2016 को पुणे में माइक्रोबायल कल्चर कलेक्शन (एमसीसी) में आयोजित किया गया। इस बैठक में विभिन्न पत्रिकाओं के संपादकों, इंटरनेशनल कमिटी ऑन सिस्टमैटिक्स ऑफ प्रोक्रियोयोट्स के उपाध्यक्ष और यूरोप और एशिया में प्रमुख संस्कृति संग्रहों के प्रमुखों ने भाग लिया। सचिव, एनबीए ने 'सूक्ष्मजीवों को जमा और वितरण के लिए एनबीए की अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया' पर प्रस्तुति दी और बीडी अधिनियम और बीडी नियमों के प्रावधानों के बारे में भाग लेने वालों को भी जानकारी दी।

अनुलग्नक 7

अन्य मंत्रालयों / विभागों द्वारा आयोजित बैठकों में एनबीए अधिकारियों की भागीदारी

एनबीए ने विभिन्न मंत्रालयों / विभागों, जैसे डीजीएफटी, आईसीएआर, सीएसआईआर, डीबीटी, पीपीवीएफआरए, एमओईएफसीसी आदि द्वारा गठित समितियों में सक्रिय रूप से भाग लिया और अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए बीडी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के संबंध में निविष्टियाँ प्रदान की।

23 और 24 मई 2016 को भारत–जर्मन द्विपक्षीय सहयोग के तहत संयंत्र किस्मों और किसान अधिकार प्राधिकरण (पीपीवीएफआरए) के संरक्षण द्वारा आयोजित बीज विकास पर एक संयुक्त कार्यशाला आयोजित की गई। समारोह के भाग के रूप में एबीएस, बीज आंदोलन और आवश्यक औपचारिकताओं और आईपीआर जैसे मुद्दों को स्पष्ट करने के लिए एक हितधारक की बैठक भी आयोजित की गई।

राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी, हैदराबाद ने 13 से 16 जून 2016 तक बौद्धिक संपदा और अनुसंधाकर्ताओं के लिए तकनीकी प्रबंधन' में दो प्रबंधन विकास कार्यक्रमों का आयोजन किया और 7 से 18 जून 2016 तक एक 'नेतृत्व विकास (एक प्री–आरएमपी कार्यक्रम)' का आयोजन किया। सचिव, एनबीए, दोनों कार्यक्रमों के लिए आयोजित संयुक्त सत्र में 'जैव विविधता अधिनियम और एनबीए की भूमिका' पर एक प्रस्तुति प्रस्तुत की। इस समारोह में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान और शिक्षा प्रणाली के 19 मध्य स्तर के शोधकर्ताओं और आईसीएआर प्रणाली से मुख्य रूप से 17 वरिष्ठ स्तर के पेशेवरों ने भाग लिया।

'जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के तहत जैविक संसाधनों पर पहुंच के विनियमों के समानीकरण और बीज आंदोलन' पर एक विचार मंथन सत्र का आयोजन बीडी अधिनियम के प्रावधानों को समझने के लिए एनबीए, चेन्नई में 22 सितंबर, 2016 को सीएबीआई, दक्षिण एशिया, भारत, मैसर्स क्रॉप लाइफ एशिया और द एसोसिएशन ऑफ बायोटेक–लेड–इंटरप्राइज–एग्रीकल्चर ग्रूप के सहयोग से किया गया था।

जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने गैर–वाणिज्यिक अनुसंधान के लिए भारतीय और गैर–भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा जमा किए जाने वाले सूक्ष्मजीवों की जमा और उनसे संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, डीबीटी, नई दिल्ली में 20 दिसंबर 2016 को एनबीए, एनसीसीएस और इमटेक के अधिकारियों की एक बैठक बुलाई। अध्यक्ष और सचिव, एनबीए ने चर्चा में भाग लिया।

अनुलग्नक 8

AUDIT REPORT

Regd Post

कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा
वैज्ञानिक विभाग,
नई दिल्ली–110002

सं.प्र.नि.वै.वि./प.ले./एस.ए.आर./NBA-Chennai/2017–18/866-869 दिनांक: 10 NOV 2017

सेवा में,

Sh. T. Rabi Kumar
Secretary,
National Biodiversity Authority,
TICEL BIO PARK,
5th Floor, Taramani Road,
Taramani, Chennai-600113

NATIONAL BIODIVERSITY AUTHORITY
CHENNAI.
DIARY No. 2814
RECEIVED ON 15/11/17

विषयः वर्ष 2016–17 के लिए **National Biodiversity Authority, Chennai** का पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

महोदय,

मुझे वर्ष 2016–17 के लिए National Biodiversity Authority, Chennai का पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अग्रेषित करने का निर्देश हुआ है।

संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने से पहले वर्ष 2016–17 के वार्षिक लेखों को संस्थान के शासी निकाय द्वारा अनुमोदित किया/अपनाया जाए तथा इस संबंध में शासी निकाय द्वारा ज़ारी किया गया रेज़ोल्यूशन ऑडिट को भेजा जाए। प्रत्येक दस्तावेज जो संसद में प्रस्तुत किया जाए उसकी तीन प्रतियाँ इस कार्यालय तथा दो प्रतियाँ भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को अग्रेषित की जाए। संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने की तिथियाँ भी इस कार्यालय को सूचित की जाए।

भवदीय,

संलग्नकः– पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

निदेशक (पर्या.ले.)

Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of National Biodiversity Authority, Chennai for the year ended 31 March 2017.

1. We have audited the attached Balance Sheet of the National Biodiversity Authority (NBA), Chennai as at 31 March 2017 and Income & Expenditure Account/Receipts & Payments Account for the year ended on that date under Section 19(2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 29(2) of Biological Diversity Act. These financial statements are the responsibility of the National Biodiversity Authority, Chennai's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc., Audit observations on financial transaction with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An Audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit providers a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that

i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.

ii) The Balance Sheet and Income & Expenditure Account/Receipts & Payments Account dealt with by this report have been drawn up in the format prescribed by the Ministry of Finance.

iii) In our opinion, proper book of accounts and other relevant records have been maintained by the National Biodiversity Authority, Chennai as required under Section 29(2) of Biological Diversity Act in so far as it appears from out examination of such books.

iv) Based on our audit, we further report that:

(A) Balance Sheet

A.1. Current Liabilities and Provisions (Schedule-7)

1. Current Liabilities ₹ 36.37 lakh.

a) The above amount of ₹36.37 lakh included an amount of ₹10.37 lakh worked out as provision for sick leave (Half pay leave). Since provision for leave encashment is required to be made for only earned leave. The action of NBA in providing provision for half-pay leave resulted in overstatement of liabilities to the extent of 10.37 lakh. This also led to corresponding understatement of capital account in the asset side.

(b) An amount ₹1.67 lakh shown as liabilities under UNDP project. The project account was closed in March 2013. Now there was no liability to be discharged by NBA. Therefore, this liability should be revised in the books of Accounts.

A.2.Assets

A.2. Current Assets, Loans & Advances (Schedule - 11)

A.2.1. Current Assets

1) An amount of ₹80.20 lakhs was shown under "Current Assets" as amount recoverable from Government for provision made towards terminal benefits such as Gratuity and Leave Encashment. As the amount of provision was required to be shown as expenditure and the resultant Surplus/Defict of Income and Expenditure Account is to be added/deducted from Capital Fund, depicting the amount as recoverable from Government led to overstatement of Current Assets to the extent of ₹80.20 lakhs. A provision for ₹80.20 lakh (Schedule-7-B-Provisions) was created for retirement benefits (Gratuity and Encashment of Earned Leave/Sick leave) based on actuarial valuation during the financial year 2016-17. This provision, however was not charged as an expense to the Income and Expenditure Account. This resulted in understatement of expenditure to the extent of ₹80.20 lakh. This resultant surplus of income was added to capital fund which led to overstatement of capital fund.

2) NBA paid an amount of 5.32 lakh to BSNL as charges for providing 4Mbps leased Internet line in March 2015. As the charges was meant for the financial year 2015-16, this was treated as pre-paid expenses and the amount therefor was depicted under Current Assets. From next year onwards NBA paid actual charges pertaining to the respective year and no pre-paid expenses was incurred. However, the opening balance shown in the ledger for ₹5.32 lakh was not closed and was carried forwarded to the year 2016-17 also. Finally NBA surrendered the internet line to BSNL in March 2017. the opening balance was carried forward and depicted under Current Assets though there was no such expenditure incurred in the year 2016-17. The Current Assets, therefore was overstated to the extent of ₹5.32 lakh.

3) NBA paid an amount of ₹1.12 lakh in April, 2013 to STQC, Chennai for conducting Web Application Security Audit. This amount was shown as Current Assets in the accounts for the year 2013-14 as the work was pending and report for STQC is notreceived. STQC completed the audit

md submitted the report in November, 2015. Thus, NBA received value for money paid in kind. The amount, however shown as balance in the ledger was carried forward to the Annual Accounts for the year 2016-17 also. Thus, the Current Assets was overstated to the extent of ₹1.12 lakh.

4) During 2016-17 NBA earned an amount of ₹ 18.18 lakh and ₹ 10.66 lakh as interest under NBA Fund Account and NBA Authority Account respectively. NBA however did not depict this interest earned as interest accrued under 'Current Assets' in the balance sheet. Thus, Current Assets is understated to the extent of ₹ 28.84 lakh. Correspondingly Endowment Fund account is understatement to the extent of ₹ 10.66 lakh and Income under Income and Expenditure account is understatement to the extent of ₹ 18.18 lakh.

(B) General

B.1 Contingent Liabilities.

NBA did not disclose the contingency of payment of amount of ₹ 21.20 lakh payable to NIC in "Notes to Accounts" as contingent liabilities.

B.2 Bank Balance.

There was a difference ₹ 7.54 lakh in Authority Bank Account and ₹ (-) 0.10 lakh under 'Fund' Bank account. NBA could not explain and reconcile the difference. Thus, these has been unexplained difference both in Authority Account and Fund Account to the extend of ₹ 7.54 lakh and ₹ (-) 0.10 lakh respectively. These should be reconciled promptly.

B.2,Bank Reconciliation

Audit check revealed that cheques amounting of ₹ 1.26 lakh pertaining to "Authority Account" though time bared were not cancelled and amount not reversed to cash book. The absence of proper bank reconciliation therefore led to understatement of Current Liabilities by ₹ 1.26 lakh. Similarly audit noticed that NBA received ₹ 59.57 lakh as receipts towards application fee etc. till March 2017. The receipts however were not treated as receipts and taken to NBA into 'NBA Fund Account'. NBA kept these receipts under 'Bank Reconciliation' due to carious reasons such as non-availability of identity of person who remitted fee etc., The receipts received as far back as March 2009 were not recongnised as receipts. There are receipts amounting to ₹ 16.78 lakh which are pending to be recognised for more than one year.

The non-accountal of receipts therefore resulted in understatement of bank balance to the extent of ₹ 59.57 lakh.

B.4.Sugnificiant Accounting Policies.

NBA in its Significant Accounting Policies under Schedule 24 stated that Government Grants/Subsidies are accounted on realization basis. This is not in order as these are to be accounted on accrual basis.

C) Grants-in-aid

During the year 2016-17, NBA received grant-in-aid of 18.69 crore. This included unspent balance of 1.09 crore revalidated from previous year and out of the total available funds of 18.69 crore, NBA could utilize a sum of 17.52 crore leaving a balance of 1.17 crore as on 31 March 2017.

(D) Management letter

Deficiencies which have not been included in the Draft Separate Audit Report have been brought to the notice of the National Biodiversity Authority through Annexure I and II for remedial / corrective action.

vi) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payment Account dealt with by report are in agreement with the books of accounts.

vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, Subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure I to this Separate Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting with accounting principles generally accepted in India.

a. In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of the National Biodiversity Authority, Chennai as at 31 March 2017 and

b. In so far as it relates Income & Expenditure Account of the surplus for the year end on that date.

For and on behalf of the C & AG of India.

Manik Kumar

Principal Director of Audit
(Scientific Departments)

Place : New Delhi
Date : 10/11/2017

Annexure - I to Separate Audit Report

1. Adequacy of Internal Audit System

Internal Audit of NBA was conducted upto the period March, 2014. No internal audit was conducted for last three years. Audit also noticed that entire report containing 6 paras for the report ending 2014 is still pending for want of compliance. Therefore, the internal audit in NBA needs to be strengthened.

2. Adequacy of Internal Control System

The internal control in NBA is inadequate as internal audit was not done and Bank reconciliation was not done and receipt were shown in Bank reconciliation.

3. System of physical verification of fixed assets

NBA conducted physical verification of Assets items, stores and inventory during the year 2016 - 17. The surplus, damaged, underviceable, old and obsolete items though identified were not disposed off.

4. System of physical verification of inventory

physical verification of inventory was carried out at regular intervals.

5. Regularity in payment of statutory dues:

The Authority was regular in payment of statutory dues.

Director (E.A)

मनीष कुमार
प्रधान निदेशक

सत्यमेव जयते

प्रधान निदेशक, लेखा परीक्षा
वैज्ञानिक विभाग
ए० जी० सी० आर० भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट
नई दिल्ली - 110 002
PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT,
SCIENTIFIC DEPARTMENTS,
A.G.C.R. BUILDING, I.P. ESTATE,
NEW DELHI-110 002

4701c

सं.प्र.नि.ले.प./वै.वि./पर्या./SAR/NBA-BNG/2017-18/870 दिनांक:

10 NOV 2017

Dear Shri Rabi Kumar,

I have audited the annual accounts of National Biodiversity Authority, Chennai, Chennai for the year 2016-17 and have issued the Audit Report thereon vide letter dated 10/11/2017. During the course of audit, some deficiencies were notice (as per Annexure 'A') which are of a relatively minor and were, therefore, not included in the audit report. These are being brought to your notice for remedial and corrective action.

Regards,

भवदीय,

Manish Kumar

संलग्नक:–यथोपरि

Sh. T. Rabi Kumar
Secretary,
National Biodiversity Authority
TICEL BIO PARK,
5th Floor, Taramani Road,
Taramani, Chennai - 600113

दूरभाष / Phone : 23702325, 23702348 फैक्स / Fax : 91-11-23702353

Annexure - A

1. Understatement of Capital Fund - (Schedule-1)

NBA incurred expenditure of ₹ 5.54 lakh towards purchase of Assets during 2016-17. However, an amount of ₹ 5.44 lakh alone was capitalized and added to Capital Fund. The Capital Fund therefore was understand to the extend of ₹ 0.10 lakh, correspondingly the revenue grant shown in the Income and Expenditure Statement was overstated.

2. Utilization certificates

It was observed that out of 786 grants released to SBBs and other organisations during the last twelve years, UCs were received only in respect of 553 grants, leaving a pendency of 233 Ucs to be received for an amount of ₹ 31.86 crore.

Director (E.A)

एनबीए के बारे में

भारत के जैविक विविधता अधिनियम (2002) को कार्यान्वयन करने के लिए राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण(एनबीए) को सीापित किया गया। एनबीए एक सांविधिक, स्वायत्त बॉडीहै और यह जैव संसाधनों के परिरक्षण, संधारणीय उपयोग संबंधित समस्याओं तथा जैविक संसाधनों के उपयोग में से प्राप्त लाभों के न्यायसंगत आबंटन पर भारत सरकार के लिए सुगम, नियंत्रणीय तथा सलाहकारी कार्यवाही को निश्पादित करता है।

जैविक विविधता अधिनियम (2002), जैवविविधता परिरक्षण, उसके भागों का संधारणीय उपयोग और जैविक संसाधनों के उपयोग में से प्राप्त लाभों के न्यायसंगत आबंटन संबंधित विशयों पर केन्द्र सरकार को सलाह देने पर तथा राज्य सरकार को जैवविविधता मुख्यतावाले जगहों को चयन करने में, ताकि धारा 37 की उपधारा 1 के अधीन उन्हें अधिसूचित कर सकें व ऐसे पैतृक क्षेत्रों के व्यवस्था के लिए कदम पर सलाह देने, एनबीए केन्द्रीकरण के साथ विकेन्द्रीकृत प्रणाली के जरिये अधिनियम के कार्यान्वयन का अधिदेश देता है ।

राज्य जैवविविधता बोर्ड (एसबीबी), जैवविविधता परिरक्षण, उसके भागों का संधारणीय उपयोग और जैविक संसाधनों के उपयोग में से उत्पन्न लाभ का आबंटन से संबंधित विशयों पर, केन्द्र सरकार द्वारा जारी किसी मार्गदर्शिकाओं के तहत, राज्य सरकारों को सलाह देने पर केन्द्रीकृत है ।

भारतीयों द्वारा किसी जैविक संसाधनों के जैव सर्वेक्षण या जैव उपयोग या वाणिज्यिक उपयोग के लिए विनती करते हुए या अनुमोदन प्रदान करते हुए भी एसबीबी नियंत्रित करता है। प्राचीनतम प्रजातियॉ, लोक किस्मों और कल्टिवर्स, पालतू स्टॉक्स और प्राणियों के पालन और सूक्ष्म जीवों के परिरक्षण को प्रोन्नत करने के लिए तथा जैविक विविधता से संबंधित ज्ञान को इतिवृत्त करना क्षेत्रीय स्तर जैवविविधता प्रबंधन समितियॉ का (बीएमसी) जिम्मेदारीहै ।

चेन्नई, तमिलनाडु में स्थित मुख्यालय के साथ एनबीए, प्राधिकरण, सचिवालय, एसबीबी, बीएमसी और विशेशज्ञ समितियॉ सम्मिलित संरचना के जरिये अधिदेश को डेलिवर करता हैं

एनबीए के स्थापन से, 29 राज्यों में एसबीबीयों के निर्माण को समर्थन प्रदान किया है और क्षेत्रीय स्तर में 62502 बीएमसीयों के स्थापन को सुगम किया है।

राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण

पॉचवीं मंजिल, टाइसेल बयो पार्क,
सीएसआईआर रोड तरमणि,
चेन्नई 600 113

दूरभाष: +91-44-2254 1805 | **फेक्स**: +91-44-2254 1073 | **ईमेल**: chairman@nba.nic.in